भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

परिणामी बजट

2009-10

विषय–वस्तु तालिका

क्रम सं0	विवरण	पृष्ठ सं0
1.	कार्यकारी सारांश	i-iii
2.	अध्याय I : प्रस्तावना	1 – 3
3.	अध्याय II : वित्तीय परिव्यय, अनुमानित भौतिक निर्गम और अनुमानित बजट परिणाम के ब्यौरे	4 – 20
4.	अध्याय III : मंत्रालय द्वारा किए गए सुधार उपाय और नीतिगत पहल का प्रभाव	21 – 25
5.	अध्याय IV : 2007-08 और 2008-09 के दौरान कार्य निष्पादन की समीक्षा	26 – 54
6.	अध्याय V : वित्तीय समीक्षा	55 – 58
7.	अध्याय VI : मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सांविधिक तथा स्वायत्त निकायों के कार्य निष्पादन की समीक्षा	59 – 81

कार्यकारी सारांश

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

केन्द्र सरकार मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत महत्वपूर्ण हैं, यद्यपि ये कुल सड़क नेटवर्क का मात्र 2% हैं किंतु इन पर कुल सड़क यातायात का लगभग 40% यातायात होता है । यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण का कार्य मुख्यत: एजेंसी प्रणाली के आधार पर करता है। राज्य सरकारों के अलावा, सीमा सड़क संगठन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो इस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत निकाय है, केन्द्र सरकार की एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं । मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना प्रारंभ की है, जो चरणों में कार्यान्वित की जा रही है तथा इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के 54,639 कि0मी0 से अधिक मुख्य मार्गों का सुधार करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की परिकल्पना है । अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कों के विकास का मुख्य उद्देश्य बेहतर सड़क सतह, बेहतर सड़क ज्यामिति, बेहतर यातायात प्रबंधन और दृश्य संकेत, विभाजित मार्ग और सर्विस रोड, ग्रेड सेपरेटर, उपरि पुल और भूमिगत मार्ग, बाइपास और मार्गस्थ सुविधाओं सहित बेहतर सुरक्षा विशेषताओं से युक्त यातायात के निर्बाध आवागमन के लिए सुविधाएं स्थापित करना है ।

वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान 13152.79 करोड़ रु0 की अनुमानित लागत से 200 पुलों और 29 बाइपासों के निर्माण/मरम्मत के साथ-साथ लगभग 8672 कि0मी0 राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार किया जाना है । बजटीय सहायता के अलावा, विदेशी ऋणों के माध्यम से आंतरिक-बाह्य बजट संसाधनों का भी उपयोग किया जाएगा ।

इस मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के 58 जिला मुख्यालयों को राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ जोड़ा जाना सुनिश्चित करते हुए तीन चरणों में 9760 कि0मी0 राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। वर्ष 2009-10 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के लिए 1200 करोड़ रु0 का परिव्यय प्रदान किया गया है ।

सरकार ने देश के आठ राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के 33 जिलों में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए एक विशेष कार्यक्रम, फरवरी, 2009 में अनुमोदित किया है । अनुमोदित कार्यक्रम में कुल पाँच राज्यों में वितरित राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल 1202 किमी लंबाई में और आठ राज्यों में वितरित 4363 किमी लंबाई की राज्यीय सड़कों को 7,300 करोड़ रुपए की कुल अनंतिम अनुमानित लागत पर विकास/उन्नयन की परियोजनाएं शामिल हैं । यह मंत्रालय, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सड़क निधि से ग्रामीण सड़कों से भिन्न राज्यीय सड़कों के विकास और अंतरराज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की स्कीमों के अंतर्गत अन्य सड़कों के विकास के लिए भी धनराशि प्रदान कर रहा है।

खामियों को दूर करने के लिए कार्यों की वित्तीय और भौतिक प्रगति पर नियमित निगरानी रखी जा रही है । राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, वन/प्रदूषण/पर्यावरण स्वीकृति और आर ओ बी के निर्माण आदि जैसी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार/रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की नोडल अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की गई है ।

जहां तक सड़क क्षेत्र में निजी निवेश प्राप्त करने का संबंध है, सरकार ने अर्थक्षमता बढ़ाने के लिए परियोजना लागत के 40 % तक पूंजी अनुदान, 20 वर्षों में से किन्हीं लगातार 10 वर्षों में 100 % कर छूट प्रदान करने की नीतिगत पहल की है । निर्माण प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) परियोजना उद्यमियों को चुनिंदा खंडों पर पथकर राशि वसूल करने और अपने पास रखने की अनुमति भी दी गई है ।

मंत्रालय से संबंधित सभी सार्वजनिक सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सभी आवेदनों का निपटान शीघ्र से किया जाता है । राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों से संबंधित स्कीमों और चालू कार्यों की प्रगति तथा प्रमुख कार्यों की सभी निविदाओं की सूचना भी वेबसाइट पर दी गई हैं । तथापि, राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति के बारे में जनता को सही समय पर सूचना प्रदान करने के लिए एक व्यापक व्यवस्था तैयार की जा रही है ।

<u>सड़क परिवहन</u>

मंत्रालय का सड़क परिवहन प्रभाग पड़ोसी देशों के साथ वाहन यातायात के आवागमन की व्यवस्था करने के अतिरिक्त देश में सड़क परिवहन के विनियमन के लिए व्यापक नीतियां तैयार करने का काम करता है । देश में सड़क सुरक्षा परिदृश्य में सुधार लाना, सड़क सुरक्षा प्रभाग के अति महत्वपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक है । मंत्रालय के सड़क परिवहन प्रभाग द्वारा निम्नलिखित अधिनियम/नियमावलियां, जो मोटर वाहनों और राज्य सड़क परिवहन निगमों से संबंधित नीति को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं, का संचालन किया जाता है

- मोटर यान अधिनियम, 1988
- केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989
- सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950
- वाहक अधिनियम, 1865/सड़क द्वारा वहन अधिनियम, 2007

सड़क परिवहन क्षेत्र के लिए नीतियां बनाने के अतिरिक्त, यह प्रभाग केन्द्रीय क्षेत्र की कतिपय योजनाओं के संचालन के लिए भी जिम्मेदार है । ये योजनाएं मानव संसाधन विकास से संबंधित हैं जिसमें राज्य परिवहन विभाग के कार्मिकों, असंगठित क्षेत्र में भारी वाणिज्यिक

वाहनों के चालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सड़क सुरक्षा संबंधी प्रचार उपाय एवं जागरूकता अभियान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सड़क सुरक्षा एवं प्रदूषण जांच उपस्कर प्रदान करना, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना, सड़क परिवहन क्षेत्र में राष्ट्रीय डाटाबेस/कंप्यूटरीकरण, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाना, अनुरक्षण एवं निरीक्षण केन्द्रों की स्थापना करना, आदर्श चालक प्रशिक्षण स्कूल, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन बोर्ड का सृजन शामिल हैं ।

यह प्रभाग, सड़क सुरक्षा संबंधी गतिविधियों आदि के संचालन के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता देने, सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने सहित इलेक्ट्रोनिक/प्रिंट मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा संबंधी विभिन्न प्रचार/जागरूकता अभियान चलाता आ रहा है । यह प्रभाग, दुर्घटना होने की स्थिति में बचाव एवं राहत कार्यों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सड़क सुरक्षा उपस्कर, प्रदूषण जांच उपस्कर, क्रेन और एंबुलेंस भी उपलब्ध कराता आ रहा है । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परिवहन विभाग के कार्मिकों को प्रशिक्षण, चालकों को, विशेषरूप से असंगठित क्षेत्र में भारी वाणिज्यिक वाहनों के चालकों को प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में यह विभाग पहल करता आ रहा है । इस प्रभाग का ध्यान परिवहन विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करने और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को प्रोत्साहन देने जैसे अन्य क्षेत्रों पर भी है । इस समय प्रभाग, देश में सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यों पर व्यापक निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन बोर्ड नामक एक समर्पित एजेंसी के सृजन के प्रस्ताव पर तेजी से कार्रवाई कर रहा है ।

अध्याय ।

प्रस्तावना

<u>सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय</u>

केन्द्र सरकार का एक उत्कृष्ट संगठन जिसे अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, संगठनों और व्यक्तियों के परामर्श से सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन अनुसंधान के लिए नीतियॉ तैयार करने और इनको लागू करने का दायित्व सौंपा गया है ताकि देश में सड़क परिवहन प्रणाली की गतिशीलता और दक्षता में वृद्धि हो सके ।

इस मंत्रालय के मुखिया कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं । मंत्रालय में दो राज्य मंत्री भी हैं ।

सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग) की सहायता के लिए महानिदेशक (सड़क विकास) एवं विशेष सचिव, संयुक्त सचिव (परिवहन और प्रशासन), संयुक्त सचिव (राजमार्ग) तथा कई मुख्य अभियंता, निदेशक, उप-सचिव स्तर के अधिकारी और अन्य अनुसचिवीय तथा तकनीकी अधिकारी हैं ।

मंत्रालय के वित्त पक्ष की अगुवाई अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार द्वारा की जाती है वित्तीय प्रभाव वाली सभी नीतियों और अन्य प्रस्तावों को तैयार करने और इनको प्रोसेस करने में सहायता करते हैं। अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार की सहायता के लिए एक निदेशक (वित्त), एक सहायक वित्त सलाहकार तथा एक अवर सचिव (बजट) और अन्य अनुसचिवीय अधिकारी एवं कर्मचारी हैं ।

मंत्रालय के लेखा पक्ष की अगुवाई मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा की जाती है जो अन्य बातों के साथ-साथ लेखांकन, भुगतान, बजट, आंतरिक लेखा परीक्षा तथा रोकड़ प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होते हैं ।

सलाहकार (परिवहन अनुसंधान), सड़क मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में आने वाले परिवहन के विभिन्न साधनों के बारे में आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण, नीति नियोजन, परिवहन समन्वय के लिए मंत्रालय के विभिन्न पक्षों को आवश्यक आंकडे उपलब्ध कराते हैं ।

इसके अलावा, मंत्रालय में सड़क पक्ष और परिवहन पक्ष के रूप में दो पक्ष कार्य करते हैं ।

सड़क पक्ष

केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है । राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण कार्य एजेंसी आधार पर किया जा रहा है । राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल 70,548 कि.मी. लंबाई में से 42,469 कि.मी. राज्य लोक निर्माण विभागों के पास, 19,596 कि.मी. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास तथा 3,992 कि.मी. सीमा सड़क संगठन के पास है । शेष 4,491 कि.मी. लंबाई अभी निष्पादन एजेंसियों को सौंपी जानी है ।

महानिदेशक (सड़क विकास) व विशेष सचिव सड़क पक्ष के प्रमुख हैं और वे मुख्यतः (i) राजमार्गों से संबंधित सभी सामान्य नीतिगत मामलों पर सरकार को परामर्श देने (ii) राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के विकास और अनुरक्षण (iii) संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न सड़कों के विकास और अनुरक्षण (iv) ग्रामीण सड़कों से भिन्न राज्यीय सड़कों के संबंध में केंद्रीय सड़क निधि के प्रशासन (v) सड़कों और पुलों के मानकों के मूल्यांकन और विनिर्देशन तथा (vi) सड़क क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए जिम्मेदार हैं।

सड़क पक्ष निम्नलिखित अधिनियमों का भी प्रशासन कर रहा है :-

i. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956
ii. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988
iii. केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000
iv. राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002

केन्द्र सरकार ने एकल लेन की सड़कों को दो लेन बनाने और दो लेन सड़कों को चार लेन बनाने, पुलों के निर्माण/मरम्मत, बाइपासों के निर्माण, वार्षिक योजना कार्यक्रमों के अंतर्गत सड़क गुणता सुधार के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना प्रारंभ की है ।

सामान्य मरम्मत, आवधिक नवीकरण, विशेष मरम्मत, बाढ़ क्षति मरम्मत आदि जैसी विभिन्न अनुरक्षण और मरम्मत स्कीमों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए धनराशि भी प्रदान की जाती है ।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों, प्रमुख जिला सड़कों और ग्रामीण सड़कों के त्वरित और एकीकृत विकास के लिए केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के तहत केंद्रीय सड़क निधि की स्थापना की गई है । केंद्रीय सड़क निधि संग्रह (कॉरपस) की स्थापना की गई है और इसे जारी रखा जा रहा है ।

अनुसंधान और विकास

सड़क क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का मुख्य बल एक टिकाऊ सड़क अवसंरचना का निर्माण करना है जिसकी तुलना विश्व की सर्वोत्तम सड़क अवसंरचना से की जा सके । इस रणनीति के विभिन्न घटकों में (i) सड़क डिजाइन में सुधार, (ii) निर्माण तकनीकों का आधुनिकीकरण, (iii) नवीनतम प्रवृत्तियों के अनुरूप बेहतर सामग्री का प्रयोग, (iv) नई प्रौद्योगिकी के विकास और प्रयोग के प्रोत्साहन के लिए बेहतर और उपयुक्त विशिष्टियों का विकास आदि शामिल हैं । इन नीतियों का प्रचार-प्रसार नए दिशा निर्देशों, प्रथा संहिताओं, अनुदेशों/परिपत्रों के प्रकाशन, अत्याधुनिक रिपोर्टों के संकलन तथा सेमिनार/प्रस्तुतीकरण आदि के जरिए किया जाता है । विभाग द्वारा प्रायोजित अनुसंधान स्कीमें सामान्यतः "अनुप्रयुक्त" स्वरूप की होती हैं जिनके पूरे हो जाने पर प्रयोक्ता एजेंसी/विभाग उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में अपना सकेंगे । इन क्षेत्रों में सड़क, सड़क परिवहन, पुल, यातायात और परिवहन तकनीक आदि आते हैं । अनुसंधान और विकास स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए यह विभाग विभिन्न अनुसंधान और शैक्षिक संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों की सहायता लेता है ।

सड़क परिवहन

सड़क परिवहन, माल और यात्री दोनों के परिवहन के लिए एक किफायती और पसंदीदा साधन माना जाता है। अनुमान है कि सड़क द्वारा यात्रियों के आवागमन का हिस्सा 85% से अधिक और माल यातायात का हिस्सा कुल माल परिवहन का लगभग 65% है । आसानी से उपलब्धता, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलता, लागत में बचत कुछ ऐसे कारक हैं, जो सड़क परिवहन के पक्ष में हैं । रेलवे, नौवहन और विमान सेवा के लिए सड़क परिवहन एक पूरक सेवा के रूप में भी कार्य करता है ।

यह प्रभाग पड़ोसी देशों के साथ वाहन यातायात के आवागमन की व्यवस्था करने के अतिरिक्त देश में सड़क परिवहन के विनियमन से संबंधित व्यापक नीतियां तैयार करने के लिए जिम्मेदार है ।

यह प्रभाग सड़क दुर्घटनाओं की संख्या न्यूनतम रखने की दृष्टि से सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए नीतियां तैयार करता है और कार्यक्रम चलाता है । प्रभाग के सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा तैयार और प्रबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रचार कार्यक्रम, सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना, असंगठित क्षेत्र में भारी वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण देना आदि शामिल हैं ।

सड़क परिवहन क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी लागू करने की दृष्टि से स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आदि जारी किए जाने संबंधी नियम पहले ही अधिसूचित कर दिए गए हैं । राज्य सरकारें इन्हें लागू करने की प्रक्रिया में हैं ।

अध्याय -।।

वित्तीय परिव्यय, अनुमानित भौतिक निर्गम और अनुमानित बजट परिणाम के ब्योरे

<u>सड़क क्षेत्र</u>

सड़क क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग, सड़कों के लिए परिव्यय प्रदान करता है । 11वीं योजना में योजना आयोग ने 1,07,359.00 करोड़ रु0 का परिव्यय प्रदान किया है जिसमें सकल बजटीय सहायता 72,530.00 करोड़ रु0 और आई ई बी आर 34,829.00 करोड़ रु0 है ।

योजना आयोग ने सड़क क्षेत्र में विकास के लिए 2009-10 के लिए 20,198.00 करोड़ रु0 का वार्षिक परिव्यय प्रदान किया है । ब्योरे इस प्रकार हैं :-

मद	धनराशि (करोड़ रु0)
क) सकल बजट सहायता (जिसमें ई ए पी 340.00 करोड़ रु0 है)	15,198.00
ख) आंतरिक और बाह्य बजट संसाधन(आई ई बी आर)	5,000.00
ग) कुल परिव्यय (क + ख)	20,198.00

सड़क क्षेत्र के मुख्य घटक इस प्रकार हैं :-

(करोड़ रु0 में)

क्र.स.	मद	2009-2010
1.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 'निवेश '	8,578.45
2.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण -ई ए पी (अनुदान)	272.00
3.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण -ऋण	68.00
4.	राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्य (दांडी हेरिटेज रूटों के लिए 125.00 करोड़ रु0 शामिल हैं)	3,359.55
5.	मुंगेर, बिहार में गंगानदी पर रेल सह सड़क पुल	60.00
6.	बीआरडीबी के तहत कार्य- राष्ट्रीय राजमार्ग	600.00
7.	बीआरडीबी के तहत सामरिक सड़कें	60.00
8.	विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (इसमें कालादान बहुउद्देशीय (मल्टी-मॉडल) परिवहन परियोजना के लिए 10 करोड़ रु0 शामिल हैं ।)	1,200.00
9.	अन्य प्रभार एवं आई टी का विकास, अनुसंधान और विकास योजना अध्ययन तथा व्यावसायिक सेवाओं सहित प्रशिक्षण, प्रभारित व्यय	17.00
10.	केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें-केंद्रीय सड़क निधि से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ई एंड आई	230.00
11.	नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यीय सड़कों में सड़क संपर्क के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	500.00
12.	विजयवाड़ा-रॉची सड़क के लिए विशेष कार्यक्रम	200.00
13.	जम्मू कश्मीर में मुगल रोड 20 करोड़ रुपए, उड़ीसा में पासको परियोजना 30.00 करोड़ रुपए और हिमाचल प्रदेश में संसारी नाला 3.00 करोड़ रुपए	53.00
	कुल	**15,198.00**

<u>सड़क पक्ष</u>

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एजेंसी आधार पर किया जा रहा है । इस प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार की मुख्य एजेंसियां, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन हैं । पूरक बाह्य बजटीय संसाधन (बी ओ टी परियोजनाओं के संबंध में निजी क्षेत्र का हिस्सा) सहित वित्तीय परिव्यय और राज्य लोक निर्माण विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन के संबंध में 2009-10 के लिए अनुमानित भौतिक उत्पादन के ब्योरे क्रमश: **अनुबंध-I, II और III** में दिए गए हैं ।

<u>अनुमानित परिणाम</u>

देश के औद्योगिकीकरण से राष्ट्रीय राजमार्गों के अनेक खंडों पर यातायात में प्रतिवर्ष 8 से 10 % की वृद्धि हुई है और आगामी वर्षों में भी इस वृद्धि के जारी रहने की उम्मीद है । राष्ट्रीय राजमार्गों के अनेक खंडों में चौड़ीकरण, ग्रेड-सेपरेशन, बाइपासों, पुलों और एक्सप्रैस मार्गों आदि के निर्माण के तौर पर क्षमता विस्तार की आवश्यकता है । बड़ी संख्या में रेल-रोड लेवल क्रासिंग जहां बार-बार गेट बंद होने के कारण सड़क यातायात को रूकना पड़ता है के कारण भी राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात के आवागमन में बाधा आती है । इस समस्या के समाधान के लिए केंद्रीय सड़क निधि का एक हिस्सा विशेषत: रेल उपरि पुलों के निर्माण के लिए निर्धारित किया गया है । विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार से माल (कार्गो) के तेजी से आवागमन, वाहन प्रचालन लागत में कमी और ईंधन खपत में कमी के अलावा, देश के सभी भागों को बेहतर सड़कों से जोड़ा जा सके ।

<u>प्रक्रिया/समय सीमा</u>

इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के ठेके सौंपने तथा उन्नत प्रौद्योगिकी और श्रेष्ठतम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुरूप परियोजना पूरी करने की अवधि में अनुचित विलंब से बचने के लिए ठेके सौंपने और कार्य पूरा करने के लिए निम्नलिखित समय-सारणी तैयार की है:-

(क)	**कार्य के लिए ठेके सौंपना**	
	(i) 1.00 करोड़ रु0 से कम लागत वाली परियोजनाएं	स्वीकृति की तारीख से अधिकतम 6 माह के अंदर
	(iii) 1.00 करोड़ रु0 और उससे अधिक लागत वाली परियोजनाएं	स्वीकृति की तारीख से अधिकतम एक वर्ष
(ख)	**कार्य पूरा करना**	
	(i) 1.00 करोड़ रु0 से कम लागत वाली परियोजनाएं	कार्य सौंपने की तारीख से अधिकतम ढाई वर्ष
	(ii) 1.00 करोड़ रु0 से 10 करोड़ रु0 के बीच लागत वाली परियोजनाएं	कार्य सौंपने की तारीख से अधिकतम ढाई वर्ष
	(iii) 10 करोड़ रु0 से अधिक लागत वाली परियोजनाएं	कार्य सौंपने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष । जहां आधुनिक निर्माण मशीनें उपलब्ध होने की संभावना है, इस वर्ग की परियोजनाओं की निर्माण अवधि में स्वीकृति पत्र में और उचित कमी की जा सकती है ।

1. सड़क सुरक्षा

(करोड़ रु0 में)

बजट प्राक्कलन 2008-09	संशोधित प्राक्कलन 2008-09	बजट प्राक्कलन 2009-10
73.00	73.00	79.00

इस योजना के अंतर्गत कार्यों के ब्योरे इस प्रकार हैं -

1.1 प्रचार उपाय और जागरूकता अभियान

1.1.1 नागरिकों में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के सबसे अच्छे साधनों में से एक साधन है - प्रचार अभियान चलाना । इन अभियानों का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों को रोकना है । ये अभियान इस मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रोनिक/प्रिंट मीडिया के माध्यम से निम्नलिखित प्रकार से चलाए जा रहे हैं :-

(i) सड़क सुरक्षा संदेशों के साथ कलेंडरों का मुद्रण
(ii) रेडियो झलकियों का प्रसारण
(iii) दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क और अन्य चैनलों पर सड़क सुरक्षा संबंधी वीडियो झलकियों का टीवी पर प्रसारण ।
(iv) पैम्फलेट, पोस्टर, स्टिकर, गेम आदि जैसी सड़क सुरक्षा संबंधी प्रचार सामग्री सभी सड़क प्रयोक्ताओं में वितरण के लिए गैर सरकारी संगठनों, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परिवहन आयुक्तों/सचिवों, पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक पुलिस (यातायात) को उपलब्ध कराना ।
(v) स्कूली छात्रों के लिए अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करना, और
(vi) सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन करना ।

1.1.2 सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए एजेंसियों को सहायता अनुदान दिया जाता है । सार्वजनिक अभियान के माध्यम से सड़क प्रयोक्ताओं में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के काम में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने के लिए अनुदान सहायता दी जा रही है । गैर-सरकारी संगठनों द्वारा शुरू किए गए कार्यों में जागरूकता अभियान, सेमिनार, कार्यशालाएं, नुक्कड़ नाटक, निबंध प्रतियोगिता, नेत्र जांच शिविर, प्रदर्शनियां, परावर्तक लगाना आदि शामिल हैं । वर्ष 2008-09 में 100 गैर-सरकारी संगठनों के लिए 1.80 करोड़ रु0 स्वीकृत किए गए हैं जबकि पिछले वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान 121 गैर-सरकारी संगठनों को 1.72 करोड़ रु0 प्रदान किए गए थे ।

1.1.3 वर्ष 2007-08 में उपर्युक्त कार्यों पर 17.19 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे । वर्ष 2008-09 में ऐसे कार्यों पर 23.35 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं ।

1.2. असंगठित क्षेत्र में चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास

1.2.1 चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण : इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर वाहन चालकों के लिए दो दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने वाले संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है । वर्ष 2007-08 में 54 संगठनों/एजेंसियों के माध्यम से 58168 चालकों को प्रशिक्षण दिया गया और इस पर 3.00 करोड़ रु. खर्च किए गए । वर्ष 2008-09 के दौरान, 77 संगठनों के माध्यम से लगभग 70,700 चालकों को प्रशिक्षण दिए जाने के लिए 5.02 करोड़ रुपए की संस्वीकृति दी गई है ।

1.2.2 मानव संसाधन विकास : इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों के अधिकारियों को सड़क परिवहन क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे सड़क परिवहन के क्षेत्र में होने वाले विकासात्मक कार्यों से अवगत रह सकें ।

केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान, पुणे में (1) सड़क परिवहन विनियमन और प्रशासन तथा (2) सड़क सुरक्षा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं । वर्ष 2008-09 में केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान, पुणे में सड़क परिवहन विनियमन और प्रशासन तथा सड़क सुरक्षा प्रबंधन से संबंधित 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे । आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने वाहन प्रदूषण, वाहन सुरक्षा, वाहन मूल्यांकन और वैकल्पिक ईंधन विषयों पर एक-एक करके कुल चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए । इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, देहरादून में वाहन प्रदूषण विषय पर 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम और इंजीनियरिंग स्टाफ कालेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद में सड़क सुरक्षा प्रबंधन विषय पर तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए । इस कार्य के लिए वर्ष 2007-08 में इन संस्थाओं के लिए 63.89 लाख रु0 की धनराशि जारी की गई । वर्ष 2008-09 के दौरान इन संस्थाओं को 22 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए धनराशि संस्वीकृत की गई है । इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नै को सड़क परिवहन नियोजन पर दो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए धनराशि संस्वीकृत की गई है ।

1.2.3 इस शीर्ष के तहत बजट प्रावधान में 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संस्वीकृत आदर्श चालक प्रशिक्षण स्कूलों की बकाया देयताओं को पूरा करने के लिए 12 करोड़ रु0 की धनराशि भी शामिल है । ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि योजना आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम को बंद करने का निर्णय लिया था । वर्ष 2008-09 के दौरान इस धनराशि में से 30 लाख रुपए उत्तर प्रदेश को और 47.80 लाख रुपए नगालैंड को पिछले संस्वीकृत कार्यों की किस्तों की मद में जारी किए गए थे ।

1.2.4 आदर्श चालक प्रशिक्षण स्कूल: आदर्श चालक प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की एक योजना को योजना आयोग द्वारा अब सिद्धान्ततः अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है । इसलिए, नई योजना के अनुसार नए स्कूलों को संस्वीकृति प्रदान करने के लिए धनराशि की

आवश्यकता होगी । वर्ष 2009-10 के लिए मानव संसाधन विकास एचआरडी शीर्ष के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है ।

1.3. राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना

1.3.1 सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने और राष्ट्रीय राजमार्गों से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने के लिए 1993-94 में राष्ट्रीय राजमार्ग गश्त योजना प्रारंभ की गई थी । इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/गैर सरकारी संगठनों को राष्ट्रीय राजमार्गों से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने और सड़क दुर्घटना पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए क्रेनों और एंबुलेंसों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान दी गई थी ।

1.3.2 तथापि, कुछ मामलों में उपस्करों की खरीद में विलंब तथा वित्तीय सहायता के उपयोग के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, नकद अनुदान दिए जाने की बजाए उनको उपस्कर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सन् 2000-01 में इस योजना के स्वरूप में संशोधन किया गया । इस योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को भी शामिल किया गया । वर्ष 2008-09 के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर-सरकारी संगठनों को 25 क्रेनें और 21 छोटी/मध्यम आकार की क्रेनें प्रदान की गई थीं । अभिघात केन्द्रों के उन्नयन की योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अभिनिर्धारित अस्पतालों/अभिघात केन्द्रों के लिए वर्ष 2008-09 के दौरान 70 एंबुलेसें और तमिलनाडु के परिवहन विभाग के लिए 3 एंबुलेंसें संस्वीकृत की गई थीं ।

1.4 सड़क सुरक्षा एवं प्रदूषण जांच व नियंत्रण उपस्कर

1.4.1 सड़क सुरक्षा उपस्कर - इस शीर्ष के अंतर्गत राज्यों को, सड़क सुरक्षा उपस्करों जैसे ब्रेथ एनालाइजर, बहुद्देश्यीय यातायात विनियमन वाहन आदि देकर सहायता प्रदान की जाती है ।

1.4.2 प्रदूषण जांच उपस्कर - वाहन उत्सर्जन, पर्यावरण प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत बन गया है । मोटर यान अधिनियम/नियमावली में इस समस्या के समाधान के लिए कुछ नए प्रावधान किए गए हैं । वाहन उत्सर्जन के मानकों को शासित करने वाले प्रावधान 1.7.1992 से लागू किए गए थे तथा विगत वर्षों में इन्हें उत्तरोत्तर कठोर बनाया गया है । भारत स्टेज-॥ उत्सर्जन मानक 1.4.2005 से पूरे देश में पहले ही लागू हैं । 11 महानगरों में चार पहिए वाले वाहनों के लिए भारत स्टेज-।।। उत्सर्जन मानक 1.4.2005 से लागू हैं ।

1.4.3 विभाग ने पीयूसी मानकों को लागू करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2006-07 से प्रदूषण जांच उपस्कर देने का निर्णय लिया । वर्ष 2007-08 के दौरान 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 74 स्मोक मीटर और 70 गैस एनालाइजर संस्वीकृत किए गए

जबकि वर्ष 2008-09 में 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 121 स्मोक मीटर और 116 गैस एनालाइजर आपूर्ति हेतु संस्वीकृत किए गए ।

2. राष्ट्रीय डाटा बेस नेटवर्क

(करोड़ रु.)

विवरण	बजट प्राक्कलन 2008-09	संशोधित प्राक्कलन 2008-09	बजट प्राक्कलन (प्रस्तावित) 2009-10
कंप्यूटर प्रणाली एवं राष्ट्रीय डाटाबेस	70.00	70.00	50.00
डाटा संग्रहण, अनुसंधान एवं विकास	5.00	5.00	6.00

2.1 कंप्यूटर प्रणाली एवं राष्ट्रीय डाटाबेस

देश में सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण करने तथा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों द्वारा जारी किए जाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण दस्तावेज में एकरूपता लाने के लिए एक परियोजना तैयार की गई, जो 2001 से लागू है । इस योजना का उद्देश्य सड़क परिवहन क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग का समावेश करना है । बैक-एंड कंप्यूटरीकरण का उद्देश्य विद्यमान ड्राइविंग लाइसेंसों, पंजीकरण प्रमाण पत्रों तथा परमिट के ब्योरों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के स्तर पर एक मानकीकृत समान साफ्टवेयर में शामिल करना है जो अनिवार्य रूप से राज्य स्तर पर और बाद में राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ा होगा । फ्रंट-एंड प्रचालन में, परिवहन अनुप्रयोग विनिर्देश के लिए साझा स्मार्ट कार्ड प्रचालन प्रणाली के आधार पर स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना शामिल है ।

2.1.1 केन्द्रीय स्तर पर स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र दोनों के लिए 31.8.2004 को एन आई सी में 'सिमैट्रिक की इंफ्रास्ट्रक्चर' की स्थापना की गई । वाहन (पंजीकरण प्रमाण पत्र) और सारथी (ड्राइविंग लाइसेंस) की पायलट परियोजनाएं 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पहले ही लागू कर दी हैं । इनमें से 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने रोल-आउट प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ कर दी है । दिल्ली, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम, त्रिपुरा, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर ने स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है । सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्रों के राष्ट्रीय और राज्यीय रजिस्टरों के सृजन के लिए 148 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की एक परियोजना को वर्ष 2008 में अनुमोदित किया । वर्ष 2008-09 के दौरान 69.76 करोड़ रुपए की राशि एन आई सी को जारी की गई है । इस परियोजना के लिए वित्त वर्ष 2009-10 में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ।

2.2 डाटा संग्रहण, अनुसंधान और विकास

2.2.1 परिवहन अनुसंधान पक्ष नीति नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी जैसे उद्देश्यों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और पोत परिवहन मंत्रालय के विभिन्न पक्षों को डाटा सहायता और आर्थिक विश्लेषण के रूप में सहायता प्रदान करता है । परिवहन अनुसंधान पक्ष राष्ट्रीय स्तर पर सड़कों, सड़क परिवहन, पत्तनों (समुद्री कार्गो की मात्रा और संघटन, कार्गो हैंडलिंग प्रचालनों के क्षमता संकेतक और पत्तन वित्त आदि), नौवहन, पोत निर्माण और पोत मरम्मत तथा अंतर्देशीय जल परिवहन जैसे क्षेत्रों से संबंधित डाटा और सूचना के संग्रहण, संकलन और वितरण के लिए नोडल एजेंसी है । सड़कों, पत्तनों, नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों से संबंधित परिवहन डाटा के संग्रहण, संकलन और प्रकाशन के अलावा यह पक्ष विभिन्न प्राथमिक/द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त डाटा की सुसंगता और तुलनीयता के लिए इनकी जांच और प्रमाणन का काम भी करता है ।

2.2.2 सड़क और सड़क परिवहन क्षेत्रों के लिए परिवहन अनुसंधान पक्ष द्वारा किसी योजना अथवा गैर-योजनागत स्कीम को लागू नहीं किया जा रहा है । सड़क और सड़क परिवहन क्षेत्रों को शामिल करते हुए परिवहन अनुसंधान पक्ष द्वारा प्रकाशित प्रमुख प्रकाशन इस प्रकार हैं :-

(i) **आधारभूत सड़क सांख्यिकी (बीआरएस)** जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों, शहरी सड़कों, ग्रामीण सड़कों और परियोजना सड़कों सहित सड़क नेटवर्क संबंधी आंकड़े/सूचना दी जाती है । लगभग 280 स्रोत एजेंसियां आंकड़े उपलब्ध कराती हैं जिनका उपयोग आधारभूत सड़क सांख्यिकी के लिए किया जाता है । आधारभूत सड़क सांख्यिकी का नवीनतम अंक जुलाई, 2008 में प्रकाशित किया गया जिसमें मार्च, 2004 तक की स्थिति के अनुसार आंकड़े दिए गए ।

(ii) **सड़क परिवहन वार्षिकी** जिसमें वाहन वर्गीकरण की दृष्टि से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल पंजीकृत मोटर वाहनों; बसों के सरकारी और निजी स्वामित्व; सड़क दुर्घटनाओं; मोटर वाहन कराधान एवं किराया ढ़ांचा; वाहन करों, शुल्क से प्राप्त राजस्व आदि से संबंधित ब्योरा दिया गया है । मार्च, 2006 तक के नवीनतम आंकड़ों को वर्ष 2006-07 की सड़क परिवहन वार्षिकी में शामिल कर लिया गया है ।

(iii) **राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा :** यह प्रकाशन व्यापक संगठनात्मक वर्गीकरण (राज्य सड़क परिवहन निगम, कंपनियां [कंपनी अधिनियम के तहत निगमित], नगर पालिका उपक्रमों और विभागीय उपक्रम) के संदर्भ में प्रत्येक राज्य सड़क परिवहन उपक्रम के भौतिक और वित्तीय दोनों प्रकार के कार्य निष्पादन प्रस्तुत करता है । इसके अतिरिक्त, इसमें विभिन्न अभिनिर्धारित मानदंडों के संदर्भ में राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के भौतिक और वित्तीय कार्यनिष्पादन का विवरण भी दिया जाता है । विद्यमान 47 राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों में से लगभग 33 से 35 राज्य सड़क परिवहन उपक्रम, अपेक्षित फार्मेट में नियमित आधार पर आंकड़े दे रहे हैं । वर्ष 2008-09 के दौरान, परिवहन अनुसंधान पक्ष द्वारा वर्ष 2006-07 की वार्षिक समीक्षा के अतिरिक्त तीन तिमाही समीक्षाएं

अर्थात् (क) अक्तूबर-दिसंबर, 2006; (ख) अप्रैल-जून, 2007; और (ग) जुलाई-सितंबर, 2007 प्रकाशित की गई । नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट सितंबर, 2007 को समाप्त तिमाही की है ।

(iv) **भारत में सड़क दुर्घटनाएं** नामक प्रकाशन में सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित विभिन्न पहलुओं/मानदंडों को शामिल किया जाता है जिनमें दुर्घटनाओं के कारण भी शामिल हैं । वर्ष 2008-09 के दौरान, इसका नवीनतम अंक, जिसमें कलैंडर वर्ष 2006 के आंकड़े शामिल हैं, प्रकाशित किया जा चुका है और वर्ष 2007 का अंक तैयार किया जा रहा है । ये आंकड़े एशिया पेसिफिक रोड एक्सीडेंट डाटाबेस (एपीआरएडी) - भारतीय सड़क दुर्घटना डाटाबेस (आईआरएडी) से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की एशिया और प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा प्रायोजित परियोजना के 19 मदों वाले फार्मेट में एकत्र किए जाते हैं ।

2.2.3 वर्ष 2007-08 के दौरान, भारतीय सड़कों पर माल एवं यात्री यातायात की मात्रा, माल यातायात में अंतरार्राज्यीय बाधाओं की आर्थिक लागत और ट्रक उद्योग की अर्थव्यवस्था नाम से तीन अध्ययन कार्य मै0 जेपीएस एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड को सौंपे गए थे । वर्ष 2007-08 के दौरान, 35.21 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई थी । वर्ष 2008-09 के दौरान, सड़क परिवहन क्षेत्र से संबंधित दो अध्ययन कार्यों की पहचान की गई थी लेकिन निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण इन अध्ययन कार्यों को सौंपा नहीं जा सका । तथापि, वर्ष 2008-09 के दौरान, चालू अध्ययन कार्यों के लिए 35.21 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई थी ।

3. 11वीं योजना की नई स्कीमें

3.1 निरीक्षण एवं अनुरक्षण केन्द्र की स्थापना

(करोड़ रु.)

बजट प्राक्कलन 2008-09	संशोधित प्राक्कलन 2008-09	बजट प्राक्कलन (2009-2010)
7.00	7.00	10.00

3.1.1 मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 59 के अंतर्गत, केन्द्र सरकार के पास विभिन्न श्रेणियों के मोटर वाहनों की आयु निर्धारित करने का अधिकार है । तथापि, अभी तक इस धारा का प्रयोग नहीं किया गया है । केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 82 और 88 के अंतर्गत, केवल पर्यटक परमिट और राष्ट्रीय परमिट के लिए वाहनों की कतिपय श्रेणियों की 'आयु' निर्धारित की गई है । इस मंत्रालय का यह विचार यह रहा है कि बेहतर रूप से अनुरक्षित पुराना वाहन भी बदतर रूप से अनुरक्षित अपेक्षाकृत नए वाहन से कम प्रदूषणकारी हो सकता है । कोई भी वाहन सड़क पर तब तक चल सकता है जब तक वह मोटर यान अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 की सुरक्षा,

उत्सर्जन और फिटनेस (उपयुक्तता) मानकों से संबंधित अपेक्षाओं को पूरा करता है । देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए भी वाहन की आयु निर्धारित करना उचित नहीं होगा ।

3.1.2 प्रत्येक परिवहन वाहन को प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख से दो वर्ष बाद प्रत्येक वर्ष उपयुक्तता जांच करानी होती है । गैर परिवहन वाहन को एक बार पंजीकृत हो जाने के बाद 15 वर्षों तक उपयुक्तता जांच की आवश्यकता नहीं है । अत: मंत्रालय का यह सुविचारित मत है कि उत्सर्जन तथा सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करने वाले वाहनों की पहचान करने के लिए निरीक्षण एवं अनुरक्षण की समुचित प्रणाली को अवश्य लागू किया जाना चाहिए । सार्वजनिक निजी भागीदारी से विभिन्न राज्यों में ऐसे निरीक्षण एवं अनुरक्षण केन्द्रों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता होगी । वर्ष 2009-10 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 10.00 करोड़ रु. आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है । इस योजना को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

3.2 जीपीएस आधारित स्वचालित किराया वसूली जैसी सूचना प्रौद्योगिकी लागू करने सहित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना

(करोड़ रुपए)

बजट प्राक्कलन 2008-09	संशोधित प्राक्कलन (2008-2009)	बजट प्राक्कलन (2009-2010)
24.99	24.99	35.00

3.2.1 विगत वर्षों से सार्वजनिक परिवहन में कमी हमारे परिवहन नियोजन की विफलताओं में से एक है । वाहनों के कुल बेड़े में बसों का हिस्सा वर्ष 1951 के 11% से अधिक की तुलना में घटकर वर्ष 2004 में 1.1% रह गया है | इससे निजी वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप भीड़-भाड़, प्रदूषण और दुर्घटनाओं जैसे प्रतिकूल परिणाम सामने आए हैं । इसके अलावा, इस स्थिति से विषमता भी पैदा होती है क्योंकि गरीब व्यक्ति परिवहन सेवाओं से वंचित हो जाते हैं । इस स्थिति को बदले जाने की आवश्यकता है । प्रस्ताव है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में जीपीएस आधारित स्वचालित किराया वसूली प्रणाली जैसी सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करने सहित अपनी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में राज्यों की मदद करने करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से केन्द्रीय स्तर पर प्रावधान किए जाएं । तथापि, ऐसी वित्तीय सहायता उन्हीं राज्यों को दी जाएगी जो सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार करने के लिए उपाय करने के लिए तत्पर होंगे । इस योजना में निम्नलिखित सुझाव शामिल हैं :-

- केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच एक समझौता ज्ञापन, जिसमें अनेक सुधार जैसे सार्वजनिक परिवहन के पक्ष में कराधान को युक्तिसंगत बनाना, निजी तथा सार्वजनिक प्रचालकों की बीच बराबरी की प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनाना, किराया निर्धारण के मामले में स्वतंत्रता, आधारभूत अवसंरचना में सुधार, राज्य

परिवहन उपक्रमों के व्यावसायिक प्रबंधन आदि शामिल हों, पर सहमति बनाई जा सकती है ।

- केन्द्र सरकार ऐसे राज्यों को सार्वजनिक परिवहन के बढ़े हुए प्रावधान और प्रयोग के प्रमाणनीय सूचकांकों द्वारा मापे जा सकने वाले सुधारों के एजेंडे के संदर्भ में प्राप्त की जाने वाली उपलब्धि से जोड़कर उन्हें एकमुश्त अनुदान दे सकती है । केन्द्र सरकार इसके लिए राज्यों द्वारा बस बेड़े के नवीनीकरण तथा उसमें वृद्धि करने सहित सार्वजनिक परिवहन में निवेश के लिए संसाधन जुटाने के लिए गारंटी भी दे सकती है । योजना आयोग ने इस स्कीम के लिए अपना सैद्धांतिक अनुमोदन अभी हाल में दिया है । वर्ष 2009-10 के दौरान इस प्रयोजनार्थ 35.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है ।

3.3 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का सृजन

(करोड़ रुपए)

बजट प्राक्कलन 2008-09	संशोधित प्राक्कलन 2008-09	बजट प्राक्कलन 2009-2010
0.01	0.01	72.00*

* यह धनराशि, केन्द्रीय सड़क निधि से डीजल और पेट्रोल पर उपकर की कुल आय के 1% हिस्से के रूप में उपलब्ध कराई जा सकती है ।

3.3.1 तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय के पूर्व सचिव और टाटा ऊर्जा शोध संस्थान (टीईआरआई) के गणमान्य सदस्य श्री एस.सुंदर की अध्यक्षता में गठित सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट माननीय मंत्री (पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग) को दिनांक 20.02.2007 को प्रस्तुत की थी । समिति ने संसद के पृथक अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के सृजन की सिफारिश की थी । इस संबंध में मंत्रिमडल नोट का प्रारूप संबंधित मंत्रालयों/विभागों में दिनांक 11.02.2009 को परिचालित किया गया है । वर्ष 2009-10 के लिए इस प्रयोजनार्थ 72.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है । वर्ष 2009-10 के लिए लक्ष्य परिव्यय/परिणाम बजट अनुबंध में दिया गया है ।

<u>निगरानी तंत्र</u>

सड़क परिवहन क्षेत्र की योजनाओं पर निगरानी रखने के लिए एक अंतरर्निहित तंत्र विद्यमान है । की गई कार्रवाई संबंधी अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही सड़क सुरक्षा योजना के अंतर्गत भुगतान राशि जारी की जाती है । केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान को आदर्श चालक प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना के काम की निगरानी, पर्यवेक्षण करने और तकनीकी सहायता देने के लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है । संस्थान की रिपोर्टों के आधार पर ही दूसरी और उसके बाद की किश्तें संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/संगठनों को जारी की जाती हैं ।

अनुबंध-I

परिणामी बजट 2009-10 दर्शाने वाला विवरण
(2009-10 के भौतिक और वित्तीय लक्ष्य)
राज्यों के लोक निर्माण विभाग

शीर्ष	क्र.सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (करोड़ रु0)
योजना कार्य	1.	मिसिंग लिंको का निर्माण (कि0मी0)	18.00	80.00
	2.	एकल लेन को दो लेन का बनाना (कि0मी0)	1672.00	1195.00
	3.	कमजोर दो लेनों का सुदृढ़ीकरण (उठाना) (कि0मी0)	1159.00	730.00
	4.	सड़क गुणता सुधार (कि0मी0)	2032.00	920.00
	5.	बाइपासों का निर्माण (सं0)	22.00	190.00
	6.	आरओबी सहित पुलों का निर्माण/मरम्मत (सं0)	80.00	180.00
	7.	चार और अधिक लेन बनाना (कि0मी0)	150.00	160.00
	8.	अन्य		95.00
		कुल वित्तीय परिव्यय		**3550.00**

अनुबंध-II

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

वित्तीय परिव्यय और परिणाम/लक्ष्य का विवरण : 2009-10 (तिमाही और मासिक)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/ वास्तविक	व्यय (अनुमानित व्यय) - 2009-10 (करोड़ रूपये में)													लक्ष्य/ वास्तविक	परिमाणात्मक सुपुर्दगी योग्य (कि.मी. में)				
			तिमाही 1			तिमाही 2			तिमाही 3			तिमाही 4			योग		तिमाही 1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4	योग
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च							
1	राराविप चरण -I (सुदृढ़ीकरण सहित 4/6 लेन में चौड़ा करना)	लक्ष्य			484.34			435.21			310.97			322.79	1553.31	4 लेन और उससे अधिक लेन में चौड़ा करने का लक्ष्य	49	4	53.00	95	201
	-		121.09	169.52	193.74	174.08	130.56	130.56	108.84	108.84	93.29	96.84	96.84	129.12	1553.31						
	-	वास्तविक		0.00			0.00			0.00					0.00	पूर्णता के लिए वास्तविक					0
	-														0.00						
2	राराविप चरण -II (सुदृढ़ीकरण सहित 4/6 लेन में चौड़ा करना)	लक्ष्य			2775.61			2295.29			2492.14			2804.73	10367.77	4 लेन और उससे अधिक लेन में चौड़ा करने का लक्ष्य	597	299	413	476	1785
			693.90	971.46	1110.24	918.12	688.59	688.59	872.25	872.25	747.64	841.42	841.42	1121.89	10367.77	पूर्णता के लिए वास्तविक					0
		वास्तविक		0.00			0.00			0.00					0.00	ठेका देने हेतु लक्ष्य	60	0	235	27	322
															0.00	ठेका देने हेतु वास्तविक					
3	राराविप चरण -III (सुदृढ़ीकरण सहित 4/6 लेन में चौड़ा करना)	लक्ष्य			1654.75			2124.36			2622.01			2869.87	9270.99	4 लेन और उससे अधिक लेन में चौड़ा करने का लक्ष्य	255	152	285	410	1102
			413.69	579.16	661.90	849.74	637.31	637.31	917.70	917.70	786.60	860.96	860.96	1147.95	9270.99	पूर्णता के लिए वास्तविक					0
		वास्तविक		0.00			0.00			0.00					0.00	ठेका देने हेतु लक्ष्य	1030	3112	1339	910	6391
															0.00	ठेका देने हेतु वास्तविक					
4	राराविप चरण -IV (सुदृढ़ीकरण सहित पेव्ड शोल्डर के साथ 2लेन में चौड़ा करना)	लक्ष्य		32.50			32.50			32.50			32.50		130.00	ठेका देने हेतु लक्ष्य					
			8.13	11.38	13.00	13.00	9.75	9.75	11.38	11.38	9.75	9.75	9.75	13.00	130.00	वास्तविक ठेका					
		वास्तविक													0.00						

5	राराविप चरण IV (स्व.च. और अन्य पर चुनिन्दा खंडों को 6 लेन का बनाना)	लक्ष्य	1068.90			1629.35			2098.25			2214.02			7010.52	6 लेन और उससे अधिक लेन में चौड़ा करने का लक्ष्य	31	8	15	23	77
			267.23	374.12	427.56	651.74	488.81	488.81	734.39	734.39	629.48	664.21	664.21	885.61	7010.52	पूर्णता के लिए वास्तविक					0
		वास्तविक	0.00			0.00			0.00						0.00	ठेका देने हेतु लक्ष्य	439	795	1121	702	3057
															0.00	ठेका देने हेतु लक्ष्य					
6	राराविप चरण -VI (एक्सप्रेस मार्गों का विकास करना)	लक्ष्य	75.75			105.75			135.75			85.75			403.00	ठेका देने हेतु लक्ष्य					
			18.94	26.51	30.30	42.30	31.73	31.73	47.51	47.51	40.73	25.73	25.73	34.30	403.00						
		वास्तविक														ठेका देने हेतु वास्तविक					
7	राराविप चरण -VII (रिंग रोड़ो बाईपासो, ग्रेड सेपरेटरो, सर्विस रोड़ो आदि)	लक्ष्य	152.00			207.00			443.00			397.00			1199.00	ठेका देने हेतु लक्ष्य				30	30
			38.00	53.20	60.80	82.80	62.10	62.10	155.05	155.05	132.90	119.10	119.10	158.80	1199.00						
		वास्तविक														ठेका देने हेतु वास्तविक					
8	ऋणों/उधारों की अदायगी और उस पर ब्याज तथा वार्षिकियों के भुगतान संबंधी देयताएँ	लक्ष्य	144.00			1644.00			144.00			167.00			2099.00	लक्ष्य					
		वास्तविक			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00						
															0.00	वास्तविक					

अनुबंध-III

परिणामी बजट 2009-10 दर्शाने वाला विवरण
(2009-10 के भौतिक और वित्तीय लक्ष्य)

बी आर डी बी

शीर्ष	क्र.सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (करोड़ रु0)
योजना कार्य	1.	मिसिंग लिंकों का निर्माण (कि0मी0)	5.00	3.00
	2.	एकल/मध्यम लेन को दो लेन का बनाना (कि0मी0)	37.00	80.00
	3.	कमजोर दो लेनों के पेवमेंट का सुदृढ़ीकरण (उत्थापन) कि0मी0	124.00	45.00
	4.	चार और अधिक लेन बनाना (कि0मी0)	6.00	18.00
	5.	बाइपास का निर्माण (सं0)	7.00	54.00
	6.	आरओबी के निर्माण सहित पुलों का निर्माण/मरम्मत (सं0)	120.00	131.00
	7.	सड़क गुणता सुधार (कि0मी0)	304.00	117.00
	8.	अन्य	829.32	152.00
		कुल		**600.00**

अनुबंध -IV

सड़क परिवहन 2009-10 के परिणामी बजट संबंधी विवरण

(वर्ष 2009-10 के भौतिक और वित्तीय लक्ष्य)

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2009-10 (करोड़ रू0)	परिमाणात्मक सुपुर्दगीय/भौतिक निर्गम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	**सड़क सुरक्षा**						
	(i)असंगठित क्षेत्र में चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास।	गैर सरकारी संगठनों/ संस्थानों के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के भारी मोटर वाहनों के चालकों को प्रशिक्षण प्रदान करना और राज्य परिवहन विभाग के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना	20.00	प्रशिक्षित किए जाने वाले चालकों की संख्या और राज्य परिवहन विभाग /मंत्रालय के अधिकारियों के लिए संचालित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	70000 चालक प्रशिक्षित किए जाने हैं। 20 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाने हैं।	वार्षिक	यह, संगठनों से प्रस्ताव समय पर प्राप्त होने पर निर्भर करता है ।
	(ii) प्रचार उपाय तथा जागरुकता अभियान	रेडियो, टीवी और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार अभियान द्वारा सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना।	27.50	टीवी/रेडियो पर प्रसारित की जाने वाली वीडियो/रेडियो झलकियों की संख्या	360 वीडियों झलकियां तथा 1230 रेडियो झलकियां प्रसारित की जानी हैं । इसके अलावा, सड़क सुरक्षा पर समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दिए जाने हैं ।	वार्षिक	यह डीएवीपी की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है ।
	(iii) सड़क सुरक्षा उपस्कर और प्रदूषण जांच व नियंत्रण	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इंटरसेप्टर और प्रदूषण जॉच उपस्कर जैसे सड़क सुरक्षा उपस्कर प्रदान करना ।	6.50	बहुद्देश्यीय यातायात वाहन (एमटीवी) प्रदान करने की योजना की एक पदनामित समिति द्वारा समीक्षा की जा रही है जो यह जाँच करेगी कि बहुद्देश्यीय यातायात वाहनों को प्रदान किए		वार्षिक	समीक्षा के परिणाम के आधार पर खरीद की जाएगी ।

				जाने की आवश्यकता है अथवा इसके स्थान पर विभिन्न स्वतंत्र घटक प्रदान किये जाएं			
	(iv) राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना	राज्य सरकारों/ गैर सरकारी संगठनों को क्रेन और एंबुलेंस प्रदान करना । इस योजना का प्रमुख उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों को उचित समय सीमा के अंदर चिकित्सा सहायता प्रदान करना है ताकि समय की अधिक बर्बादी न हो और यातायात का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के लिए दुर्घटना स्थल को साफ किया जा सके ।	25.00	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर सरकारी संगठनों को प्रदान की जाने वाली क्रेनों की संख्या	30 क्रेनें, 25 छोटी/मध्यम आकार की क्रेनें और 70 एंबुलेंसें, प्रदान की जाएंगी।	वार्षिक	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर सरकारी संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त होने हैं ।
2.	**राष्ट्रीय डाटा बेस नेटवर्क**						
	(i) कंप्यूटर प्रणाली और राष्ट्रीय डाटा बेस	मोटर वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के बारे में मानकीकृत अद्यतन सूचना तैयार करना और सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों/ राज्य परिवहन प्राधिकरणों की नेटवर्किंग	50.00	परिमाणात्मक लक्ष्य निर्दिष्ट नहीं किए जा सकते ।	लागू नहीं	लागू नहीं	राज्य सरकारों की तत्परता चाहिए ।
	(ii) समस्त इंजीनियरी समाधान सहित डाटा संगहण, अनुसंधान एवं विकास तथा परिवहन अध्ययन	सड़क परिवहन क्षेत्र से संबंधित अध्ययन कार्य/अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं शुरू किया जाना/सौंपना	6.00	शुरू किए जाने वाले अध्ययन कार्यों/अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की संख्या	तीन अध्ययन कार्य/ अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी	वार्षिक	निविदादाताओं से प्रतिक्रिया

3	**11वीं योजना की नई स्कीमें**						
	निरीक्षण और अनुरक्षण केन्द्रों की स्थापना	सार्वजनिक निजी भागीदारी से निरीक्षण और अनुरक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।	10.00	स्कीम को अंतिम रूप दिया जाना है	2 से 3 केन्द्र संस्वीकृत किए जाने हैं।	वार्षिक	आदर्श निरीक्षण और अनुरक्षण केन्द्र तैयार किया जा रहा है ।
	जीपीएस आधारित स्वचालित किराया वसूली प्रणाली जैसी सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करने सहित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना और इसमें सुधार करना ।	सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना ।	35.00	भौतिक निर्गम के अनुमान नहीं लगाया जा सकता		वार्षिक	केन्द्र/राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने हैं और राज्यों द्वारा सुधार किए जाने हैं ।
	राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का सृजन	राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड की स्थापना करना	72.00	इस स्तर पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता			मंत्रिमंडल का अनुमोदन अपेक्षित है
			252.00				

अध्याय-III

मंत्रालय द्वारा किए गए सुधार उपाय और नीतिगत पहल का प्रभाव

सड़क पक्ष

10वीं योजना के निष्पादन की व्यापक समीक्षा से पता चलता है कि लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि में कमी रही है जो भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण स्वीकृतियों, सड़क उपरि पुलों की स्वीकृतियों, कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याओं, पुनर्वास तथा बंदोबस्त संबंधी समस्याओं में विलंब और कुछ मामले में ठेकेदार के निम्न स्तरीय कार्य निष्पादन में विलंब के कारण हुई है । सरकार ने राजमार्ग परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भूमि अधिग्रहण

नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है जो राज्य सरकारों के साथ समय-समय पर विभिन्न मुद्दों जिनमें, प्रभावी समन्वय स्थापित करना अपेक्षित है, के बारे में समन्वय करते हैं । इसके अलावा, वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि सुविधाओं के स्थानांतरण में तेजी लाकर और कानून और व्यवस्था समस्याओं को कम करके कार्य की प्रगति तीव्रतर की जाए। इस विभाग को विधि मंत्रालय से परामर्श किए बिना राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु अधिसूचनाएं जारी करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है ।

पर्यावरणीय और वन संबंधित स्वीकृति

इसके अलावा, पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित मुद्दों को उठाया गया है जिनमें यह प्रस्ताव किया गया कि आर ओ डब्ल्यू के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली 60 मीटर तक की चौड़ाई की भूमि जो राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहीत की जानी है, के मामले में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित न हो । इसके अलावा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को पर्यावरणीय स्वीकृतियों के बारे में एकरूप नीतिगत दिशानिर्देश सुझाए गए हैं ।

आर ओ बी स्वीकृति

- रेलवे से आर ओ बी/आर यू बी की शीघ्र स्वीकृति हेतु, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और संबंधित रेलवे मंडल द्वारा नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं ।
- जोनल स्तर पर विभिन्न लंबित स्वीकृतियों की समीक्षा के लिए समय समय पर बैठकें की जाती हैं ।
- आर ओ बी निर्माण के लिए स्वीकृति की प्रगति की समीक्षा के लिए रेलवे बोर्ड के स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों की भी समय समय पर बैठकें की जाती हैं ।

- आर ओ बी के निर्माण को शीघ्र करने के लिए रेलवे बोर्ड के सुझाव पर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लागत जमा आधार पर आर ओ बी के निर्माण के लिए इरकॉन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ।
- रेलवे बोर्ड द्वारा इरकॉन के जनरल एरेंजमेंट ड्राइंग को छोड़कर निर्माण के विभिन्न स्तरों पर डिजाइनों को अनुमोदित करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं ।

ठेकेदारों द्वारा घटिया कार्य निष्पादन

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कार्य निष्पादित न करने वाले (नॉन पर्फोर्मिंग) ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग पर कुछ ठेकेदारों के ठेके रद्द किए है ।

एन एच डी पी की तीव्र प्रगति के लिए सरकार द्वारा उठाए गए नवीनतम कदम:-

मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है । यह समिति, चालू परियोजनाओं में राज्य स्तरीय कमीयों से आने वाली बाधाओं, भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण समस्याओं सहित केन्द्र-राज्यों संबंधी मामलों का निपटारा करेगी।

सड़क परिवहन

वाहक अधिनियम 1865 को रद्द करना

माल तथा संपत्ति का संचलन देश के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है । कार्यकलापों की इस संपूर्ण श्रृंखला में विभिन्न प्लेयरों की भूमिका होती है जिनकी वजह से माल की ढुलाई हो पाती है और इसलिए यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो जाती है। इस समय सामान्य वाहक के अधिकारों और दायित्वों से संबंधित कानून, वाहक अधिनियम, 1865 में उल्लिखित है । इसके अधिनियमन के समय, वाहक अधिनियम में माल के परिवहन के सभी साधनों अर्थात् रेल, सड़क और अंतर्देशीय जल परिवहन को शामिल किया गया था ।

वाहक अधिनियम, 1865 के अधिनियमन के बाद से कई परिवर्तन हुए है । वर्ष 1865 के बाद से सड़क परिवहन उद्योग में अनेक परिवर्तन हो चुके हैं । बिचौलियों अथवा बुकिंग अधिकर्ताओं/दलालों का एक वर्ग उभरकर सामने आया है जो सड़क द्वारा माल/संपत्ति के परिवहन में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। वाहक अधिनियम, 1865 में विनिर्दिष्ट प्रतिपूर्ति के लिए 100 रू0 की देयता है, जो वर्तमान मूल्य सूचकांक और ढुलाई किए गए माल के मूल्य को देखते हुए बहुत कम और नगण्य हो गई है । इस अधिनियम में सामान्य वाहकों के पंजीकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं है । इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम में सड़क द्वारा परिवहन व्यापार के परिष्कार तथा मिश्रता जैसी कि आज है, की परिकल्पना नहीं की

गई है । इसके अलावा, अब परिवहन के विभिन्न विधियों के लिए अलग –अलग विधिनियम हैं उदाहरणार्थ रेल द्वारा परिवहन का विनियमन रेल अधिनियम, 1989 द्वारा किया जाता है । इसी प्रकार, माल तथा संपत्ति का परिवहन जिसमें परिवहन की विभिन्न विधियां शामिल हैं, बहु-विध परिवहन अधिनियम (मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एक्ट), 1993 द्वारा विनियमित किया जाता है और माल आदि के विमान द्वारा ढुलाई के लिए विमान द्वारा वहन अधिनियम, 1972 है । इसलिए, सड़क द्वारा व्यापार तथा परिवहन की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाहक अधिनियम, 1865 के कार्यक्षेत्र और अनुप्रयोज्यता को पुन: परिभाषित करने की आवश्यकता हो गई है ।

उपर्युक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, राज्य/केंद्रीय मंत्रियों और ट्रांसपोर्टरों के साथ गहन परामर्श करने के पश्चात् सड़क द्वारा वहन विधेयक तैयार किया गया । केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 19.4.2007 को हुई अपनी बैठक में सड़क द्वारा वहन विधेयक, 2007 को अनुमोदन प्रदान किया था और जिसे बाद में संसद द्वारा सितंबर, 2007 में पारित कर दिया गया था । इस विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् सड़क द्वारा वहन विधेयक, 2007 को 01 अक्तूबर, 2007 को अधिसूचित कर दिया गया है । इस अधिनियम के बनने से सड़क द्वारा ढुलाई की व्यवस्था को सामान्य वाहक के पंजीकरण और सामान्य वाहक तथा परेषक के बीच दायित्व के युक्तिसंगत आबंटन के माध्यम से परिवहन व्यापार की प्रणालियों और प्रक्रियाओं को पारदर्शी तथा आधुनिक बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है । इस अधिनियम को प्रभाव में लाने से पूर्व इस अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने के लिए एक कार्य दल का गठन किया गया है ।

राष्ट्रीय सड़क परिवहन नीति

वर्ष 2004 में राष्ट्रीय सड़क परिवहन नीति का मसौदा तैयार किया गया था और यह मसौदा राज्य सरकारों/अन्य हितधारियों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था । इस नीति के मसौदे को इस मंत्रालय की शासकीय वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया गया था । राष्ट्रीय सड़क परिवहन नीति के प्रारूप पर सभी क्षेत्रों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई । विभिन्न हितधारियों से प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय सड़क परिवहन नीति को अंतिम रूप दिए जाने के लिए श्री डी.थंगराज, पूर्व प्रधान सचिव (परिवहन), कर्नाटक सरकार की अध्यक्षता में अक्तूबर, 2006 में एक समिति बनाई गई थी । इस समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय सड़क परिवहन नीति को अपनाए जाने की सिफारिश करते हुए 27.3.2008 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी ।

2 थंगराज समिति द्वारा संस्तुत राष्ट्रीय सड़क परिवहन नीति में भारतीय अर्थव्यवस्था में मोटरीकरण स्तर से संबंधित मसले शामिल हैं और इसमें उक्त नीति की आवश्यकता पर बल दिया गया है । इस नीति का लक्ष्य निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करना है:

- ✓ आधुनिक, ऊर्जा कुशल और पर्यावरण अनुकूल सड़क परिवहन सेवाओं को बढ़ावा देना।
- ✓ सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) की उच्च वृद्धि दर बनाए रखने के लिए यात्री और माल के आवागमन के लिए सड़क अवसंरचना सहायता को बढ़ावा देना ।
- ✓ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और सेवा की अपेक्षित गुणता सुनिश्चित करना।
- ✓ सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और दुर्घटना के बाद अभिघात देखभाल को बढ़ावा देना ।
- ✓ डाटा संग्रहण और प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ करना ।
- ✓ पर्याप्त प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।

3 इस नीति में राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य सड़कों दोनों ही के लिए सड़क अवसंरचना सहायता को बढ़ावा देने के लिए उपायों का उल्लेख किया गया है । ये उपाय हैं: सड़क परिवहन क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी, सार्वजनिक और निजी संचालकों के बीच प्रतिस्पर्धा के लिए समान आधार सुनिश्चित करने के लिए एक सड़क परिवहन विनियामक की आवश्यकता, माल यातायात का सहज आवागमन सुनिश्चित किए जाने के उपाय, अधिक भार लदान की समस्या हल किए जाने के उपाय, मानव संसाधन की आवश्यकता और प्रशिक्षण । इसमें सड़क दुर्घटनाओं, सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन, टिकाऊ सड़क परिवहन विकास, सड़क परिवहन क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास, डाटा संग्रहण प्रणाली और डाटा विश्लेषण में सुधार आदि से संबंधित मामलों पर भी विचार किया गया है । नीति दस्तावेज में, देश में सड़क परिवहन क्षेत्र की वृद्धि के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न आवश्यक उपाय सुझाए गए हैं ।

4 सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उनकी टिप्पणियां/विचारों के लिए मंत्रिमंडल नोट का एक मसौदा 18.12.2008 को परिचालित कर दिया गया है ।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति का मसौदा वर्ष 2004 में तैयार किया गया था और इसे अंतिम रूप प्रदान किए जाने के लिए आम जनता तथा हितधारियों की टिप्पणियों/सुझावों के साथ श्री एस. सुंदर, पूर्व सचिव (जल भूतल परिवहन मंत्रालय) की अध्यक्षता में गठित सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन समिति को भेजा गया था । सुंदर समिति ने सरकार को एक ऐसी नीति तैयार करने की सिफारिश की थी जिसमें सड़क सुरक्षा संबंधी कानूनों/दिशानिर्देशों के प्रवर्तन पर निगरानी रखने के लिए सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन बोर्ड नामक एक समर्पित एजेंसी के सृजन की परिकल्पना की गई है । इस बोर्ड के सृजन संबंधी प्रस्ताव पर उच्चतम स्तर पर विचार किया जा रहा है ।

समिति द्वारा संस्तुत सड़क सुरक्षा नीति के उद्देश्य/मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- ❖ सड़क सुरक्षा संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना । ऐसा करने से सड़क सुरक्षा को प्रोत्साहित करने में अर्थपूर्ण भूमिका निभा सकने का अधिकार विभिन्न हितधारियों को प्राप्त होगा ।
- ❖ सड़क सुरक्षा संबंधी सूचना डाटाबेस की स्थापना करना ।
- ❖ अधिक सुरक्षित सड़कों के डिजाइन तैयार करके, कुशल परिवहन प्रणाली के अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करने आदि से अधिक सुरक्षित सड़क अवसंरचना सुनिश्चित करना ।
- ❖ वाहनों में डिजाइन, विनिर्माण, उपयोग, संचालन और अनुरक्षण स्तर पर सुरक्षा उपस्कर/साधन फिट किया जाना सुनिश्चित करना ।
- ❖ चालकों की क्षमता और कुशलता में सुधार के लिए चालक लाइसेंस जारी किए जाने और प्रशिक्षण दिए जाने की प्रणाली को सुदृढ़ बनाना ।
- ❖ मोटर रहित परिवहन की आवश्यकता के साथ-साथ निशक्त व्यक्तियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नाजुक सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के लिए उपाय करना ।
- ❖ सड़क सुरक्षा संबंधी शिक्षा और प्रशिक्षण के संबंध में जागरूकता पैदा करना ।
- ❖ सुरक्षा कानूनों को लागू करने के लिए उचित उपाय करना ।
- ❖ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए आपातकालीन चिकित्सा सुनिश्चित करना ।
- ❖ सड़क सुरक्षा के लिए मानव संसाधन विकास और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना।
- ❖ देश में सड़क सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विधायी, संस्थागत और वित्तीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना ।
- ❖ सड़क सुरक्षा संबंधी नीति के दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन एक समर्पित एजेंसी अर्थात् राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाना ।

2. राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बोर्ड के सृजन के साथ-साथ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति अपनाने के लिए मंत्रिमंडल नोट का एक मसौदा दिनांक 11.2.2009 को संबंधित मंत्रालयों/विभागों में परिचालित कर दिया गया है ।

अध्याय-IV

वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान कार्य निष्पादन की समीक्षा

सड़क पक्ष

योजना-वार भौतिक कार्य निष्पादन

राष्ट्रीय राजमार्ग :-

(करोड़ रु.)

2007-08 (योजना)		2008-09 (योजना)		2009-10 (योजना)
ब.प्रा.	**सं.प्रा.**	**ब.प्रा.**	**सं.प्रा.**	***20198.00**
14530.00	14541.00	*17370.00	*17470.00	

*इसमें आई ई बी आर की राशि भी शामिल है

इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की कुल लंबाई 70,548 कि.मी. है । यह भारतीय सड़क नेटवर्क का मात्र 2% है लेकिन इस पर कुल यातायात का 40% यातायात होता है । वर्ष 2008-09 के दौरान जारी कार्यों और नए कार्यों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली के विकास के लिए संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान 17,470.00 करोड़ रु. है । इसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निवेश के रूप में दी गई धनराशि भी शामिल है ।

राज्य लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्ग

एन एच डी पी के विभिन्न चरणों के अंतर्गत शामिल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के अलावा, लगभग 50,952 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनको बजट धनराशि में से उपलब्ध निधियों से विकसित/ अनुरक्षित किया जा रहा है । राष्ट्रीय राजमार्गों पर विभिन्न विकास कार्य शुरू किए गए हैं जिनमें सड़क गुणता विकास, चार और छह लेन बनाने का कार्य, सुदृढ़ीकरण, बाइपासों का निर्माण और पुलों का पुनर्निर्माण/निर्माण आदि कार्य शामिल हैं । वर्ष 2008-09 के दौरान कुल 4,579.00 करोड़ रु. की लागत के नए प्रस्ताव संस्वीकृत किए गए हैं । कुल 1,153 कि.मी. एकल लेन वाली सड़कों को दो लेन का बनाया गया है, 77 पुलों के पुनर्निर्माण/निर्माण के कार्यों और 1009 कि.मी. के सुदृढ़ीकरण के कार्यों को पूरा कर लिया गया है । प्रमुख परियोजनाओं के ब्योरे नीचे दिए गए हैं :

क. 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, राज्य लोक निर्माण विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यान्वयन के अंतर्गत 20 करोड़ रु. से अधिक लागत वाली प्रमुख जारी परियोजनाएं:-

वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान मंत्रालय द्वारा राज्य लोक निर्माण विभाग/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जरिए कार्यान्वित करवाई जा रही 20 करोड़ रु. या इससे अधिक की लागत वाली कुल 37 परियोजनाएं (गैर-एनएचडीपी) हैं जिनकी कुल

लागत 2,086.62 करोड़ रु. है । परियोजना की लागत, परिणाम, प्रगति की वर्तमान स्थिति और भावी योजनाएं और लक्ष्य के ब्योरे **अनुबंध-क** में दिए गए हैं ।

ख. अनुरक्षण और मरम्मत :-

(करोड़ रु.में)

2007-08				2008-09				2009-10
ब.प्रा.		**सं.प्रा.**		**ब.प्रा.**		**सं.प्रा.**		**ब.प्रा.**
योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	गैर योजना
-	**814.38**	**-**	**1001.68**	**-**	**792.03**	**-**	**948.47**	**1036.44**

इस शीर्ष के अंतर्गत पूरे देश के राष्ट्रीय राजमार्गों के संरक्षण और उचित रख-रखाव के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाती है । विगत 6 दशकों के दौरान भारतीय सड़कों पर यातायात की मात्रा में असाधारण वृद्धि हुई है; 1950-51 और 2002-03 के बीच, भाड़ा यातायात में 101 गुना वृद्धि हुई है जबकि यात्री यातायात में 132 गुना वृद्धि हुई है । इस अवधि के दौरान, कुल भाड़ा यातायात में सड़क क्षेत्र का हिस्सा बढ़कर 12 से 65 प्रतिशत हो गया है जबकि यात्री यातायात में यह 25 से बढ़कर 85 प्रतिशत हो गया है । तथापि, सड़क नेटवर्क और राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के व्यापक होने के साथ-साथ गुणता और क्षमता बढ़ाने के बारे में गंभीर समस्याएं भी आ खड़ी हुई हैं । हाल के वर्षों में श्रमिक दिहाड़ी में वृद्धि, विशेषकर पेट्रोलियम उत्पादों जैसी सामग्री की कीमतों में तीव्र वृद्धि की वजह से राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत लागत में भी वृद्धि आई है । इन कठिनाइयों के बावजूद, आवश्यकता की तुलना में धनराशि की उपलब्धता लगभग 40% रही है ।

ग. सार्वजनिक निजी भागीदारी

सरकार ने सड़क विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कर छूट, सड़क निर्माण उपस्करों और मशीनों के शुल्क मुक्त आयात जैसे कई प्रोत्साहनों की पहले ही घोषणा की है । सार्वजनिक निजी भागीदारी के अधीन फिलहाल दो मॉडलों का अनुसरण किया जा रहा है जिनमें (i) बी ओ टी (पथकर) आधारित मॉडल और (ii) बी ओ टी (वार्षिकी) आधारित मॉडल है ।

- **बी ओ टी (पथकर) आधारित परियोजनाएं** : अभी तक निर्माण, प्रचालन और हस्तांरण (पथकर) आधार पर लगभग 38,168.04 करोड़ रु. लागत की 94 परियोजनाएं सौंपी गई हैं। इनमें से 43 परियोजनाएं पूरी हो गई है और 51 परियोजनाएं प्रगति पर हैं ।
- **बी ओ टी (वार्षिकी) आधारित परियोजनाएं** : निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (वार्षिकी) आधार पर लगभग 9411.88 करोड़ रु. लागत की 25 परियोजनाएं सौंपी गई हैं जिनमें से 9 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं ।

3. केन्द्रीय सड़क निधि

दिसंबर, 2000 में केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम को अधिनियमित करके इस निधि को सांविधिक दर्जा दिया गया है । डीजल और पेट्रोल की बिक्री से वसूली गई उपकर राशि को निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों में वितरित किया जाता है :-

उपकर [पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 1.50 रु.] का वितरण

(i) हाई स्पीड डीजल पर वसूले गए उपकर का 50% ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए निश्चित किया गया है, जो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

(ii) हाई स्पीड डीजल पर उपकर का 50% और पेट्रोल पर वसूले गए संपूर्ण उपकर का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाता है

- ऐसी धनराशि के 57.5% के बराबर धनराशि, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए;
- 12.5% के बराबर की धनराशि सड़क के उपरि/नीचे पुलों का निर्माण तथा मानव रहित रेलवे क्रासिंग पर सुरक्षा के लिए; और
- 30% के बराबर धनराशि राज्यीय सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए । इस धनराशि में से 10% धनराशि अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की राज्यीय सड़क स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को आबंटित किए जाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आरक्षित रखी जाती है ।

(iii) 1.4.2005 और उसके बाद से पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लगया गया 0.50 रु0 के अतिरिक्त उपकर धनराशि केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए उपयोग की जाती है ।

- राज्यीय सड़कों के विकास के लिए वर्ष 2008-09 में केन्द्रीय सड़क निघि से 5126.81 करोड़ रु. की लागत के 1313 कार्य संस्वीकृत किए गए हैं । जबकि वर्ष 2000 में केन्द्रीय सड़क निघि स्कीम की शुरुआत से लेकर मार्च, 2009 तक 14945.64 करोड़ रु. धनराशि के कुल 5993 कार्य संस्वीकृत किए गए हैं और उनके ब्योरे **अनुबंध-ख** में दिए गए हैं ।

अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की सड़क :-

भारत सरकार ने 27 दिसंबर, 2000 को केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 को अधिनियमित करते हुए डीजल और पेट्रोल पर उपकर लगा कर यह निर्णय लिया कि राज्यीय सड़कों के लिए सी आर एफ का 10% हिस्सा मंत्रालय की अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की राज्यीय सड़कों के विकास संबंधी स्कीम के अधीन सड़कों के विकास के लिए अभिनिर्धारित किया जाए । संशोधित केंद्रीय सड़क निधि के लागू हो जाने के बाद यह

निर्णय लिया गया कि भारत सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क की सड़क/पुल परियोजनाएं पूर्णतया वित्तपोषित होंगी और आर्थिक महत्व की परियोजनाएं 50% तक वित्तपोषित की जाएंगी । मोटे तौर पर, इस स्कीम के अधीन सड़क/पुल परियोजनाओं की निम्नलिखित श्रेणियां सहायता अनुदान हेतु पात्र हैं :-

i. यातायात के सुगम प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अंतर्राज्यीय सड़कें/पुल ।
ii. राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाली सड़कें /पुल ।
iii. आर्थिक संवृद्धि के नए क्षेत्रों, जहां निकट भविष्य में रेलवे सुविधाएं मुहैया नहीं की जा सकती हैं, को खोलने के लिए अपेक्षित सड़कें/पुल ।
iv. ऐसी सड़कें/पुल जो पहाड़ी क्षेत्रों और खनिज संपन्न क्षेत्रों के तेजी से विकास में सहायक हो ।

इन स्कीमों के अधीन राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 'सैद्धांतिक रूप में' अनुमोदित परियोजना के वर्ष वार ब्योरे नीचे दिए गए हैं :

(करोड रू0 में)

वर्ष	**आर्थिक महत्व**		**अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क**	
	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	**केन्द्र का हिस्सा (50%)**	**अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या**	**केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णत: वित्तपोषित**
2001-02	23	53.92	52	220.98
2003-04	28	46.26	18	67.31
2004-05	30	101.13	46	232.94
2005-06	16	60.99	29	187.06
2006-07	14	51.66	41	239.87
2007-08	20	74.22	31	342.78
2008-09	20	81.19	27	303.20
जोड़	**151**	**469.37**	**244**	**1594.14**

अभी तक आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क स्कीम के अधीन सैद्धांतिक रूप में अनुमोदित प्रस्तावों के राज्य वार ब्योरे **अनुबंध-ग** में देखे जा सकते हैं ।

वर्ष 2009-10 के दौरान लगभग 283.00 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है जिसमें, उड़ीसा में दुबूरी-ब्रह्मणीपाल-नरनपुर-क्योंझर सड़क परियोजना के लिए 30.00 करोड़ रुपए, जम्मू कश्मीर में मुगल रोड के लिए 20 करोड़ रुपए और हिमाचल प्रदेश में तनदई-थिरोट-किलार-संसारी सड़क के लिए 3.00 करोड़ रुपए शामिल है ।

अनुबंध -क

31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार 20 करोड़ रुपए और उससे अधिक लागत की चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की लागत

क्र. सं०	राज्य	परियोजना/सड़क का नाम	परियोजना की संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपए) मूल- मूल लागत सं- संशोधित लागत	परियोजना के प्रारंभ होने की तारीख	ठेके के अनुसार परियोजना के पूरा होने की तारीख अर्थ क्षमता अंतर वित्तपोषण- अनंतिम	पूरा होने की लक्ष्य तारीख	31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार संचयी भौतिक प्रगति	31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार व्यय (करोड़ रुपए)	टिप्पणी
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	आंध्र प्रदेश	राष्ट्रीय राजमार्ग 214 के 105/5 किमी. में गोदावरी नदी की वैनतेय ब्रांच पर पहुंच मार्गों सहित बड़े पुल का निर्माण	49.63 (मूल) 70.43 (सं.)	अप्रैल-07	2/अप्रैल/2010	2/अप्रैल/2010	41%	23.68	कार्य प्रगति पर है
2	आंध्र प्रदेश	रारा- 16 के किमी 135/200 पर गोदावरी नदी पर बड़े पुल का निर्माण	48.96 (मूल)		मार्च 2010 (अ)	निविदा स्तर पर है			
3	आंध्र प्रदेश	रारा- 202 के 124/000 से 130/600 में सड़क गुणता सुधार सहित चार लेन बनाना	24.39 (मूल)		1-दिस.-2011	प्राप्त पूर्व अर्हता निविदाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है			
4	असम	रारा- 54ई के आर-पार जल निकासी कार्यों आदि के निर्माण सहित किमी 244/000 से 275/000 (डीटोचेरा - बालचेरा) तक दो लेन बनानी और सुदृढ़ीकरण	43.79 (मूल)		मार्च 2010 (अ)	राज्य सरकार द्वारा निविदा प्राप्त की जानी है			
5	असम	रारा- 36 के किमी 39/800 से 55/760 में पेव्ड शोल्डर सहित सुदृढ़ीकरण और ह्यूम पाइप पुलियाओं(किमी 16.151) का निर्माण	21.79 (मूल)		मार्च 2010 (अ)	मंत्रालय में संशोधित प्राक्कलन प्राप्त			

6	असम	रारा- 36 के किमी 62/000 से 64/260 और 69/760 से 90/760 में पेव्ड शोल्डर (किमी 24.107) सहित सुदृढ़ीकरण	26.76 (मूल)		मार्च 2010 (अ)	मंत्रालय में संशोधित प्राक्कलन प्राप्त			
7	असम	रारा- 37 के किमी 115/000 से 134/000 में सुदृढ़ीकरण और रारा- 37 के किमी 125/000 पर पालशवाड़ी की ओर जाने वाली सड़क में जंक्शन का तक सुधार कार्य	20.01 (मूल)		मार्च 2010 (अ)	राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा शीघ्र ही सौंप दिए जाने की संभावना है			
8	असम	रारा- 37 के किमी 134/000 से 140/000 में चार लेन बनाना और एलजीबीआई विमानपत्तन जंक्शन पर उपरिपुल का निर्माण	46.16 (मूल)	राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा शीघ्र ही सौंप दिए जाने की संभावना है					
9	बिहार	रारा- 101 के किमी 0/000 से 14/500 में दो लेन बनाना	20.99 (मूल)	कार्य सौंपा जा चुका है और कार्य प्रारंभ हो चुका है					
10	बिहार	रारा- 104 के 15 X 24 के भुतही बालां पुल का निर्माण	24.66 (मूल)	कार्य सौंपने की प्रक्रिया चल रही है					
11	गुजरात	रारा- 8सी के इस्कॉन जंक्शन पर उपरि पुल का निर्माण	25.27 (मूल)	निविदा मंत्रालय में अनुमोदन के अधीन है					
12	हरियाणा	रारा- 10 के किमी 255/850 पर रेवाड़ी-भटिंडा रेल लाइन पर रेल क्रासिंग संख्या 4/43 पर रेल उपरि पुल का निर्माण	34.22 (मूल)	7-नव.-2008	7-मई-2010	7-मई-2010	0%	0.86	डिजाइन अनुमोदन की जांच की जा रही है ।
13	हिमाचल प्रदेश	राष्ट्रीय राजमार्ग 20 के चक्की खेड पर पहुंच मार्गों सहित पीसीएम सड़क पर किमी. 12/000 में 540 एमटी स्पैन बड़े पुलों का पुनर्निर्माण	20.76 (मूल) 34.10 (सं.)	4-जन.-2008	1-मार्च-2010	1-मार्च-2010	53%	17.11	कार्य प्रगति पर है
14	हिमाचल प्रदेश	रारा- 88 के किमी 140/800 से 145/800 तक हमीर पुर बाइपास का निर्माण	27.51 (मूल)	2.3.2009 को संस्वीकृत					

15	झारखंड	राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के नामकुम में स्वर्णरेखा नदी पर उच्चस्तरीय पुल तथा पहुंच मार्गों का निर्माण और सड़क उपरि पुल व फ्लाईओवर का निर्माण	26.30 (मूल) 45.22 (सं.) (मंत्रालय का हिस्सा 18.69 रु.)	16-अक्तू.-2008	15-अक्तू.-2010	15-अक्तू.-2010	5%	3.66	कार्य प्रगति पर है
16	झारखंड	रारा- 75ई के किमी 177/000 से 189/000 में चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	27.81 (मूल)	निविदा का मूल्यांकन किया जा रहा है ।					
17	झारखंड	रारा- 75ई के किमी 190/000 से 202/000 में चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	31.48 (मूल)	निविदा का मूल्यांकन किया जा रहा है ।					
18	कर्नाटक	राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के 237/000 से 264/000 किमी. (27.0 किमी.) में सड़क गुणता सुधार	14.21 (मूल) 21.99 (सं.)	4/जन./2008	मई-09	मई-09	74%	17.81	ठेका निरस्त कर दिया गया है और मामला मध्यस्थता में विचाराधीन है।
19	कर्नाटक	रारा- 218 के किमी 92/000 से 118/000 किमी में चौड़ीकरण	23.15 (मूल)	कार्य अदेश जारी कर दिया गया है | कार्य अभी सौंपा जाना है |					
20	कर्नाटक	रारा- 207 के किमी 30/000 से 57/300 किमी में सड़क गुणता सुधार	21.13 (मूल)	निविदा स्तर पर है .					
21	कर्नाटक	रारा- 206 के किमी 91/000 से 103/000 किमी और किमी 106/000 से 118/000 किमी में दो लेन बनाना	22.23 (मूल)	निविदा स्तर पर है .					
22	कर्नाटक	रारा- 206 के किमी 212/000 से किमी 227/000 में दो लेन बनाना	22.33 (मूल) 35.64 (सं.)	17-जन.-2009	16-जन.-2012	16-जन.-2012	8%	0.31	कार्य प्रगति पर है
23	कर्नाटक	रारा- 212 के किमी 240/500 में काबिनी नदी पर बड़े पुल का निर्माण	36.56 (मूल)	निविदा स्तर पर है					
24	केरल	रारा- 17 के 5100 मी. से 11960 मी. में कालीकट बाइपास चरण-।। का निर्माण	32.62 (मूल) 35.64 (सं.)	30-मार्च-2009	29-सित.-2011	30-सित.-2011		3.76	कार्य प्रगति पर है

25	केरल	रारा- 17 के किमी 434/000 से किमी 438/827 में पुनर्संरेखण और किमी 437/375 तथा किमी 436/380 (सीएच. 1875) के बीच सड़क के दोनों ओर 280.80 मी. लंबी वायाडक्ट सहित एडापल्ली में स्थित सड़क उपरि पुल के निकटतम पहुंच मार्गों का निर्माण	14.25 (मूल) 17.29 (प्रथम संशोधित) 24.16 (दूसरी बार संशोधित)	25-अग.-2005	1-सित.-2007	1-जून-2009	49%	12.92	कार्य प्रगति पर है
26	केरल	रारा- 17 के कोडुंगलूर बाइपास के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण	56.73 (मूल)	निविदा संशोधित प्राक्कलन अनुमोदित ।. कार्य अभी सौंपा जाना है ।					
27	केरल	रारा- 17 के किमी 93/600 पर पाडनक्कड सड़क उपरि पुल के पहुंच मार्गों का निर्माण	14.68 (मूल) 29.94 (सं.)	17-जन.-2009	16-जन.-2012	16-जन.-2012	8%	0.31	कार्य प्रगति पर है
28	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय राजमार्ग 6 के अकोला शहर के बाहर बाइपास का निर्माण	44.75 (मूल) 67.50 (सं.)	21-मार्च-2007	27-मार्च-2009	27-मार्च-2010	52%	39.12	कार्य प्रगति पर है
29	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय राजमार्ग 17 के 0/000 से 21/508 किमी. (21.508 किमी.) (4 लेन) तक पत्रादेवी – महाड-पणजी सड़क को जारप से पनवेल तक मिसिंग लिंक का निर्माण	99.85 (मूल) 183.43 (सं.)	26-अक्तू.-2007	25-अक्तू.-2010	25-अक्तू.-2010	33%	52.89	कार्य प्रगति पर है
30	उड़ीसा	रारा- 23 के बुद्धापार्क और तलचर रेलवे स्टेशन के बीच चै. 490/600 पर विद्यमान लेवल क्रासिंग के स्थान पर चेनपाल के निकट किमी 5/287 पर स्थित सड़क उपरि पुल के पहुंच मार्गों का निर्माण	23.10 (मूल) (मंत्रालय का हिस्सा 11.55 करोड रु.)	मोहरबंद निविदा आमंत्रित किए जाने पर एक निविदा प्राप्त हुई जो संस्वीकृत लागत से 231.29% अधिक की थी/ वित्तीय सलाहकार, राज्य लोक निर्माण विभाग ने कार्य के लिए निविदाएं पुन: आमंत्रित किए जाने के लिए कहा ।					

31	तमिलनाडु	राष्ट्रीय राजमार्ग 67 के करूर (218/200 किमी.) से कोयंम्बतूर (332/600 किमी.) तक दोनों ओर पेव्ड शोल्डर का निर्माण तथा विद्यमान दो लेन का सुधार	178.00 (मूल)	21-अग.-2006	20-अग.-2008	20.8.2008 (मूल) 31.12.2009 (सं.)	65%	133.69	भूमि अधिग्रहण और सुविधाओं के स्थानांतरण के कारण विलेब
32	तमिलनाडु	चेन्नै शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग 4, 45 और 205 पर निर्बाध यातायात सुविधाओं का निर्माण करके स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग के पहुंच मार्ग का सुधार	196.00 (मूल) 489.34 (सं.)	7-अप्रैल-2005	06.04.2007 (मूल) 30.03.2008 (सं.)	03.2008 (मूल) 31.12.2008 (सं.) 03.2009 (सं.) 31.12.2009 (सं.)	82%	501.89	भूमि अधिग्रहण और सुविधाओं के स्थानांतरण के कारण विलेब
33	उत्तर प्रदेश	लखनऊ शहर के आसपास 10.794 किमी. में राष्ट्रीय राजमार्ग 24 और 28 को जोड़ते हुए विद्यमान दो लेन की सड़क को 4 लेन के दोहरे कैरिजवे का बनाना और सुदृढ़ीकरण	73.73 (मूल) 99.83 (सं.)	08.05.2002 (मूल) 02.08.2007 (सं.)	07.11.2004 (मूल) 01.11.2008 (सं.)	15/फर./2009	100%	94.83	विभिन्न कारणों से समय सीमा को 7 मई, 2007 तक बढ़ाया गया और तत्पश्चात् ठेका निरस्त कर दिया गया । शेष कार्य मई, 2007 में सौंपा गया। 15 फरवरी, 2009 तक कार्य पूरा कर लिया गया है।
34	उत्तराखंड	राष्ट्रीय राजमार्ग 72 पर किमी 112/000, 123/000, 136/000 और 143/00. पर 4 पुलों का निर्माण	19.75 (मूल) 25.32 (सं.)	अक्तू.-07	अक्तू.-09	अक्तू.-09	60%	10.00	कार्य प्रगति पर है

35	उत्तराखंड	रारा- 72 के लच्छीवाला और दोईवाला बाइपास (विद्यमान चैनेज 174.200 से 180.160 तक) पर सड़क उपरि पुल का निर्माण	38.34 (मूल)	22-जन.-2009	21-जन.-2010	21-जन.-2010	10%	12.00	कार्य प्रगति पर है
36	पश्चिम बंगाल	राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के सड़क उपरि पुल सहित 5.50 किमी. लंबे डलखोला बाइपास का निर्माण	74.78 (मूल)	सित.-06	अग.-08	जुलाई-09	29%	21.02	एनएचएआई द्वारा पूरी भूमि नहीं सौंपे जाने, बिजली संबंधी सुविधाओं के स्थानांतरण और ठेकदार द्वारा संसाधनों के अल्प संग्रहण के कारण विलंब । कार्य पूरा होने की संभावित तिथि जुलाई, 2009 है ।
37	पश्चिम बंगाल	रारा- 31 के किमी 566/000 से 594/000 में विद्यमान पेवमेंट का सुदृढ़ीकरण और किमी 566/000 से 577/500 में दोनों और 1.5मी चौड़े पेव्ड शोल्डर सहित. चौड़ीकरण	26.26 (मूल)	कार्य अभी सौंपा जाना है ।					

अनुबंध-ख

मार्च, 2009 तक केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्वीकृत प्रस्तावों के ब्यौरे

क्रम सं0.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जोड़	
		संख्या	लागत (करोड़ रु0 में)
1	आन्ध्र पदेश	724	1892.33
2	अरुणाचल प्रदेश	38	137.69
3	असम	89	348.24
4	बिहार	65	264.45
5	छत्तीसगढ़	50	299.01
6	गोवा	15	52.48
7	गुजरात	752	1153.65
8	हरियाणा	83	517.05
9	हिमाचल प्रदेश	55	152.18
10	जम्मू और कश्मीर	69	456.94
11	झारखंड	23	223.98
12	कर्नाटक	1296	1292.88
13	केरल	55	354.85
14	मध्य प्रदेश	171	814.75
15	महाराष्ट्र	569	1732.73
16	मणिपुर	12	33.57
17	मेघालय	23	57.44
18	मिजोरम	27	48.47
19	नगालैंड	15	46.15
20	उड़ीसा	162	540.27
21	पंजाब	118	404.10
22	राजस्थान	589	1034.76
23	सिक्किम	18	14.78
24	तमिलनाडु	688	973.23
25	त्रिपुरा	7	28.36
26	उत्तराखंड	55	162.98
27	उत्तर प्रदेश	105	1063.45
28	पश्चिम बंगाल	40	646.50
	योग	**5913**	**14747.27**
29	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2	7.58
30	चंडीगढ़	7	12.68
31	दादरा एवं नगर हवेली	8	2.52
32	दमन एवं दीव	0	0.00
33	दिल्ली	60	167.84
34	लक्षद्वीप	0	0.00
35	पुडुचेरी	3	7.75
	योग	**80**	**198.37**

अनुबंध-ग

2001–02 से 2008-09 के दौरान आर्थिक महत्व और अन्तर्राज्यीय संपर्क स्कीम के अंतर्गत सिद्धान्त अनुमोदित प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रू0 में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आर्थिक महत्व			अन्तर्राज्यीय संपर्क		
		सं0	लागत	केन्द्र का हिस्सा	सं0	लागत	केन्द्र का हिस्सा
1	आन्ध्र प्रदेश	10	77.50	38.75	13	100.37	100.37
2	अरुणाचल प्रदेश	2	17.78	8.89	6	102.32	102.32
3	असम	8	17.94	8.97	12	37.07	37.07
4	बिहार	2	27.81	13.91	3	17.43	17.43
5	छत्तीसगढ़	2	17.17	8.59	5	45.70	45.70
6	गोवा	2	6.72	3.36	1	0.33	0.33
7	गुजरात	26	57.92	28.96	23	80.37	80.37
8	हरियाणा	4	33.01	16.50	7	46.37	46.37
9	हिमाचल प्रदेश	1	8.91	4.46	11	51.46	51.46
10	जम्मू और कश्मीर	7	15.98	7.99	1	67.55	67.55
11	झारखंड	2	42.18	21.09	2	19.00	19.00
12	कर्नाटक	13	80.83	40.42	17	126.66	126.66
13	केरल	0	0.00	0.00	4	31.56	31.56
14	मध्य प्रदेश	10	19.46	9.73	9	67.19	67.19
15	महाराष्ट्र	7	21.87	10.94	27	82.67	82.67
16	मणिपुर	1	30.00	15.00	3	18.92	18.92
17	मेघालय	1	7.00	3.50	2	9.00	9.00
18	मिजोरम	7	64.02	32.01	2	29.02	29.02
19	नागालैंड	5	88.83	44.41	4	46.00	46.00
20	उड़ीसा	13	52.09	26.04	7	58.74	58.74
21	पंजाब	0	0.00	0.00	7	45.87	45.87
22	राजस्थान	0	0.00	0.00	28	100.68	100.68
23	सिक्किम	7	64.99	32.49	9	82.00	82.00
24	तमिलनाडु	9	88.41	44.21	8	39.74	39.74
25	त्रिपुरा	6	43.40	21.70	0	0.00	0.00
26	उत्तराखंड	2	20.86	10.43	9	63.80	63.80
27	उत्तर प्रदेश	1	13.44	6.72	8	64.17	64.17
28	पश्चिम बंगाल	1	17.08	8.54	5	121.27	121.27
29	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
30	चंडीगढ़	2	3.57	1.79	1	4.98	4.98
31	दादरा एवं नगर हवेली	0	0.00	0.00	8	25.25	25.25
32	दमन एवं दीव	0	0.00	0.00	2	8.66	8.66
33	दिल्ली	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
34	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
35	पुडुचेरी	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	जोड़	**151**	**938.75**	**469.38**	**244**	**1594.14**	**1594.14**

वर्ष 2009-10 का पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम का परिणाम बजट

वर्ष 2008-09 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के लिए 1200 करोड़ रुपए की राशि का आबंटन किया गया था । इस राशि में से 623 करोड़ रुपए का व्यय किया गया । दो लेन के समकक्ष मानक वाली कुल 270 किमी सड़कें बनाई गई। पिछले वर्ष तक पूरी गई सड़कों को मिलाकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 450 किमी सड़कें पूरी कर ली गई हैं जबकि ईपीसी आधार पर पूरी किए जाने के लिए 1400 किमी सड़कें अनुमोदित की गई थीं । वर्ष 2008-09 के दौरान जिन महत्वपूर्ण सड़कों पर निर्माण कार्य किया गया उनका विवरण और उनका महत्व नीचे दिया जा रहा है :

राष्ट्रीय राजमार्ग

राष्ट्रीय राजमार्ग 52

वर्ष 2008-09 के दौरान इस राष्ट्रीय राजमार्ग को दो लेन का काम आंशिक रूप से किया गया । यह राजमार्ग, असम के उत्तरी लखीमपुर जिले और धीमाजी जिला मुख्यालय को जोड़ता है और असम तथा अरुणाचल प्रदेश की सीमा के समानांतर चलता है । यह राष्ट्रीय राजमार्ग अरुणाचल प्रदेश के लिए भी एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है । अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण जिला मुख्यालय, पासीघाट को भी यही राजमार्ग जोड़ता है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग 53

वर्ष 2008-09 के दौरान सिलचर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 53 के उत्थापन और इसे दो लेन चौड़ीकरण का कार्य किया गया । उत्थापन और चौड़ीकरण से पहले यह राजमार्ग मानक स्तर से काफी नीचे था और बाढ़ के दौरान पानी में डूब जाया करता था जिसके कारण बराक घाटी, मिजोरम और मणिपुर से यातायात संपर्क टूट जाया करता था । इस राजमार्ग के उत्थापन और चौड़ीकरण से इन क्षेत्रों के लोगों को बहुत राहत मिली है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग 54

वर्ष 2008-09 के दौरान सिलचर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 53 के उत्थापन और इसे दो लेन चौड़ीकरण का कार्य किया गया । उत्थापन और चौड़ीकरण से पहले यह राजमार्ग मानक स्तर से काफी नीचे था और बाढ़ के दौरान पानी में डूब जाया करता था जिसके कारण बराक घाटी, मिजोरम और मणिपुर से यातायात संपर्क टूट जाया करता था । इस राजमार्ग के उत्थापन और चौड़ीकरण से इन क्षेत्रों के लोगों को बहुत राहत मिली है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग 36

वर्ष 2008-09 के दौरान इस राजमार्ग की 71 किमी लंबाई में पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन बनाने का कार्य आगे बढ़ा । यह राजमार्ग असम के सुदूरवर्ती कर्बी आंगलोंग क्षेत्र को पूर्व-पश्चिम महामार्ग से जोड़ता है । उत्तरी कछार (एन सी) पहाड़ियों की तरह, यह क्षेत्र, विद्रोह से प्रभावित

है। सुधारे गए राजमार्ग से इस सुदूरवर्ती क्षेत्र को भी सड़क संपर्क मिल सकेगा और इस पर यातायात 80 से 100 किमी/प्रतिघंटे की गति से चल सकेगा ।

राष्ट्रीय राजमार्ग 51

वर्ष 2008-09 के दौरान इस राजमार्ग की 22 किमी लंबाई में कार्य आगे बढ़ा । यह राजमार्ग तुरा को जोड़ता है, जो मेघालय की गारो पहाड़ियों का एक महत्वपूर्ण जिला मुख्यालय है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग 61

इस राजमार्ग का एक दूरदराज का हिस्सा पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन का बनाया गया । यह राजमार्ग नगालैंड को असम से जोड़ता है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग 152

इस राजमार्ग की कुल लंबाई 38 किमी है । यह असम के पाठशाला स्थान पर भूटान को पूर्व-पश्चिम महामार्ग से जोड़ता है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग 153

राष्ट्रीय राजमार्ग 153 प्रसिद्ध स्टिलवेल रोड का एक हिस्सा है । भारत में स्टिलवेल रोड की कुल लंबाई 57 किमी है । इसमें से 24 किमी लंबाई असम में है । वर्ष 2008-09 के दौरान इस पूरी 24 किमी लंबाई में पेव्ड शोल्डर्स के साथ दो लेन चौड़ीकरण का काम जारी रहा ।

राष्ट्रीय राजमार्ग 154

यह राजमार्ग बराक घाटी के सुदूरवर्ती क्षेत्रों को जोड़ता है जिनमें असम का हेलाकांडी जिला मुख्यालय नगर भी शामिल है । वर्षा ऋतु के दौरान इस राजमार्ग का लगभग 80 किमी लंबा हिस्सा पानी में डूब जाता है जिससे हेलाकांडी जिले के क्षेत्रों के साथ और मिजोरम के काफी बड़े हिस्से के साथ यातायात संपर्क टूट जाता है । वर्ष 2008-09 के दौरान इस राजमार्ग की लगभग 26 किमी लंबाई में काम जारी रहा ।

राष्ट्रीय राजमार्ग से इतर सड़कें

गंगटोक-नाथुला रोड

वर्ष 2008-09 के दौरान इस सड़क की कुल 67 किमी लंबाई में से 43 किमी लंबाई में काम जारी रहा । यह सड़क चीन तक जाती है । नाथुला, भारत-चीन सीमा पर व्यापार का एक स्थल है । इस सड़क का सुधार करके इसे दो लेन के मानक के अनुसार बनाया जा रहा है । विद्यमान सड़क काफी ऊबड़-खाबड़ है और एक पगडंडी के रूप में दिखाई देती है, जो कि यातायात के लिए बहुत ही असुरक्षित है ।

मारम-पेरेन रोड

मारम-पेरिन से 116 किमी की लंबाई में इस सड़क पर काम जारी रहा । मारम, राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर मणिपुर का एक महत्वपूर्ण गंतव्य स्थल है जबकि पेरिन, नागालैंड का एक

जिला मुख्यालय है । यह सड़क इन दो महत्वपूर्ण गंतव्यों के साथ-साथ रास्ते में पड़ने वाले कई स्थानों को जोड़ती है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

मुख्य विशेषताएं

- कुल सम्मिलित लंबाई 9760 कि0मी0
- दो चरणों अर्थात् चरण क और ख सड़कों और राजमार्गों के लिए अरूणाचल प्रदेश पैकेज में कार्यान्वित किए जाने

चरण 'क'

- लंबाई 2616 किमी
- लागत 16,286.00 करोड़ रुपए (लगभग)
- जीबीएस 5,259.00 करोड़ रुपए
- कार्य पूरा करने के लिए लक्ष्य 2012-13

सड़कों की सूची **अनुबंध-घ-I** पर है

चरण 'ख'

- लंबाई 4825 किमी
- लागत 21,094.00 करोड़ रुपए (अनंतिम)
- जीबीएस 64.00 करोड़ रुपए
- कार्य पूरा करने के लिए लक्ष्य 2015-16

सड़कों की सूची **अनुबंध-घ-2** पर है

सड़कों एवं राजमार्गों के लिए अरुणाचल प्रदेश पैकेज

- लंबाई 2319 किमी
- लागत 12,513.00 करोड़ रुपए (अनंतिम)
- जीबीएस 7,096.00 करोड़ रुपए
- कार्य पूरा करने के लिए लक्ष्य 2014-15

सड़कों की सूची **अनुबंध-घ-3** पर है।

- **कार्यक्रम का उद्देश्य**

  - राज्यों की राजधानियों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को 2/4 लेन का बनाना ।
  - पूर्वोत्तर क्षेत्र के 58 जिला मुख्यालयों को कम से कम 2 लेन की सड़क का संपर्क प्रदान करना ।
  - सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के पिछड़ें और सुदूर क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क प्रदान करना ।
  - सीमा क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का सुधार ।
  - पड़ोसी देशों के साथ सड़क संपर्क में सुधार ।

- कार्यक्रम के चरण क में सीमा सड़क संगठन और राज्य लोक निर्माण विभागों और इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जाने के लिए 1400 कि.मी. सड़कें शामिल है जिसके कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा अनुमोदन दे दिया गया है । शेष 1216 कि.मी. में से 824 कि.मी. का कार्यान्वयन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाना है, ईटानगर को चार लेन का सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए 150 कि.मी में कार्य इस मंत्रालय/अरुणाचल प्रदेश, लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा, और वैकल्पिक राजमार्ग से गंगटोक तक 242 कि.मी. लंबाई में कार्य और नाजुक खंडों के सुधार सहित रा.रा.-31ए को 2 लेन का बनाने का कार्य सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाएगा । भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली 824 कि.मी. लंबाई में से बीओटी (वार्षिकी) आधार पर कार्यान्वित की जाने वाली सड़कों की 494 कि.मी. लंबाई के लिए निवेश संबंधी निर्णय निविदा प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् मामला-दर-मामला आधार पर मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति द्वारा लिया जाएगा और इसके पश्चात् सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति से अनुमोदन लिया जाएगा और शेष 330 कि.मी. सड़कों के लिए ईपीसी आधार पर निविदा प्रक्रिया के लिए मंत्रिमंडल समिति ने अनुमोदन प्रदान कर दिया है और मंत्रालय द्वारा निविदाओं के आधार पर निवेश संबंधी निर्णय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति से मांगा जाएगा ।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम का चरण ख केवल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए अनुमोदित किया गया है
- सड़कों एवं राजमार्गों के लिए अरुणाचल प्रदेश पैकेज, जिसमें सड़क खंड की 2319 किमी लंबाई शामिल है, को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के भाग के तौर पर सरकार द्वारा दिनांक 09.01.2009 को अनुमोदित किया गया था । इसमें से 776 किमी को बीओटी (वार्षिकी) आधार पर निष्पादन के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और शेष 1543 किमी के लिए ईपीसी के अंतर्गत निविदा प्रक्रिया के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है । इस मंत्रालय ने बीओटी (वार्षिकी) आधार पर शुरू किए जाने वाले खंड के लिए अर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) आमंत्रित

किया है और 718 किमी के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) मंत्रालय द्वारा जारी कर दिया गया है । ईपीसी आधार पर शुरू किए जाने वाले अन्य खंडों के लिए कार्य निष्पादन एजेंसियों द्वारा विस्तृत परियोजना रिर्पोट (डीपीआर) तैयार की जा रही हैं ।

- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम चरण 'क' के अंतर्गत 1400 कि.मी. सड़कों के गैर-भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के हिस्से में से 3253 करोड़ रू0 की राशि की 1055 कि.मी. की उप परियोजनाएं पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम कार्यों के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त अंतर मंत्रालयी समिति द्वारा अब तक अनुमोदित की जा चुकी है। सड़कों और राजमार्गों के लिए अरूणाचल प्रदेश पैकेज के संबंध में 10 कि.मी. की उप-परियोजनाओं के लिए 125.00 करोड़ रू0 धनराशि के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है । इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के पश्चात् गत वर्षों में अनुमोदन और कार्य निष्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	आबंटन (करोड़ रू0 में)	अनुमोदित लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत राशि (करोड़ रू0 में)	व्यय (करोड़ रू0 में)	तैयार की गई लम्बाई (कि.मी.)
2006-2007	550	501	1275	449	प्रारंभिक
2007-2008	700	240	543	650	180
2008-2009	1000	314	1403	623	270
2009-2010	1200	10	157	-	-
	कुल योग	**1065**	**3378**	**1772**	**450**

प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक सेवाएं

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) के लिए संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी है । इस सेवा के लिए भर्ती, संयुक्त इंजीनियरी सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है । केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) के अधिकारी सिविल इंजीनियरी और यांत्रिक इंजीनियरी सेवाओं के होते हैं । अधिकारियों की संवर्ग प्रशिक्षण योजना में सेवाकालीन तकनीकी अधिकारियों के लिए ढांचागत पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में प्रवेश स्तर पर बुनियादी प्रशिक्षण की परिकल्पना है । इसके अतिरिक्त, अधिकारियों को भारत और विदेश में विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित पेशेवर कार्यक्रमों/कार्यशालाओं में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है । इस मंत्रालय के अधिकारियों को निर्माण उद्योग विकास परिषद, भारतीय सड़क कांग्रेस, इंडियन नेशनल ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ब्रिज एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आदि द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं/संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए भेजा जाता है ।

अनुबंध घ-1

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण 'क' के अंतर्गत सड़कों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	कार्य की व्याप्ति	सड़क की श्रेणी	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)
1	असम	नागांव से डिब्रु गढ तक 2 लेन के विद्यमान रारा 37 को 4 लेन का बनाना। *(बीओटी(वार्षिकी)*	रारा	301
2	मेघालय	रारा-40 और रारा-44 (2 लेन) को जोड़ते हुए नये शिलांग बाईपास का निर्माण *(बीओटी(वार्षिकी)*	रारा	50
3	मेघालय	रारा-40 के विद्यमान 2 लेन के जोराबाट-बाड़ापानी खंड को 4 लेन का बनाना*(बीओटी(वार्षिकी)*	रारा	62
4	नगालैंड	रारा-39 *पर दीमापुर/कोहिमा बाईपास सहित दीमापुर से कोहिमा तक 4 लेन बनाना (बीओटी(वार्षिकी)*	रारा	81
5	असम	सिलचर बाईपास सहित रारा-36, 51, 52, 53, 54, 61,152, 153 और 154 के विद्यमान 2 लेन के सड़क खंड़ों को पेव्ड शोल्डर सहित दोहरी लेन का बनाना	रारा	576
6	मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और असम	मेघालय में जोवई बाईपास सहित रारा- 44, 53, 54 और 154 को 2 लेन का बनाना	रारा	180
7	मेघालय	रारा-40 के विद्यमान 2 लेन के बाड़ापानी-शिलांग खंड और शिलांग शहर में उपरि पुलों का सुधार	रारा	54
8	असम और अरुणाचल प्रदेश	डिब्रुगढ़ से रूपई तक रारा-37 को पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का बनाना और पुनर्संरेखण करना तथा स्टीलवेल सड़क और रारा 38 को पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का बनाना	रारा	161
9	त्रिपुरा	चुरई बाड़ी से सबरूम तक रारा-44 को 4 लेन का बनाना *(ईपीसी आधार पर निविदाएं आमंत्रित)*	रारा	330
10	असम और अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर के लिए 4 लेन का सड़क संपर्क	रारा 37ए, 52 और 52ए	150
11	असम	रारा-37 पर डिब्रुगढ बाईपास को 2 लेन का बनाना (ईपीसी आधार पर)	रारा	14
12	सिक्किम/पश्चिम बंगाल	रारा-31ए के नाजुक खंडों का सुधार	रारा	-
13	सिक्किम/पश्चिम बंगाल	गंगटोक के लिए वैकल्पिक राजमार्ग		242
14	मणिपुर/नगालैंड	मणिपुर को नगालैंड राज्य से जोड़ने के लिए मारम से पेरेम तक राज्य सड़क को 2 लेन का बनाना	राज्यीय सड़क	116
15	अरुणाचल प्रदेश	दुदुनघर से होते हुए लुमला से ताशीगौंग तक सड़क को 2 लेन का बनाना (भारत- भूटान सड़क)	राज्यीय सड़क	36
16	सिक्किम	गंगटोक से नाथुला तक विद्यमान एकल लेन की सड़क को 2 लेन का बनाना	जीएस सड़क	87
17	अरुणाचल प्रदेश	तलीहा-तातो सड़क और मिगिंग-बीले इंटर बेसिन सड़क का सुधार/2 लेन का बनाना	राज्यीय सड़क	176
		कुल जोड़		**2616**

अनुबंध-घ2

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के संशोधित चरण 'ख' के अंतर्गत सड़कों की सूची

क्र सं	सड़क की श्रेणी	सड़क क्षेत्र/ खंड	राज्य	अनंतिम लंबाई (किमी)
I. राष्ट्रीय राजमार्ग				
1	रारा- 150	रारा- 150 के उखरूल से येगांगपोकपी खंड को दो लेन का बनाना	मणिपुर	92
2	रारा- 44ई	रारा- 44ई के नांगस्टोइन-शिलांग खंड को दो लेन का बनाना	मेघालय	83
3	रारा- 62	असम/मेघालय सीमा से डालू तक वाया बाघमारा, दो लेन बनाना	मेघालय	161
4	रारा- 54	रारा- 54 के आइजोल से तुईपांग खंड को दो लेन का बनाना	मिजोरम	380
5	रारा-44ए	11.500 से 130 कि0मी0 तक रारा-44ए को दो लेन बनाना/ पुनर्संरेखण	मिजोरम	119
6	रारा-54ए	रारा-54ए के लुंगलेई-थेरीयट खंड को दो लेन का बनाना	मिजोरम	9
7	रारा-54बी	रारा-54बी के जीरो प्वांइट से सेहा खंड को दो लेन का बनाना	मिजोरम	27
8	रारा- 61	असम/ नगालैंड सीमा से कोहिमा खंड को दो लेन का बनाना	नगालैंड	200
9	रारा- 150	कोहिमा से नगालैंड/मणिपुर सीमा खंड को दो लेन का बनाना	नगालैंड	132
10	रारा- 155	मोकोकचुंग से जेसामी खंड को दो लेन का बनाना	नगालैंड	340
11	रारा-44ए	मानू से त्रिपुरा/मिजोरम सीमा तक दो लेन बनाना/ पुनर्संरेखण	त्रिपुरा	130
		जोड़ (I)		**1673**
II. राज्यीय सड़क				
12	राज्यीय सड़क	गोलाघाट – रंगाजन सड़क को दो लेन का बनाना	असम	7
13	राज्यीय सड़क	लुंमडिंग –दिफू-माजा सड़क को दो लेन का बनाना	असम	56
14	राज्यीय सड़क	हाफलौंग-जतिंगा सड़क को दो लेन का बनाना	असम	8

15	राज्यीय सड़क	धुबरी-गोरीपुर सड़क को दो लेन का बनाना	असम	8.5
16	राज्यीय सड़क	बस्का-बमरा सड़क को दो लेन का बनाना	असम	25
17	राज्यीय सड़क	मोरीगांव-जागी सड़क को दो लेन का बनाना	असम	23
18	राज्यीय सड़क	बारपेटा-हौबली सड़क को दो लेन का बनाना	असम	12
19	राज्यीय सड़क	गोलपाड़ा-सोलमारी सड़क को दो लेन का बनाना	असम	6.5
20	राज्यीय सड़क	कोकराझार-करीगांव सड़क को दो लेन का बनाना	असम	18
21	राज्यीय सड़क	उदलगिरि-रोता सड़क को दो लेन का बनाना	असम	13
22	राज्यीय सड़क	हरंगजाओ-तुरुक से होते हुए बराक घाटी (सिल्चर)-गुवाहाटी सड़क के बीच वैकल्पिक मार्ग को दो लेन का बनाना	असम	285
23	राज्यीय सड़क	तमेंगलोंग-खोनसांग सड़क को दो लेन का बनाना	मणिपुर	40
24	राज्यीय सड़क	पलेल चंदेल सड़क को दो लेन का बनाना	मणिपुर	18
25	राज्यीय सड़क	नांगस्टोइन-रांगजेंग-तुरा सड़क को दो लेन का बनाना	मेघालय	201
26	राज्यीय सड़क	बिलियम नगर से नेंगखरा सड़क और अन्य सड़क को दो लेन का बनाना (14 और 8 किमी की संबंधित लंबाई के साथ दोतरफा संपर्क)	मेघालय	22
27	राज्यीय सड़क	दोमियासत एवं नांगस्टोइन के बीच सड़क को दो लेन का बनाना/मरम्मत/उन्नयन	मेघालय	54
28	राज्यीय सड़क	बोको (गुवाहाटी को बाइपास करते हुए) से नांगस्टोइन तक दो लेन की वैकल्पिक सड़क का निर्माण	मेघालय	125
29	राज्यीय सड़क	लुंगलेई-दीमागिरि सड़क को दो लेन का बनाना	मिजोरम	92
30	राज्यीय सड़क	चंपई-थाउ सड़क को दो लेन का बनाना	मिजोरम	30

31	राज्यीय सड़क	फूटसिरो-झामई सड़क को दो लेन का बनाना	नगालैंड	18
32	राज्यीय सड़क	अतिबंग-खेलमा सड़क को दो लेन का बनाना	नगालैंड	55
33	राज्यीय सड़क	फेक-फूटसिरो सड़क को दो लेन का बनाना	नगालैंड	79
34	राज्यीय सड़क	लोंगलेंग – चांगतोंगया सड़क को दो लेन का बनाना	नगालैंड	35
35	राज्यीय सड़क	तमलू-मेरांगकोंग सड़क को दो लेन का बनाना	नगालैंड	50
36	राज्यीय सड़क	परेन-कोहिमा सड़क को दो लेन का बनाना	नगालैंड	96
37	राज्यीय सड़क	तारकू-नामची सड़क को दो लेन का बनाना	सिक्किम	32
38	राज्यीय सड़क	ग्यालशिंग-शिंगतम सड़क को दो लेन का बनाना	सिक्किम	80
39	राज्यीय सड़क	कैलाशहर-कुमारघाट सड़क को दो लेन का बनाना	त्रिपुरा	26
40	राज्यीय सड़क	कुकीताल से सबरूम सड़क का सुधार	त्रिपुरा	310
		जोड़ (II)		**1825**
III. जीएस सड़क				
41	जीएस सड़क	चंपई-सेलिंग सड़क को दो लेन का बनाना	मिजोरम	150
42	जीएस सड़क	जुनहेबोतो-चकबामा सड़क को दो लेन का बनाना	नगालैंड	128
43	जीएस सड़क	मोन-तमलू सड़क को दो लेन का बनाना	नगालैंड	50
44	जीएस सड़क	गंगटोक-मंगम सड़क को दो लेन का बनाना	सिक्किम	68
		जोड़ (III)		**396**
IV. सामरिक सड़कें				
45	भारत-म्यांमार सड़क	विजयनगर-मिआओ सड़क का सुधार/दो लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	157
46	भारत-म्यांमार सड़क	मिआओ-नमचिक सड़क का सुधार/दो लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	17

47	भारत-म्यांमार सड़क	चांगलोंग से खिमियांग सड़क का सुधार/दो लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	35
48	भारत-म्यांमार सड़क	खिमियांग से सांगकूहावी सड़क का सुधार/दो लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	33
49	भारत-म्यांमार सड़क	सांगकोहावी –लाजू सड़क का सुधार/दो लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	40
50	भारत-म्यांमार सड़क	लाजू-वक्का सड़क का सुधार/दो लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	75
51	भारत-म्यांमार सड़क	वक्का-खानू सड़क का सुधार/दो लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	21
52	भारत-म्यांमार सड़क	खानू-कोणसा सड़क का सुधार/दो लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	30
53	भारत-म्यांमार सड़क	कोणसा-पंचाओ सड़क का सुधार/दो लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	29
54	भारत-म्यांमार सड़क	पंचाओ-नगालैंड सीमा सड़क का सुधार/दो लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	25
55	राज्यीय सड़क	यांगकियांग से बिशिंग (पोरगो वाया गीते-पोगिंग-लिकोर-पालिंग-जीदो) सड़क का सुधार/दो लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	160
56	राज्यीय सड़क	जीदो-सिंघा सड़क का सुधार/दो लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	94
57	राज्यीय सड़क	पांगो-जोरगिंग सड़क का सुधार/दो लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	90
58	राज्यीय सड़क	सरकम प्वांइट-सिंगा वाया इको –डोम्पिंग सड़क का सुधार/दो लेन का बनाना	अरुणाचल प्रदेश	125
		जोड़ (IV)		**931**
		जोड़ (I+II+III+IV)		**4825**

अनुबंध घ-3

सड़कों और राजमार्गों के अरुणाचल प्रदेश पैकेज की सुपुर्दगी की विधि और ब्यौरा

क. दो लेन बनाने के सुधार कार्य के लिए ट्रांस अरूणाचल राजमार्ग के अंतर्गत आने वाली सड़कें

क्र.सं.	सड़क खंड	अनंतिम लंबाई (किमी.)	सुपुर्दगी की विधि
1.	नेचीपू-सेपा सड़क रारा 229	99	वार्षिकी
2.	सेपा-खोदासो रारा 229	110	वार्षिकी
3.	खोदासो-खील-होज, वाया सगली रारा 229	102	वार्षिकी
4.	होज-पोतिन रारा 229	20	ईपीसी
5.	पोतिन-यजली-जिरो रारा 229	71	वार्षिकी
6.	जिरो-दपोरिजो रारा 229	160	वार्षिकी
7.	दापोरिजो-बामे रारा 229	108	वार्षिकी
8.	बामे-आलो रारा 229	42	वार्षिकी
9.	आलो-पानगिन रारा 229	26	वार्षिकी
10.	पानगिन-पासीघाट रारा 229	84	ईपीसी
11	पासीघाट से महादेवपुर रारा 52		
	(i) देवांग घाटी का बड़ा पुल, अलुबरी घाट में बड़े पुल को शामिल करते हुए दिगारू से चौखम तक पुनर्संरेखण के विकल्प के साथ सड़कों ाके जोड़ने वाला	30	वार्षिकी
	(ii) उपर्युक्त (i) में शामिल लंबाई को छोड़ने के पश्चात् शेष खंड को पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का बनाना	140	ईपीसी
12.	महादेवपुर-बोर्दुमसा-नमचिक-जयरामपुर-ममाओ रारा 52 बी	97	ईपीसी
13.	ममाओ-चांगलांग रारा 52 बी	42	ईपीसी
14.	चांगलांग-खोनसा रारा 52 बी	67	ईपीसी
15.	खोनसा-तीसा रारा 52 बी	48	ईपीसी
16.	तीसा-लांगडिंग-कनुबाड़ी रारा 52 बी	80	ईपीसी
17.	कनुबाड़ी-बिमलापुर रारा 52 बी	16	ईपीसी
18.	असम में रारा 52 बी पर बिमलापुर से रारा-37 लिंक	70	ईपीसी
	जोड़ (क)	**1412**	

ख रारा 37 और रारा 52 का मिसिंग लिंक

क्र.सं.	सड़क खंड	अनंतिम लंबाई (किमी.)	डिलीवरी की विधि
1.	रारा 37 पर धोला और सादियाघाट के बीच मिसिंग पुल और उसके पहुंच मार्ग	28	वार्षिकी
2.	सादिया और शांतिपुर होते हुए इस्लामपुर तिनाली से रोइंग तक पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन बनाना	32	ईपीसी
	जोड़ (ख)	**60**	

ग अरुणाचल प्रदेश के 5 जिला मुख्यालयों के लिए दो लेन का सड़क संपर्क प्रदान करने हेतु राज्यीय सड़कों को दो लेन स्तर का बनाना

क्र.सं.	**सड़क खंड**	**अनंतिम लंबाई (किमी.)**	**सुपुर्दगी की विधि**
1.	कोलोरियांग-जोराम सड़क	158	ईपीसी
2.	यांगकियांग-मरियंग-पासीघाट सड़क	140	ईपीसी
3.	अनिनी-मेका सड़क	235	ईपीसी
4.	हवाई-हवा कैंप रोड	165	ईपीसी
5.	हौज-यूपिया-पप्पू सड़क	35	ईपीसी
6.	बेम-लेकाबाली-अकजान सड़क	114	ईपीसी
	जोड़ (ग)	**847**	
	कुल जोड़ (क + ख + ग)	**2319**	

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर क्रियान्वित किए जा रहे प्रमुख विकास कार्यों का ब्योरा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के नाम और स्टाइल के अंतर्गत अध्याय-VI में दिया गया है ।

उपकरण एवं संयंत्र

मशीनरी

अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए, देश में सड़क निर्माण और इसके अनुरक्षण का कार्य त्वरित गति से किया जा रहा है । मंत्रालय के विनिर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण की गुणता केवल सक्षम उन्नत सड़क निर्माण करने वाली मशीनों और परिष्कृत मशीनों (स्वदेशी या आयातित) जो अपेक्षित मानकों को पूरा करने में सहायक हों, की सहायता से ही संभव है । वर्तमान परिदृश्य में, ठेकेदार, पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अन्य जरूरत मंद राज्यों को छोड़कर, आधुनिक/परिष्कृत सड़क निर्माण उपस्करों से पूरी तरह सुसज्जित हैं । पूर्वोत्तर क्षेत्र के इन राज्यों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनेक परिष्कृत मशीनें पहले ही उपलब्ध करा दी गई हैं और इनसे इन पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश सड़कों की सड़क गुणता में सुधार हुआ है । वर्ष 2007-08 के दौरान, सड़क कार्यों के लिए 3.93 करोड़ रुपए की लागत की मशीनें जैसे एक्सकेवेटर कम लोडर, हॉट मिक्स प्लांट (40-60 टीपीएच), टेंडम वायब्रेटरी रोड रोलर (8-10 टन), जेन सेट (125 केवीए) और मेकेनिकल पेवर फिनिशर मंगाई गयीं और राज्यों को उनकी आपूर्ति की गई । वर्ष 2008-09 के दौरान, केन्द्रीय मशीनों के 1.88 करोड़ रुपए (एक करोड़ अट्ठासी लाख रुपए मात्र) के अनुरक्षण एवं मरम्मत प्राक्कलन संस्वीकृत किए गए ।

सड़क परिवहन

2007-08 और 2008-09 के परिणामी बजट में दिए गए लक्ष्यों के संदर्भ में कार्य निष्पादन

क्र. सं.	योजना का नाम	लक्ष्य 2007-08	वर्ष 2007-08 में कार्य निष्पादन	लक्ष्य 2008-09	वर्ष 2008-09 में कार्य निष्पादन
1	**सड़क सुरक्षा**				
	असंगठित क्षेत्र में चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण	60000 चालक प्रशिक्षित किए जाने थे। 20 प्रशिक्षण	इस वर्ष के दौरान 54 गैर सरकारी संगठनों/संस्थानों के माध्यम से 57850 भारी मोटर वाहन चालकों को प्रशिक्षण दिए जाने के लिए संस्वीकृतियां जारी की गई	75000 चालक प्रशिक्षित किए जाने हैं। 20 प्रशिक्षण	77 गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से 70700 चालकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया गया । राज्य परिवहन

	और प्रशिक्षण सहित मानव संसाधन विकास।	कार्यक्रम आयोजित किए जाने थे। आदर्श चालक प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना के लिए राज्यों को प्रगति रिपोर्ट के आधार पर शेष धनराशि जारी की जानी थी ।	थी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और आई डी टी आर, सराय काले खां, दिल्ली में आदर्श चालक प्रशिक्षण संस्थानों की संस्वीकृत चालू परियोजना की समीक्षा की गई और धनराशि जारी की गई । आई डी टी आर, सराय काले खां में प्रशिक्षण कार्य शुरू हो गया है । राज्य परिवहन विभाग के कार्मिकों के लिए वर्ष के दौरान 20 प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए गए ।	पाठ्यक्रम संचालित किए जाने हैं।	विभाग के कार्मिकों के लिए 24 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए हैं।
	प्रचार उपाय तथा जागरुकता अभियान	200 वीडियो झलकियां तथा 400 रेडियो झलकियां प्रसारित की जानी थी । इसके अलावा, सड़क सुरक्षा पर समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दिए जाने थे ।	180 टीवी झलकियां तथा 600 रेडियो झलकियां प्रसारित की गई । सड़क सुरक्षा अभियान के लिए प्रचार सामग्री मुद्रित की गई और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई । सडक सुरक्षा जागरूकता अभियान के लिए 121 गैर सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता संस्वीकृत की गई ।	250 वीडियो झलकियां तथा 800 रेडियो झलकियां प्रसारित की जानी हैं । इसके अलावा, सड़क सुरक्षा पर समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दिए जाने है।	डी ए वी पी को सड़क सुरक्षा प्रचार संबंधी विज्ञापनों के लिए 2.56 करोड़ रु0 जारी किए गए हैं । 490 रेडियो झलकियां प्रसारित की गई । सड़क सुरक्षा अभियान के लिए प्रचार सामग्री मुद्रित की गई और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई । सडक सुरक्षा जागरूकता अभियान के लिए 100 गैर सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता संस्वीकृत की गई ।
	सड़क सुरक्षा उपस्कर और प्रदूषण जांच व नियंत्रण	15 इन्टरसेप्टर मंजूर किए जाने थे ।	74 स्मोक मीटरों और 74 गैस एनालाइजरों की खरीद के लिए आर्डर कर दिया गया है ।	15 इन्टरसेप्टर मंजूर किए जाने हैं।	121 स्मोक मीटरों और 116 गैस एनालाइजरों की आपूर्ति के लिए आर्डर कर दिया गया है । बहुउद्देश्यीय यातायात

					विनियम वाहन जैसे सड़क सुरक्षा उपस्करों की खरीद के संबंध में निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद प्रापण के लिए कोई भी आर्डर नहीं किया जा सका । योजना की समीक्षा यह जांचने की दृष्टि से की जा रही है कि बहुउद्देश्यीय यातायात वाहन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है भी या फिर स्वतंत्र घटकों के प्रावधान से आवश्यकता पूरी हो जाएगी ।
	राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना	50 क्रेनें और 100 एम्बुलेंस प्रदान की जानी थीं ।	100 एंबुलेंसों, 30 क्रेनों और छोटे आकार की 19 क्रेनों की खरीद के लिए आर्डर कर दिया गया है ।	50 क्रेनें और 100 एम्बुलेंस प्रदान की जानी हैं ।	अभिघात केन्द्रों के उन्नयन की योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अभिनिर्धारित और राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित अस्पतालों/अभिघात केन्द्रों के लिए 72 एंबुलेंस संस्वीकृत की गई हैं । 73 एंबुलेंसों के लिए आपूर्ति आर्डर कर दिया गया है । 10 टन की 25 क्रेनें खरीदी गई हैं और विभिन्न राज्यों को दे दी गई हैं । मध्यम और छोटे आकार की क्रेनों की खरीद के संबंध में

					21 क्रेनों के लिए वर्क आर्डर किया गया था और इनकी खरीद आंशिक रूप से पूरी हो चुकी है।
2.	समस्त इंजीनियरी समाधान सहित राष्ट्रीय डाटा बेस और कंप्यूटर प्रणाली, डाटा संगहण, अनुसंधान एवं विकास तथा परिवहन अध्ययन	तीन अध्ययन/ अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं शुरु की जानी हैं ।	आंकड़ों का अंतरण राष्ट्रीय मानक में किए जाने के लिए एन. आई. सी. को 3 करोड़ रु0 जारी गए गए थे । वर्ष 2007-08 के दौरान निम्नलिखित तीन अध्ययन कार्य, नामिका में शामिल परामर्शदाता अर्थात् मेसर्स जे पी एस एसोसिएट्स (प्रा0) लि0 को सौंपे गए हैं : i) भारतीय सड़कों पर माल और यात्री यातायात की मात्रा ii) ट्रक उद्योग की अर्थव्यवस्था iii) अंतर्राज्यीय बाधाओं की आर्थिक लागत इसके अतिरिक्त, एआरएआई और एनएटीआरआईपी को पिछले वर्ष संस्वीकृत अध्ययन कार्यों के लिए दूसरी किस्त जारी की गई थी ।	तीन अध्ययन/ अनुसंधान एवं विकास परियोजनाए शुरु की जानी हैं ।	सड़क परिवहन क्षेत्र में किए जाने के लिए अध्ययन कार्यों को अभिनिर्धारित कर लिया गया है और प्रस्तावों हेतु अनुरोध (आर एफ पी) तैयार किए जा रहे हैं । ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र के राष्ट्रीय/राज्यीय रजिस्टरों के सृजन का प्रस्ताव संस्वीकृत किया गया है । एन आई सी को 69.76 करोड़ रु0 जारी किए गए हैं ।
3.	निरीक्षण और अनुरक्षण केन्द्र की स्थापना	एक अथवा दो केन्द्र संस्वीकृत किए जाने हैं।	योजना को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण संस्वीकृत नहीं किया जाएगा।	एक अथवा दो केन्द्र संस्वीकृत किए जाने हैं।	योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।
4.	जीपीएस आधारित स्वचालित किराया वसूली जैसी सूचना प्रौद्योगिकी		जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन खोज व्यवस्था और स्वचालित किराया वसूली संबंधी प्रायोगिक परियोजना के लिए बीएमटीसी को 80 लाख रु0 की धनराशि संस्वीकृत की गई । बीएमटीसी को प्रथम		योजना आयोग ने फरवरी, 2009 में इस योजना को अनुमोदन प्रदान किया था । व्यय वित्त समिति के लिए नोट, जिसमें इस योजना के लिए

	को लागू करने सहित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करना		किस्त के रूप में 40 लाख रु0 की धनराशि जारी कर दी गई है । इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/ राज्य सड़क परिवहन निगमों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के लिए योजना के कार्यक्षेत्र में विस्तार हेतु एक व्यापक योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।		अनुमोदन मांगा गया है, पर इस मंत्रालय में कार्रवाई चल रही है ।
5.	राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का सृजन		सचिवों की समिति ने 4.3.2008 को हुई अपनी बैठक में इस बोर्ड के सृजन हेतु प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किया । जैसा कि सचिवों की समिति द्वारा निदेश दिया गया है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा निधि में से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निधि वितरण हेतु तंत्र सहित बोर्ड के सृजन संबंधी नोट को व्यय वित्त समिति के विचारार्थ अंतिम रूप दिया जा रहा है ।		ईएफसी ने 3.12.2008 को हुई अपनी बैठक में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बोर्ड के सृजन के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की है । मंत्रालय एक मंत्रिमंडल नोट को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में है जिसमें संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के सृजन के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन मांगा गया है ।

अध्याय V
वित्तीय समीक्षा

परिवहन क्षेत्र में केन्द्र और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के संबंध में वार्षिक योजना 2009-10 में 21931 करोड़ रु0 के सकल परिव्यय की निम्नानुसार परिकल्पना की गई है :-

(करोड़ रु0 में)

क्षेत्र	**बजटीय सहायता(प्रस्तावित)**	**आईईबीआर(प्रस्तावित)**	**कुल**
1	2	3	4
सड़क	15198.00	5000	20198.00
सड़क परिवहन	252.00	-	252.00
कुल	**15450.00**	**5000**	**20450.00**

2007-08 और 2008-09 में किया गया वास्तविक आहरित व्यय / प्रत्याशित व्यय को नीचे विवरण में दर्शाया गया है:-

(करोड़ रु0 में)

क्र.सं.	**विवरण**	**वास्तविक व्यय**		**2008-09**		**2009-10**
		2007-08	2008-09 (अनंतिम)	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	बजट प्राक्कलन
सड़कें						
1	जीबीएस	10119.92	11455.39	2236.00	2220.00	14858.00
	जीबीएस से भिन्न	2220.00	1894.00	12440.00	12451.00	340.00
	जोड़	12339.92	13349.39	13270.00	13770.00	15198.00
2	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम पूल के लिए प्रावधान-जीबीएस का 10%	846.68	849.72	1200.00	1206.00	1511.00

सड़क विकास

इस समय राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 70,548 किलोमीटर है । राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार की स्कीमों /परियोजनाओं में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण, पुलों का पुनर्निर्माण / चौड़ीकरण और बाइपासों का निर्माण शामिल है । हालांकि सरकार राजमार्ग क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए आवर्धित बजटीय आबंटन उपलब्ध करा रही है और उच्च घनत्व वाले महामार्गों के उन्नयन के लिए प्रमुख पहल भी की हैं, फिर भी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त धनराशि आबंटित करना संभव नहीं हो पाया है क्योंकि इसी प्रकार की मांगें अन्य क्षेत्रों से भी मिलती रही हैं । निजी क्षेत्र से होने वाले धनराशि के आप्रवाह से संसाधन अंतर कुछ हद तक कम होने की प्रत्याशा है ।

राज्य लोक निर्माण विभागों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण कार्य राज्यों (राज्यों के लोक निर्माण विभाग कार्यकारी एजेंसी हैं), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया है । राज्य लोक निर्माण विभागों और सीमा सड़क संगठन के पास के राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए बजट प्राक्कलन और संशोधित प्राक्कलन की तुलना में व्यय में समग्र प्रवृति निम्नानुसार है :-

(करोड़ रु0 में)

मद	**2007-08**			**2008-09**			**बजट प्राक्कलन 2009-10**
	बजट प्राक्कलन	**संशोधित प्राक्कलन**	**व्यय**	**बजट प्राक्कलन**	**संशोधित प्राक्कलन**	**व्यय (अनंतिम)**	
योजना							
राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्य	1867.01	@2014.49	2007.88	2142.79	#2853.74	2852.70	3359.55
सीमा सड़क संगठन के अधीन कार्य	499.76	649.76	623.93	650.00	650.00	645.80	600.00
स्थायी पुल शुल्क निधि	90.00	90.00	61.57	90.00	90.00	68.71	90.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम	710.00	710.00	698.02	1200.00	1000.00*	849.72	1511.00
जोड़	**3166.77**	**3464.25**	**3391.40**	**4082.79**	**4593.74**	**4210.93**	**5560.55**
गैर योजना							
राज्य लोक निर्माण विभागों को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्ग	794.32	971.62	952.64	792.03	948.47	807.12	1036.44
बीआरओ को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्ग	20.06	30.06	28.71	26.35	26.00	21.68	24.00
जोड़	**814.38**	**1001.68**	**981.35**	**818.38**	**974.47**	**828.8**	**1030.44**

@ बजट प्राक्कलन प्रावधान 1867.01 करोड़ रुपए
मुख्य शीर्ष-4552 से पुनर्विनियोजन 150.24 करोड़ रुपए
एम एंड ई शीर्ष के लिए किया गया आबंटन (-) 2.76 करोड़ रुपए
बजट प्राक्कलन प्रावधान 2242.79 करोड़ रुपए
मुख्य शीर्ष-4552 से पुनर्विनियोजन 206.00 करोड़ रुपए
एम एंड ई शीर्ष के लिए किया गया आबंटन 4.95 करोड़ रुपए
पूरक 500.00 करोड़ रुपए

* पूर्वोत्तर राज्यों में रारा (मूल) के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के लिए 1000.00 करोड़ रुपए और 206.00 करोड़ रुपए की राशि पुनर्विनियोजित की गई और 206.00 करोड़ रुपए का व्यय उपर्युक्त मद संख्या 1 में किया गया है ।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए धनराशि पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल पर उपकर से प्रदान की जाती है । भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उपकर धनराशि की लीवरेज के लिए बाजार से उधार लेने की अनुमति है । पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर उपकर की वर्तमान दर 2.00 रु0 प्रति लीटर है । भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के बजट से भी धनराशि प्रदान की जाती है ।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए किया गया बजट प्रावधान

2007-08, 2008-09 में किए गए और 2009-10 में प्रस्तावित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बजट में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए किया गया प्रावधान निम्नानुसार है :-

(रु0 करोड़ में)

मद	**2007-08**			**2008-09**			**2009-10**
	बजट प्राक्कलन	**संशोधित प्राक्कलन**	**व्यय**	**बजट प्राक्कलन**	**संशोधित प्राक्कलन**	**व्यय**	
निवेश	6541.06	6541.06	4905.76	6972.47	6972.47	6972.47	8578.45
रा रा वि प्रा चरण-।।।	---	---	---	---	---	---	---
इ ए पी	2236.00	2220.00	1118.00	1894.00	1894.00	1894.00	340.00
जोड़	**8777.06**	**8761.06**	**6023.76**	**8866.47**	**8866.47**	**8866.47**	**8918.45**
आई ई बी आर	2090.00	2090.00		4100.00	4100.00	4100.00	5000.00
कुल जोड़	**10867.06**	**10851.06**		**12966.47**	**12966.47**	**12966.47**	**13918.45**

राज्यीय सड़कों के लिए केन्द्रीय सड़क निधि

केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम को दिसंबर, 2000 में अधिनियमित करके इस निधि को सांविधिक दर्जा दिया गया है । यह निधि डीजल और पेट्रोल की बिक्री पर वसूले जाने वाले उपकर से बनी है । यह मंत्रालय केन्द्रीय सड़क निधि से राज्यीय सड़कों के विकास के लिए धनराशि प्रदान करता है और अन्तराज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व की स्कीम के अंतर्गत सड़कों के विकास के लिए धनराशि भी उपलब्ध कराता है । इस निधि से किया गया आबंटन और व्यय निम्नानुसार है :-

(करोड़ रु0 में)

मद	**2007-08**			**2008-09**			**2009-10**
	बजट प्राक्कलन	**संशोधित प्राक्कलन**	**व्यय**	**बजट प्राक्कलन**	**संशोधित प्राक्कलन**	**व्यय**	
राज्यीय सड़कों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान (केन्द्रीय सड़क निधि)	1566.00	1565.32	1462.29	1617.64	2171.64*	2122.00	2070.06
अन्तराज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान	173.93	173.93	131.30	185.74	185.74	175.65	230.00

* इसमें पिछले वर्ष की अव्ययित शेष धनराशि से आए 500.00 करोड़ शामिल हैं ।

अनुसंधान और विकास

सड़क क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में मुख्य बल, विश्व की सर्वश्रेष्ठ सड़क अवसंरचना से तुलनीय दीर्घकालिक सड़क अवसंरचना के निर्माण पर है । 2008-09 में अनुसंधान और विकास के लिए 8.50 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया था जिसे संशोधित प्राक्कलन स्तर पर कम करके 3.50 करोड़ रूपए कर दिया गया। वर्ष 2008-09 के दौरान, इस धनराशि में से 0.71 करोड़ रूपए व्यय किए गए ।

मशीनरी एवं उपकरण

यह आवश्यक है कि सड़क निर्माण और अनुरक्षण की उच्च गुणता मानकों के लिए आधुनिक और उन्नत किस्म की मशीनों का प्रयोग किया जाए । वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान मशीनरी और उपस्कर की खरीद के लिए 15.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया है ।

सड़क परिवहन

सड़क परिवहन वित्तीय कार्यनिष्पादन वर्ष 2007-2008 और 2008-2009

(करोड़ रु0 में)

	योजना/परियोजना/कार्यक्रम का नाम	बजट प्राक्कलन 2007-2008	व्यय 2007-2008	बजट प्राक्कलन 2008-2009	व्यय 2008-2009
1	**सड़क सुरक्षा**				
	i) असंगठित क्षेत्र में चालकों का पुनश्चर्या प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण सहित मानव संसाधन विकास	15.80	7.78	20.00	6.03
	ii) प्रचार उपाय तथा जागरुकता अभियान	17.40	17.90	25.00	23.35
	iii) राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना	15.00	13.56	22.20	21.93
	iv) सड़क सुरक्षा उपस्कर तथा प्रदूषण जांच उपस्कर	3.80	3.63	5.80	3.44
2	सकल इंजीनियरी समाधान सहित राष्ट्रीय डाटा बेस, कंप्यूटर प्रणाली, डाटा संग्रहण, अनुसंधान एवं विकास तथा परिवहन अध्ययन	5.00	4.66	75.00	71.28
3	निरीक्षण और अनुरक्षण केन्द्र की स्थापना ।	1.00	0	7.00	0
4	जीपीएस आधारित स्वचालित किराया संग्रहण जैसी सूचना प्रौद्योगिकी को लागू किए जाने सहित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना और इसमें सुधार करना।	1.00	0.40	24.99	0.20
5	राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का सृजन	1.00	0	0.01	0
	कुल जोड़	**60.00**	**47.93**	**180.00**	**126.23**

अध्याय-VI

मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सांविधिक तथा स्वायत्त निकायों के कार्य निष्पादन की समीक्षा

सड़क पक्ष

राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान

राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक रजिस्टर्ड सोसायटी है । यह केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों का एक सहयोगी निकाय है । देश में राजमार्ग इंजीनियरों को प्रवेश स्तर पर और सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करने की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से सन् 1983 में इसकी स्थापना की गई थी ।

राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान के व्यापक कार्यकलाप इस प्रकार हैं -

(i) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नवनियुक्त राजमार्ग अभियंताओं को प्रशिक्षण देना ।

(ii) वरिष्ठ और मध्य स्तर के राजमार्ग अभियंताओं के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करना ।

(iii) वरिष्ठ स्तर के राजमार्ग अभियंताओं के लिए अल्पकालीन तकनीकी और प्रबंधन विकास पाठ्यक्रम ।

(iv) विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण और राजमार्ग क्षेत्र में नई प्रवृतियां ।

(v) स्वदेशी और विदेशी प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास।

राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान ने अपने प्रारंभ से लेकर 31 मार्च, 2009 तक 717 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भारत और विदेशों के सड़क विकास के कार्य में लगे 16,548 राजमार्ग एवं पुल अभियंताओं और प्रशासकों को प्रशिक्षण प्रदान किया है । ये प्रतिभागी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, विभिन्न राज्य लोक निर्माण विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र के उपक्रमों तथा राजमार्ग इंजीनियरी के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों से आते हैं । राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय, सार्क तथा कोलंबो योजना कार्यक्रम की तकनीकी सहयोग स्कीम में विदेशों के सरकारी विभागों के इंजीनियरों ने भी भाग लिया है। इसने इंजीनियरों और उनके संगठनों के लिए उपयोगी अनेक मैनुअलों का संकलन भी किया है।

वर्ष 2008-09 (31 मार्च, 2009 तक) के दौरान संस्थान ने 78 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है जिनमें 1700 अभियंताओं ने भाग लिया । इन कार्यक्रमों में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित प्रायोजित और अंतरर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं भी शामिल हैं:-

(i) पीएमजीएसवाई परियोजनाओं संबंधी एनआरआरडीए और राज्य आरआरडीए के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

(ii) तिरुवनंतपुरम में केरल राज्य लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के लिए सड़क सुरक्षा कार्यक्रम ।

(iii) गुवाहाटी और हैदराबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि एवं यातायात) नियंत्रण अधिनियम पर कार्यशाला ।

(iv) सीमा सड़क संगठन के इंजीनियरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

(v) रांची में सड़क निर्माण विभाग, झारखंड के अभियंताओं के लिए चार प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

(vi) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रबंधकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम।

(vii) तकनीकी सहयोग योजना-कोलंबो योजना के अंतर्गत अंतरर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

(viii) कोलकाता में राजमार्ग परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी क्षेत्र की भागीदारी पर संगोष्ठी ।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन संसद के एक अधिनियम अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 के द्वारा किया गया था । इसका गठन केन्द्र सरकार द्वारा इसे दिए गए अथवा सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण तथा प्रबंधन के लिए किया गया था । इस प्राधिकरण ने फरवरी, 1995 से कार्य करना प्रारंभ किया।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तय की है जो आने वाले वर्षों में चरणबद्ध रूप से पूरी की जाएगी । राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II में शामिल चालू कार्यों को पूरा किए जाने के अतिरिक्त वर्ष 2009-10 में ओर उसके बाद से निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की जाएंगीं :-

- 12,109 किमी. (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III) में 4 लेन बनाना ।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम ।
- राष्ट्रीय राजमार्गों (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IV) की 5,000 किमी. लंबाई में पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन बनाना ।
- स्वर्णिम चतुर्भुज और कुछ अन्य चुनिंदा खंडों जिसमें 6500 किमी. लंबाई (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V) शामिल है, में 6 लेन बनाना ।
- एक्सप्रेस मार्गों (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VI) की 1000 किमी. लंबाई का विकास ।

- रिंग रोड, बाइपास, ग्रेड सेपरेटर, सर्विस रोड आदि (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V।।) का विकास ।
- एक नीति के तौर पर सरकार ने एनएचडीपी की भावी परियोजनाओं को मुख्यता पीपीपी मोड पर शुरू करने का निर्णय लिया है । परियोजनाओं का कार्यान्वयन, निर्माण ठेकों के माध्यम से केवल आपवादिक मामलों में किया जाएगा जहां सुपुर्दगी की बीओटी विधि के लिए अपर्याप्त प्रतिक्रिया होगी ।
- इस समय पूरी दुनिया में व्याप्त वित्तीय संकट को देखते हुए सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सुझाव पर वर्ष 2005-06 के दौरान परामर्शदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के लिए कुल परियोजना लागत में 20% की और वर्ष 2007 के दौरान प्रस्तुत किए गए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के लिए कुल परियोजना लागत में 10% की समान वृद्धि की अनुमति दे दी है ताकि सड़क के निर्माण में आने वाली लागत की असमायोजित वृद्धि की क्षतिपूर्ति की जा सके । अर्थक्षमता अंतर वित्तपोषण का वितरण भी निर्माण अवधि के दौरान ही किए जाने पर विचार किया जाएगा । इन परियोजनाओं का चयन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के परामर्श से किया जाएगा और तदनुसार, निविदाएं स्वीकार की जाएंगी । उपर्युक्त के अलावा, ईपीसी में कोई न कोई छूट दिए जाने पर भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा ।
- ठेकेदारों की नकदी व्यवस्था संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए भी कुछ कदम उठाए गए हैं जैसे - ठेकेदार के अनुरोध पर ब्याज सहित विवेकाधीन अग्रिम प्रदान किया जाना, समान राशि की बैंक गारंटी पर प्रतिधारण राशि को जारी कर दिया जाना, दिए गए अग्रिमों (ब्याज आधार पर) की वसूली स्थगित किया जाना और आईपीसी की न्यूनतम राशि में छूट दिया जाना ।
- भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोषित किए गए प्रोत्साहन पैकेजों से अवसंरचना क्षेत्र की सभी कंपनियों को जिनमें अन्य के साथ-साथ सड़क क्षेत्र भी शामिल है, को अपनी परियोजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था कर पाने के रूप में लाभ मिलेगा । इसके अलावा, आईआईएफसीएल को भी परियोजनाओं के पुनर्वित्तपोषण, खास तौर से राजमार्ग और पत्तन क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए पुनर्वित्तपोषण के लिए कर मुक्त बॉण्ड जारी करके धन उगाहने की अनुमति है । इन कदमों से वित्तपोषण की इस प्रणाली में निश्चित रूप से कुछ नकदी आएगी क्योंकि वित्तपोषण की प्रणाली में इस समय नकदी की बहुत अधिक आवश्यकता है ।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुलग्नकों की सूची

क्र.सं.	विषय	अनुबंध संख्या
1.	वित्तीय परिव्यय/लक्ष्यों का विवरण: 2009-10 (तिमाही एवं मासिक)	1
2	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार कार्यान्वयन के अधीन उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम महामार्गों के ठेकों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण ।	2
3	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार विद्यमान परियोजनाओं की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण ।	3
4	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार कार्यान्वयन के अधीन स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के ठेकों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण ।	4
5	वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान स्वर्णिम चतुर्भुज की पूरी हो चुकी परियोजनाओं के पूर्ण हो चुके/चार लेन के बनाए जा चुके खंडों को दर्शाने वाला विवरण ।	5
6	अन्य परियोजनाओं की पूरी हो चुकी परियोजनाओं के पूर्ण हो चुके/चार लेन के बनाए जा चुके खंडों को दर्शाने वाला विवरण ।	6
7	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार कार्यान्वयन के अधीन अन्य ठेकों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण ।	7
8	वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान भौतिक एवं वित्तीय तिमाही लक्ष्यों को दर्शाने वाला विवरण ।	8
9	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम महामार्गों के पूर्ण सड़क खंडों के पूरे हो चुके/चार लेन के बनाए जा चुके खंडों को दर्शाने वाला विवरण ।	9
10	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार सौंपे जाने के लिए शेष लंबाई(उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम महामार्ग) को दर्शाने वाला विवरण।	10
11	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार कार्यान्वयन के अधीन पत्तन संपर्क परियोजनाओं को दर्शाने वाला विवरण ।	11

अनुबंध-I

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

वित्तीय परिव्यय और परिणाम/लक्ष्य का विवरण : 2009-10 (तिमाही और मासिक)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/ वास्तविक	व्यय (अनुमानित व्यय) - 2009-10 (करोड़ रूपये में)													लक्ष्य/ वास्तविक	परिमाणात्मक सुपुर्दगी योग्य (कि.मी. में)				
			तिमाही 1			तिमाही 2			तिमाही 3			तिमाही 4			योग		तिमाही 1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4	योग
			अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च							
1	राराविप चरण -I (सुदृढ़ीकरण सहित 4/6 लेन में चौड़ा करना)	लक्ष्य			484.34			435.21			310.97			322.79	1553.31	4 लेन और उससे अधिक लेन में चौड़ा करने का लक्ष्य	49	4	53.00	95	201
	-		121.09	169.52	193.74	174.08	130.56	130.56	108.84	108.84	93.29	96.84	96.84	129.12	1553.31						
	-	वास्तविक		0.00			0.00			0.00					0.00	पूर्णता के लिए वास्तविक					0
	-														0.00						
2	राराविप चरण -II (सुदृढ़ीकरण सहित 4/6 लेन में चौड़ा करना)	लक्ष्य			2775.61			2295.29			2492.14			2804.73	10367.77	4 लेन और उससे अधिक लेन में चौड़ा करने का लक्ष्य	597	299	413	476	1785
			693.90	971.46	1110.24	918.12	688.59	688.59	872.25	872.25	747.64	841.42	841.42	1121.89	10367.77	पूर्णता के लिए वास्तविक					0
		वास्तविक		0.00			0.00			0.00					0.00	ठेका देने हेतु लक्ष्य	60	0	235	27	322
															0.00	ठेका देने हेतु वास्तविक					
3	राराविप चरण -III (सुदृढ़ीकरण सहित 4/6 लेन में चौड़ा करना)	लक्ष्य			1654.75			2124.36			2622.01			2869.87	9270.99	4 लेन और उससे अधिक लेन में चौड़ा करने का लक्ष्य	255	152	285	410	1102
			413.69	579.16	661.90	849.74	637.31	637.31	917.70	917.70	786.60	860.96	860.96	1147.95	9270.99	पूर्णता के लिए वास्तविक					0
		वास्तविक		0.00			0.00			0.00					0.00	ठेका देने हेतु लक्ष्य	1030	3112	1339	910	6391
															0.00	ठेका देने हेतु वास्तविक					
4	राराविप चरण -IV (सुदृढ़ीकरण सहित पेव्ड शोल्डर के साथ 2लेन में चौड़ा करना)	लक्ष्य		32.50			32.50			32.50			32.50		130.00	ठेका देने हेतु लक्ष्य					
			8.13	11.38	13.00	13.00	9.75	9.75	11.38	11.38	9.75	9.75	9.75	13.00	130.00	वास्तविक ठेका					
		वास्तविक													0.00						

5	रारावि चरण IV (स्व.च. और अन्य पर चुनिन्दा खंडों को 6 लेन का बनाना)	लक्ष्य	1068.90			1629.35			2098.25			2214.02			7010.52	6 लेन और उससे अधिक लेन में चौड़ा करने का लक्ष्य	31	8	15	23	77
			267.23	374.12	427.56	651.74	488.81	488.81	734.39	734.39	629.48	664.21	664.21	885.61	7010.52	पूर्णता के लिए वास्तविक					0
		वास्तविक	0.00			0.00			0.00						0.00	ठेका देने हेतु लक्ष्य	439	795	1121	702	3057
															0.00	ठेका देने हेतु लक्ष्य					
6	रारावि चरण -VI (एक्सप्रेस मार्गों का विकास करना)	लक्ष्य	75.75			105.75			135.75			85.75			403.00	ठेका देने हेतु लक्ष्य					
			18.94	26.51	30.30	42.30	31.73	31.73	47.51	47.51	40.73	25.73	25.73	34.30	403.00						
		वास्तविक														ठेका देने हेतु वास्तविक					
7	रारावि चरण -VII (रिंग रोड़ो बाईपासो, ग्रेड सेपरेटरो, सर्विस रोड़ो आदि)	लक्ष्य	152.00			207.00			443.00			397.00			1199.00	ठेका देने हेतु लक्ष्य				30	30
			38.00	53.20	60.80	82.80	62.10	62.10	155.05	155.05	132.90	119.10	119.10	158.80	1199.00						
		वास्तविक														ठेका देने हेतु वास्तविक					
8	ऋणों/उधारों की अदायगी और उस पर ब्याज तथा वार्षिकियों के भुगतान संबंधी देयताएँ	लक्ष्य	144.00			1644.00			144.00			167.00			2099.00	लक्ष्य					
		वास्तविक	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						
															0.00	वास्तविक					

अनुबंध 2

31.3.2009 को उत्तर दक्षिण–पूर्व पश्चिम के कार्यान्वयनाधीन ठेकों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	स्टेशन से तक	रारा सं.	लम्बाई	प्रारंभ करने की तिथि	पूरा होने की तिथि	पूरा होने की संभावित तिथि	संचयी वास्तविक प्रगति लक्ष्य (%)	संचयी वास्तविक प्राप्त प्रगति (%)	द्वारा वित्तपोषित	कुल परियोजना लागत	ठेका लागत	3/2008 तक हुआ व्यय	चालू वित्त वर्ष में हुआ व्यय	संचयी व्यय	संविदाकार
पूर्व पश्चिम कारिडोर															
1	पूर्णिया–गयाकोटा (ईडब्ल्यू–12/बीआर)	31	28	सित–01	सित–04	दिस–09	100	90.06	भाराराप्रा	205.73	176.11	175.78	65.11	240.89	लंको कंस्ट्रक्शन लि. –रानी (सं.उ.)
2	लखनऊ बाईपास (ईडब्ल्यू–15/यूपी)	56 ए और बी	22.85	#	#	#	#	#	भाराराप्रा	185.52		0	0.59	0.59	एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लि.
3	लखनऊ–कानपुर (ईडब्ल्यू/3ए)	25	16	दिस–03	मई–05	दिस–09	100	79.21	भाराराप्रा	51.28	44.95	37.23	1.61	38.84	विल्लायती राम मित्तल
4	सिलचर–उदरबंद (एएस–1)	54	32	सित–04	सित–07	जून–09	61.9	39.25	भाराराप्रा	154.57	115.86	61.32	42.21	103.53	पुंज ललॉयड लि.
5	हरंगाजो से मईबंग (एएस–21)	54	26	जन–07	जुल–09	दिस–09	90.75	2.19	भाराराप्रा	212.00	253.08	24.38	8.01	32.39	कंटिनेन्टल इंज. कारपोरेशन
6	हरंगाजो से मईबंग (एएस–22)	54	24	जन–07	जुल–09	दिस–09	90.12	0.1	भाराराप्रा	196.00	241.53	21.55	1.77	23.32	कंटिनेन्टल इंज. कारपोरेशन
7	हरंगाजो से मईबंग (एएस–23)	54	16	अग–06	फर–09	दिस–09	100	18.25	भाराराप्रा	280.00	317.11	69.04	20.42	89.46	एचसीसी लि.
8	मईबंग से लम्बडिंग (एएस–27)	54	21	अक्तू–06	अप्रै–09	दिस–09	36.54	1.24	भाराराप्रा	200.00	198.68	14.1	14.45	28.55	गायत्री–ईसीआई (सं.उ.)
9	मईबंग से लम्बडिंग (एएस–26)	54	23	मई–06	नव–08	नव–09	7.19	6.47	भाराराप्रा	167.64	179.25	13.13	25.22	38.35	गैमन इंडिया लि.
10	मईबंग से लम्बडिंग (एएस–25)	54	28	अक्तू–06	अप्रै–09	दिस–09	99.13	1.74	भाराराप्रा	199.81	226.17	4.18	22.10	26.28	वलेचा–टीबीएल
11	मईबंग से लम्बडिंग (एएस–24)	54	15	मई–06	नव–08	नव–09	1.5	1.12	भाराराप्रा	155.04	171.62	12.76	13.66	26.42	गैमन इंडिया लि.
12	लमडिंग से डबोका (एएस–15)	54	18.5	फर–08	अग–10	सित–10	5.74	3.62	भाराराप्रा	130.00	143.97	3.88	19.99	23.87	पटेल–केएनआर (सं.उ.)
13	लंका से डबोका (एएस–16)	54	24	दिस–05	जून–08	जून–09	78.81	56.39	भाराराप्रा	225.00	198.65	63.46	36.39	99.85	पुंज ललॉयड लि.
14	डबोका से नगाँव (एएस–17)	36	30.5	दिस–05	जून–08	जून–09	53	48.2	भाराराप्रा	225.00	202.18	59.71	26.76	86.47	मयतास इंफ्रास्ट्रक्चर लि.
15	नगाँव बाईपास (एएस–18)	37	23	दिस–05	जून–08	जून–09	100	63	भाराराप्रा	230.00	238.72	119.2	17.87	137.07	पटेल–केएनआर (सं.उ.)
16	नगाँव से धर्मतूल (एएस–2)	37	25	दिस–05	जून–08	दिस–09	100	21.85	भाराराप्रा	264.72	273.80	35.55	39.99	75.54	मधुकॉन प्रोजेक्टस लि.
17	धर्मतूल से सोनापुर (एएस–19)	37	25	दिस–05	जून–08	जून–09	74.75	27	भाराराप्रा	200.00	173.15	45.77	32.75	78.52	मयतास इंफ्रास्ट्रक्चर लि.
18	धर्मतूल से सोनापुर (एएस–20)	37	22	नव–05	मई–08	दिस–09	35.6	18	भाराराप्रा	160.00	137.75	31.52	14.28	45.8	केएमसी कंस्ट्रक्शन लि.
19	सोनापुर से गुवाहाटी (एएस–3)	37	19	सित–05	जून–09	दिस–09	58.88	13.13	भाराराप्रा	245.00	166.71	144.72	18.37	163.09	महेश्वरी ब्रदर्स लि. –टेलीकमयूनीकेशन कंसलटेंट इंडिया लि.
20	ब्रह्मपुत्र पुल (एएस–28)	31	5	अक्तू–06	अप्रै–10	अप्रै–10	55.5	14	भाराराप्रा	217.61	238.34	16.94	31.57	48.51	गैमन इंडिया लि.
21	गुवाहाटी से नलबाड़ी (एएस–4)	31	28	दिस–05	अप्रै–08	जून–09	100	19.2	भाराराप्रा	175.96	173.62	28.66	10.83	39.49	पुंज ललॉयड लि.
22	गुवाहाटी से नलबाड़ी (एएस–5)	31	28	अक्तू–05	अप्रै–08	जून–09	42	27.55	भाराराप्रा	198.16	192.87	42.98	17.91	60.89	पुंज ललॉयड लि.

23	नलबाड़ी से बिजनी (एएस–6)	31	25	नव–05	जून–09	जून–09	59	33.4	भाराराप्रा	225.00	182.48	54.57	17.05	71.62	दिनेश चंद्रा आर अग्रवाल–इंफ्राकॉन प्रा. लि.– बनवारी लाल अग्रवाल प्रा.लि. –बह्मपुत्र कंसोर्टियम लि.
24	नलबाड़ी से बिजनी (एएस–7)	31	27.3	अक्तू–05	अप्रै–08	जून–09	37.84	16.65	भाराराप्रा	208.00	207.17	19.31	18.27	37.58	केएमसी कंस्ट्रक्शन लि.
25	नलबाड़ी से बिजनी (एएस–8)	31	30	दिस–05	जून–08	जून–09	96.75	56.5	भाराराप्रा	200.00	187.07	47.25	52.17	99.42	पुंज ललॉयड लि.
26	नलबाड़ी से बिजनी (एएस–9)	31	21.5	दिस–05	जून–08	जून–09	80	44.164	भाराराप्रा	142.00	131.22	28.99	50.17	79.16	पुंज ललॉयड लि.
27	बिजनी से असम/प.बं. सीमा (एएस–10)	31सी	33	नव–05	जून–08	जून–09	37.23	15.25	भाराराप्रा	237.80	248.69	40.5	16.45	56.95	जीपीएल–ईसीआई (सं. उ.)
28	बिजनी से असम/प.बं. सीमा (एएस–11)	31सी	30	नव–05	जून–08	जून–09	47.82	16.59	भाराराप्रा	195.00	199.41	32.94	19.56	52.5	जीपीएल–ईसीआई (सं. उ.)
29	बिजनी से असम/प.बं. सीमा (एएस–12)	31सी	30	नव–05	जून–08	जून–09	28.94	18.76	भाराराप्रा	230.00	218.37	48.29	28.38	76.67	प्रोगेसिव कंस्ट्रकशन लि.
30	असम/प.बं. सीमा से गैरकट्टा (डब्ल्यूबी–1)	31सी	32	जून–06	नव–08	जून–09	100	33	भाराराप्रा	221.82	228.43	55.97	40.78	96.75	इटालियन थाई देव. प्रोजेक्टस कं. लि.
31	सिलिगुड़ी से इस्लामपुर (डब्ल्यूबी–7)	31	26	जन–06	जुल–08	जून–09	100	38.72	भाराराप्रा	225.00	211.07	50.41	66.23	116.64	इरकॉन इंटरनेशनल लि.
32	पूर्णिया–फोरबेसगंज (बीआर–1)	57	41	नव–05	अप्रै–08	अप्रै–09	89	77	भाराराप्रा	276.00	281.87	160.44	96.31	256.75	प्रोग्रेसिव कंस्ट्रकशन लि.
33	पूर्णिया–फोरबेसगंज (बीआर–2)	57	38	नव–05	अप्रै–08	अप्रै–09	87	74	भाराराप्रा	310.00	318.05	164.12	99.53	263.65	प्रोग्रेसिव कंस्ट्रकशन लि.
34	फोरबेसगंज–सिमराही (बीआर–3)	57	40	अप्रै–06	सित–08	जून–09	65.5	33.75	भाराराप्रा	332.94	356.51	94.98	29.42	124.4	गैमन इंडिया लि.
35	सिमराही से रिंग बंद (लुप्त संपर्क) (बीआर–4)	57	15	अप्रै–06	अप्रै–08	जून–09	69	55.5	भाराराप्रा	100.50	115.56	72.97	55.32	128.29	सिम्पलेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लि.
36	कोसी ब्रिज जिसमें पहुँच मार्ग, मार्गदर्शक बांध और प्रवाह बांध शामिल है (बीआर–5)	57	10	अप्रै–07	अप्रै–10	अप्रै–10	57.479	42.466	वार्षिकी	418.04	31.90	83.71	96.11	179.82	गैमन इंडिया लि. –जीआईपीएल कंसोर्टियम
37	रिंग बंद से झंझारपुर (बीआर–6)	57	45	जन–06	जून–08	जून–09	100	53.07	भाराराप्रा	340.00	383.42	144.18	105.94	250.12	बीएससीपीएल–सीएण्ड सी (सं.उ.)
38	झंझारपुर से दरभंगा (बीआर–7)	57	40	अप्रै–06	सित–08	दिस–09	100	22.15	भाराराप्रा	340.00	388.23	84	43.50	127.5	मधुकॉन प्रोजेक्टस लि.
39	दरभंगा से मुजफ्फरपुर (बीआर–8)	57	40	जन–06	जून–08	जून–09	100	59.78	भाराराप्रा	305.00	335.29	130.05	76.19	206.24	बी. सीनईया एण्ड कं. (प्रोजेक्टस) लि.–सी एण्ड सी (सं.उ.)
40	दरभंगा से मुजफ्फरपुर (बीआर–9)	57	30	जन–06	जून–08	जून–09	100	61.4	भाराराप्रा	291.80	323.00	128.64	97.41	226.05	बी. सीनईया एण्ड कं. (प्रोजेक्टस) लि.–सी एण्ड सी (सं.उ.)
41	मुजफ्फरपुर से मेहसी (एलएमएनएचपी–12)	28	40	सित–05	सित–08	दिस–09	100	26.94	डब्ल्यूबी	275.00	311.13	67.7	63.18	130.88	प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लि. –एमवीआर (सं.उ.)
42	मेहसी से कोटवा (एलएमएनएचपी–11)	28	40	सित–05	सित–08	दिस–09	100	25.21	डब्ल्यूबी	239.00	318.77	63.53	46.00	109.53	मधुकॉन प्रोजेक्टस लि.
43	कोटवा से देवापुर (एलएमएनएचपी–10)	28	38	नव–05	नव–08	दिस–09	100	23.08	डब्ल्यूबी	240.00	263.97	59.22	31.88	91.1	प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लि. – एमवीआर (सं.उ.)

44	दीवापुर से उ.प्र./बिहार सीमा (एलएमएनएचपी–9)	28	41.085												
45	उ.प्र./बिहार सीमा से कसिया (एलएमएनएचपी–8)	28	41.115	दिस–05	दिस–08	दिस–09	100	45.65	डब्ल्यूबी	227.00	259.77	108.96	101.71	210.67	सिमपलेक्स
46	कसिया से गोरखपुर (एलएमएनएचपी–7)	28	40	दिस–05	दिस–08	दिस–09	100	40.99	डब्ल्यूबी	242.00	253.12	154.62	51.90	206.52	एनसीसी–वीईई (सं.उ.)
47	गोरखपुर बाईपास	28	32.6	अप्रै–07	अक्तू–09	अक्तू–09	76.74	29.25	वार्षिकी	600.24	48.60	231.54	83.90	315.44	गैमन इंडिया लि. –जीआईपीएल –एटीएसएल कंसोर्टियम
48	गोरखपुर–अयोध्या (एलएमएनएचपी–6)	28	43.7	अक्तू–05	अक्तू–08	जून–09	75	56.85	डब्ल्यूबी	239.00	262.60	138.33	83.14	221.47	बी. सीनईया एण्ड कं. (प्रोजेक्टस) लि.
49	गोरखपुर–अयोध्या (एलएमएनएचपी–5)	28	44	अक्तू–05	अक्तू–08	दिस–09	69	27.5	डब्ल्यूबी	227.00	266.06	81.74	61.99	143.73	नागार्जुन कंस्ट्रकशन कं. लि.
50	गोरखपुर–अयोध्या (एलएमएनएचपी–4)	28	29	नव–05	नव–08	दिस–09	75	55	डब्ल्यूबी	205.00	255.21	131.1	60.63	191.73	हिन्दुस्तान कंस्ट्रकशन कंपनी लि.
51	अयोध्या–लखनऊ (एलएमएनएचपी–3)	28	41.925	नव–05	नव–08	जून–09	100	66.01	डब्ल्यूबी	212.00	249.95	147.29	98.30	245.59	हिन्दुस्तान कंस्ट्रकशन कंपनी लि.
52	अयोध्या–लखनऊ (एलएमएनएचपी–2)	28	47	अक्तू–05	अक्तू–08	जून–09	100	73.72	डब्ल्यूबी	217.00	212.33	148.39	97.50	245.89	हिन्दुस्तान कंस्ट्रकशन कंपनी लि.
53	अयोध्या–लखनऊ (एलएमएनएचपी–1)	28	36	अक्तू–05	अक्तू–08	जून–09	100	63.14	डब्ल्यूबी	193.00	198.06	129.56	84.71	214.27	हिन्दुस्तान कंस्ट्रकशन कंपनी लि.
54	गंगा पुल से रामा देवी क्रॉसिंग (यूपी–6)	25	5.6	दिस–05	सित–08	सित–09	100	14.43	भाराराप्रा	201.66	159.06	25.51	12.78	38.29	गैमन इंडिया लि.
55	बारा से ओरई	39869	62.8	अक्तू–06	अप्रै–09	दिस–09	99	66	वार्षिकी	465.00	44.82	17.69	5.94	23.63	एनसीसी–केएमसी कंसोर्टियम
56	ओरई से झाँसी (यूपी–5)	25	50	सित–05	मार्च–08	दिस–09	81.5	33.04	एडीबी	340.68	302.97	61.01	72.20	133.21	इरकॉन इंटरनेशनल लि.
57	ओरई से झाँसी (यूपी–4)	25	66	अक्तू–05	अप्रै–08	दिस–09	100	59.09	एडीबी	451.97	414.88	200.68	79.59	280.27	सनवे कंस्ट्रकशन लि.
58	झाँसी बाईपास (यूपी–3)	25	15	नव–05	मई–08	दिस–09	100	55.19	एडीबी	158.06	115.24	63.53	42.36	105.89	ओरिएन्टल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्रा.लि.
59	झाँसी –शिवपुरी (उ.प्र./म.प्र.–1) (उ.प्र. –11 कि.मी. और म.प्र. – 30 कि.मी.)	25	41	अक्तू–05	अप्रै–08	मार्च–09	100	98	एडीबी	220.31	150.03	98.29	40.36	138.65	ओरिएन्टल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्रा.लि.
60	राज./म.प्र. सीमा से कोटा (आरजे–10)	76	59.85	अक्तू–05	अप्रै–08	जून–09	100	91.74	एडीबी	430.21	347.36	235.21	129.84	365.05	केएमसी कंस्ट्रक्शन लि.
61	राज./म.प्र. सीमा से कोटा (आरजे–9)	76	43.15	अक्तू–05	अप्रै–08	जून–09	100	94.69	एडीबी	359.43	286.65	146.72	143.16	289.88	सनवे कंस्ट्रकशन लि.
62	कोटा बाईपास (आरजे–4)	76	25	मई–06	नव–08	दिस–09	52	32.2	भाराराप्रा	250.39	205.51	41.79	60.89	102.68	आईटीडी–सेमइंडिया (सं.उ.)
63	चंबल पुल (आरजे–5)	76	1.4	नव–06	फर–10	सित–10	41.35	35.93	भाराराप्रा	281.31	213.59	33.74	85.83	119.57	हुंडई इंज. कंस. कं. लि.–मैसर्स गैमन इंडिया लि.
64	गोंडा से उदयपुर (आरजे–3)	76	31	जन–06	जुल–08	अप्रै–09	100	86.3	भाराराप्रा	288.06	208.08	230.24	59.68	289.92	रंजीत–टरमट (सं.उ.)
65	स्वरूपगंज से बकरिया (आरजे–1)	76, 14	43	दिस–05	जून–08	अप्रै–09	100	92	भाराराप्रा	243.11	173.34	154.32	90.15	244.47	अग्रवाल सं.उ.
66	पालनपुर से स्वरूपगंज (राजस्थान–42 कि.मी. और गुजरात–34 कि.मी.)	14	76	सित–06	मार्च–09	जून–09	100	93.67	वार्षिकी	498.00	43.21	79.18	2.85	82.03	लारसेन एण्ड टुब्रो लि. ईसीसी डिविजन

67	गगोधर से गरामोरे (पैकेज– IV)	15, 8ए	90.3	फर–05	नव–07	नव–09	100	85.16	एडीबी	479.54	339.02	300.77	79.76	380.53	डेलिम इंडस्ट्रियल कारपो. लि.–नागार्जुन कंस्ट्रकशन कं. लि. (सं.उ.)
68	गरामोरे से बामनबोरे (पैकेज– III)	0. 33333	71.4	फर–05	नव–07	जून–09	100	86.93	एडीबी	380.70	289.92	245.35	85.79	331.14	डेलिम इंडस्ट्रियल कारपो. लि.–नागार्जुन कंस्ट्रकशन कं. लि. (सं.उ.)
उत्तर दक्षिण कारिडोर															
69	कुंजवानी से विजयपुर (एनएस–15/जेएण्डके)	0. 04167	17.2	जन–02	दिस–04	दिस–09	100	92.05	भाराराप्रा	110.00	83.88	111.33	23.77	135.1	सीमा सड़क संगठन
70	पंछी गुजराँ से कमसपुर तक का छह लेन का बनाना (सोनीपत) (एनएस–17/एचआर)	1	21.7	जन–06	जुल–07	जून–09	100	66.42	भाराराप्रा	83.67	75.28	69.86	20.27	90.13	वलेचा इंजीनियरिंग लि.
71	हरियाणा/दिल्ली सीमा से मुकरबा चौक तक आठ लेन का बनाना (एनएस–18/डीएल)	1	12.9												
72	गुंडला पोचमपल्ली से बोवेनपल्ली शिवरामपल्ली से थोंडापल्ली (एनएस–23/एपी)–शेष कार्य	7	23.1	दिस–05	दिस–06	मई–09	100	83	भाराराप्रा	71.57	60.35	92.45	12.54	104.99	एम.बी. पाटिल कंस्ट्रकशन लि.
73	थम्पिपाड़ी से सेलम (एनएस–26/टीएन)	7	19.2	सित–01	अग–03	मई–09	100	89.8	भाराराप्रा	82.49	70.61	99.66	9.89	109.55	भागीरथ इंजी. लि.
74	श्रीनगर बाईपास (सड़क भाग)(एनएस–30)	0. 04167	17.8	अक्तू–03	सित–08	सित–09	100	94.25	भाराराप्रा	60.66	60.66	134.08	21.69	155.77	प्रकाश बिल्डर्स एसोसिएट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लि.
75	श्रीनगर बाईपास (पुल भाग)(एनएस–30ए)	0. 04167	1.23	जून–06	दिस–08	दिस–09	100	50	भाराराप्रा	62.96	62.96	0	0.00	0	वलेचा इंजीनियरिंग लि.
76	जम्मू से कुंजवानी (जम्मू बाईपास) एनएस–33/जेएण्डके	0. 04167	15	नव–05	मई–08	दिस–09	100	47.63	भाराराप्रा	85.34	74.87	40.11	15.83	55.94	एम. वेंकट राव इंजीनियरिंग
77	विजयपुर से पठानकोट (एनएस–34/जेएण्डके)	0. 04167	33.65	सित–05	फर–08	दिस–09	100	36.06	भाराराप्रा	193.09	158.08	68.14	11.45	79.59	आईटीडी–सीमेंटेसन (आई) लि.
78	विजयपुर से पठानकोट (एनएस–35/जेएण्डके)	0. 04167	30	सित–05	फर–08	दिस–09	100	36.46	भाराराप्रा	166.27	151.36	46.03	15.57	61.6	आईटीडी–सीमेंटेसन (आई) लि.
79	पठानकोट से जम्मू और कश्मीर सीमा (एनएस–36/जेएण्डके)	0. 04167	19.65	नव–05	मई–08	दिस–09	100	23.11	भाराराप्रा	97.73	90.11	69.42	24.37	93.79	एम. वेंकट राव इंजीनियरिंग
80	पठानकोट से भोगपुर (एनएस–37/पीबी)	0. 04167	44	नव–05	मई–08	दिस–09	100	36.8	भाराराप्रा	284.00	286.70	160.09	39.27	199.36	आईटीडी–सीमेंटेसन (आई) लि.
81	पठानकोट से भोगपुर (एनएस–38/पीबी)	0. 04167	40												
82	पानीपत से पंछी गुजराँ (छह लेन का कार्य) (एनएस–89/एचआर)	1	20	अक्तू–06	अक्तू–08	जून–09	100	72.9	भाराराप्रा	109.00	121.64	31.56	67.34	98.9	इरकॉन इंटरनेशनल लि.
83	आगरा बाईपास को नई चार लेन का बनाना (एनएस–1/यूपी–1)	23	32.8	अक्तू–07	अक्तू–10	फर–11	28.41	3.31	भाराराप्रा	348.16	326.70	7.12	33.81	40.93	जेएमसी प्रोजेक्ट्स–सद्भाव (सं. उ.)

84	धौलपुर–मुरैना खण्ड (चंबल पुल सहित) एनएस–1/आरजे–एमपी/1	3	10	सित–07	सित–10	सित–10	23.33	5.88	भाराराप्रा	232.45	230.28	0	0.00	0	पीएनसी–टीआरजी (सं. उ.)
85	ग्वालियर–झाँसी	75	80	जून–07	दिस–09	दिस–10	77.53	10.03	वार्षिकी	604.00	52.29	86.1	33.48	119.58	डीएससी–अपोलो कंसोर्टियम
86	ग्वालियर बाईपास (एनएस–1/बीओटी/एमपी–1)	27454	42	अप्रै–07	अक्तू–09	अक्तू–10	72.26	26.99	वार्षिकी	300.93	26.53	38.15	53.79	91.94	रामकी–इरा.–श्रीराम कंसोर्टियम
87	झाँसी से ललितपुर (एनएस–1/बीओटी/यूपी–2)	25, 26	49.7	मार्च–07	सित–09	सित–09	79.85	59.2	वार्षिकी	355.06	29.95	112.19	92.04	204.23	गायत्री–आईडीएफसी कंसोर्टियम
88	झाँसी से ललितपुर (एनएस–1/बीओटी/यूपी–3)	26	49.3	मार्च–07	सित–09	सित–09	82.32	47.33	वार्षिकी	276.09	23.95	91.49	68.28	159.77	गायत्री–आईडीएफसी कंसोर्टियम
89	ललितपुर–सागर (एडीबी–।।/सी–3)	26	38	मई–06	नव–08	मार्च–10	100	22.14	एडीबी	198.00	140.39	31.91	34.93	66.84	नागार्जुन कंस्ट्रकशन कं. लि.
90	ललितपुर–सागर (एडीबी–।।/सी–4)	26	55	अप्रै–06	अक्तू–08	दिस–09	43.5	45.65	एडीबी	225.00	171.46	78.22	45.31	123.53	आईजेएम कारपोरेशन
91	सागर बाईपास (एडीबी–।।/सी–5)	26	26	अप्रै–06	अक्तू–08	दिस–10	100	38.79	एडीबी	151.30	116.07	37.4	46.38	83.78	ससांगयोंग इंजीनियरिंग कंस. कं.
92	सागर–राजमार्ग चौराहा (एडीबी–।।/सी–6)	26	44	अप्रै–06	अक्तू–08	दिस–10	100	18.86	एडीबी	203.43	163.87	40.38	22.90	63.28	ससांगयोंग इंजीनियरिंग कंस. कं.
93	सागर राजमार्ग चौराहा (एडीबी–।।/सी–7)	26	42	अप्रै–06	अक्तू–08	जून–09	100	84.09	एडीबी	206.96	189.64	51.79	0.00	51.79	बी. सीनईया एण्ड कं. (पी) लि.
94	राजमार्ग चौराहा से लखनादौन (एडीबी–।।/सी–8)	26	54	अप्रै–06	अक्तू–08	दिस–10	100	34.51	एडीबी	251.03	219.01	51.15	10.98	62.13	ससांगयोंग इंजीनियरिंग कंस. कं.
95	राजमार्ग चौराहा से लखनादौन (एडीबी–।।/सी–9)	26	54.7	अप्रै–06	अक्तू–08	दिस–10	100	19.7	एडीबी	229.91	203.50	10.21	18.97	29.18	ससांगयोंग इंजीनियरिंग कंस. कं.
96	लखनादौन से म.प्र./महा. सीमा (एनएस–1/बीओटी/एमपी–2)	7	49.35	मार्च–07	सित–09	सित–09	83.5	66.5	वार्षिकी	263.17	22.42	104.14	75.43	179.57	नवभारत–फेर्रो एलॉयस लि. (मालक्ष्मी हाइवेज प्रा.लि.)
97	लखनादौन से म.प्र./महा. सीमा (एनएस–1/बीओटी/एमपी–3)	7	56.475	दिस–07	जून–10	जून–10	40.89	32.41	वार्षिकी	407.60	35.40	56.69	80.36	137.05	सदभाव–एसआरईआई (सं.उ.)
98	वडक्काचेरी–थ्रिसूर खण्ड को छह लेन का बनाना	47	30	#	#	#	#	#	बीओटी	617.00	243.99	0	0.00	0	मैसर्स केएमसी–सीआर18जी कंसोर्टियम
99	बुटीबोरी आरओबी (एनएस–29/एमएच)	7	1.8	जून–05	दिस–06	सित–09	100	68.9	भाराराप्रा	26.00	24.27	16.89	7.54	24.43	जेएसआर कंस्ट्रकशन प्रा. लि.
100	बोरखेड़ी–जाम (एनएस–22/एमएच)	7	27.4	जून–05	दिस–07	दिस–09	100	81	भाराराप्रा	110.00	89.39	54.71	44.12	98.83	जेएसआर कंस्ट्रकशन प्रा.लि.–केतन कंस्ट्रकशन लिमिटेड
101	जाम–वाड़नेर (एनएस–59/एमएच)	7	30	अक्तू–05	अप्रै–08	सित–09	100	39.17	भाराराप्रा	145.00	117.00	38.14	22.22	60.36	आईडियल रोड बिल्डर्स प्रा.लि.
102	वाडनेर–देवधारी (एनएस–60/एमएच)	7	29												
103	देवधारी–केलापुर (एनएस–61/एमएच)	7	30	अक्तू–05	अप्रै–08	दिस–09	100	55	भाराराप्रा	144.00	115.23	47.36	38.05	85.41	आईडियल रोड बिल्डर्स प्रा.लि.
104	केलापुर–पिम्पलखट्टी (एनएस–62)	7	22	मई–06	नव–08	मार्च–10	100	17.32	भाराराप्रा	117.40	92.59	17.96	11.35	29.31	देवी इंटरप्राइजेज लि.
105	इस्लाम नगर से कडतल (एनएस–2/बीओटी/एपी–7)	7	48	मार्च–07	मार्च–10	मार्च–10	56	45.29	वार्षिकी	546.83	44.37	32.7	188.62	221.32	पटेल–केएनआर (सं.उ.)

106	महा./आ.प्र. सीमा से इस्लाम नगर (एनएस–2/बीओटी/एपी–6)	7	55	मई–07	नव–09	नव–09	66.87	52.15	वार्षिकी	360.42	31.48	46.97	156.86	203.83	सोमा–अविनाश कंसोर्टियम
107	काडल से अरमूर (एनएस–2/बीओटी/एपी–8)	7	31	मई–07	नव–09	नव–09	73.1	79.04	वार्षिकी	271.73	23.80	80.31	136.80	217.11	एचसीसी लि.
108	हैदराबाद बंगलौर खण्ड (एनएस–2/बीओटी/एपी–5)	7	74.65	सित–06	मार्च–09	मई–09	100	88	वार्षिकी	592.00	56.52	454.23	336.51	790.74	आईएल एण्ड एफएस सीटीएनएल कंसोर्टियम (आंध्रप्रदेश एक्सप्रेसवे लि.)
109	हैदराबाद बंगलौर खण्ड (एडीबी–।।/सी–10)	7	40	मार्च–07	अग–09	अग–09	71.26	35.87	एडीबी	194.80	167.39	38.87	65.57	104.44	सीजीजीसी–सोमा (सं.उ.)
110	हैदराबाद बंगलौर खण्ड (एडीबी–।।/सी–11)	7	42.4	मार्च–07	अग–09	अग–09	74.07	39.14	एडीबी	208.46	174.81	47.08	73.87	120.95	सीजीजीसी–सोमा (सं.उ.)
111	हैदराबाद बंगलौर खण्ड (एडीबी–।।/सी–12)	7	42.6	मार्च–07	सित–09	सित–09	80.86	36.41	एडीबी	239.19	213.45	27.28	73.43	100.71	कांटिनेन्टल इंजी. कॉरपोरेशन
112	आं.प्र./कर्नाटक सीमा–नंदी हिल क्रॉसिंग और देवनहल्ली से मीनू कुंटे गाँव तक	7	61.38	मार्च–07	मार्च–09	जून–09	97	77.05	वार्षिकी	402.80	32.94	109.25	191.01	300.26	पटेल–केएनआर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. (सं.उ.)
113	हैदराबाद बंगलौर खण्ड (एडीबी–।।/सी–13)	7	40	मार्च–07	सित–09	सित–09	87.92	30.42	एडीबी	243.38	231.27	20.28	69.57	89.85	कांटिनेन्टल इंजी. कॉरपोरेशन
114	हैदराबाद बंगलौर खण्ड (एडीबी–।।/सी–14)	7	42	मार्च–07	अग–09	अग–09	79.64	44.26	एडीबी	205.92	183.98	47.96	74.88	122.84	सीजीजीसी–सोमा (सं.उ.)
115	हैदराबाद बंगलौर खण्ड (एडीबी–।।/सी–15)	7	45.6	मार्च–07	अग–09	अग–09	79.61	49.42	एडीबी	243.64	218.29	52.19	103.95	156.14	सीजीजीसी–सोमा (सं.उ.)
116	थोपुरघाट से थूम्पिपाड़ी (एनएस–25/टीएन)	7	16.6	मई–05	नव–07	मई–09	100	93.2	भाराप्रा	92.54	49.70	24.66	69.93	94.59	जेएसआर कंस्ट्रकशन प्रा.लि.
117	सेलम से करूर (एनएस–2/टीएन–2)	7	41.55	अग–06	फर–09	अप्रै–09	100	88.3	बीओटी	253.50	-46.00	160.48	166.85	327.33	मैसर्स/एमवीआर–एमआरके–जेटीईसी (सं.उ.) (एमवीआर इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड टोलवे प्रा.लि.)
118	सेलम से करूर (एनएस–2/टीएन–3)	7	33.48	जुल–06	जन–09	अप्रै–09	100	95.29	बीओटी	205.60	24.00	100.01	196.89	296.9	रिलायंस एनर्जी लि. (एनके टोल रोड लि.)
119	करूर से मदुरई (टीएन–4)	7	68.125	अक्तू–06	अप्रै–09	मई–09	99.89	88.96	बीओटी	327.20	86.00	152.87	247.83	400.7	मधुकॉन प्रोजेक्टस लि. –एसआरईआई {टीएन(डीके)एक्सप्रेसवे लि.}
120	करूर से मदुरई (टीएन–5)	7	53.025	जुल–06	जन–09	अप्रै–09	100	95.37	बीओटी	283.50	31.00	143.2	234.26	377.46	मैसर्स रिलायंस एनर्जी लि. {डीएस टोल रोड लि.}
121	सेलम से केरल सीमा खण्ड (टीएन–6)	47	53.525	जुल–06	जन–09	अप्रै–09	100	68.06	बीओटी	469.80	129.00	81.23	512.46	593.69	आईवीआरसीएल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लि. (सेलम टोलवेज लि.)

122	सेलम से केरल सीमा खण्ड (टीएन–7)	47	48.51	जुल–06	जन–09	अप्रै–09	100	97.86	बीओटी	379.80	17.50	111.79	317.61	429.4	आईवीआरसीएल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लि. (कुमार पलायम टोलवे लि.)
123	मुदरई बाईपास सहित मदुरई से मदुरई –तिरूनेलवेली खण्ड का 120 कि.मी. (एनएस–39)	7	42	सित–05	अप्रै–08	मई–09	100	89.18	भाराराप्रा	567.38	282.58	202.99	163.38	366.37	पटेल–केएनआर (सं.उ.)
124	मदुरई – कन्याकुमारी खण्ड (एनएस–40 / टीएन)	7	38.86	सित–05	अप्रै–08	मई–09	100	83.54	भाराराप्रा	474.21	219.05	140.76	87.68	228.44	आईवीआरसीएल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लि.
125	मदुरई – कन्याकुमारी खण्ड (एनएस–41 / टीएन)	7	39.51	सित–05	अप्रै–08	मई–09	100	76.92	भाराराप्रा	323.36	173.50	102.64	85.05	187.69	आईवीआरसीएल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लि.
126	मदुरई – कन्याकुमारी खण्ड (एनएस–42 / टीएन)	7	42.7	सित–05	मार्च–08	जून–09	100	83.43	भाराराप्रा	507.49	232.46	178.11	87.08	265.19	.शक्ति कुमार एम. संचेती लि.
127	मदुरई–तिरूनेलवेली खण्ड के 120 कि. मी. से पानागुड़ी (203 कि.मी.) (एनएस–43)	7	43	अक्तू–05	मई–08	जून–09	100	82	भाराराप्रा	423.54	224.35	128.75	85.81	214.56	पटेल–केएनआर (सं.उ.)
128	कन्याकुमारी–पानागुड़ी (एनएन–32)	7	30.6	अप्रै–08	अप्रै–10	अप्रै–10	21	3.5	भाराराप्रा	120.00	205.99	32.28	10.29	42.57	पटेल–केएनआर (सं.उ.)
129	थ्रिसूर से अंगामली (केएल– I)	47	40	सित–06	मार्च–09	दिस–09	100	48	बीओटी	312.50	-84.40	238.81	198.03	436.84	केएमसी – एसआरईआई (सं.उ.) (गुरूवायूर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.)

अनुबंध 3

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
31.3.2009 को हस्तगत परियोजनाओं की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

करोड़ रूपये में

रारावि चरण	विवरण	स्वीकृत लागत	पूरा करने की नियत तिथि	कुल संचयी व्यय		2009–10 के दौरान अनुमानित व्यय	पूरा होने की संभावित तिथि	उत्पादन/ परिणाम (पूरे कर लिए गए कि.मी.)
				31.12.2008 को	31.03.2009 तक अनुमानित			
रारावि चरण–I	स्व.च., उ.द.औरपू.प. कॉरीडोर, प्रमुख पत्तनों को जोड़ने वाली सड़क पर राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन का बनाना और कुछ अन्य परियोजनाएं	30300.00		34961.50	35659.60	1553.31		स्व.च. 5704 कि.मी. (97.57%) उ.द.पू.प. 3083 कि.मी. (43.17%) पत्तन संयोजन 206 कि.मी. (54.21%) अन्य परियोजनाएं 737 कि.मी. (76.61%)
रारावि चरण–II	उ.द.और पू.प. कॉरीडोर पर राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन का बनाना और कुछ अन्य परियोजनाएं	34339.00		25806.68	29480.73	10367.77		
रारावि चरण–III	बीओटी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों को 4/6 लेन का बनाना	76546.00		7030.15	9199.73	9270.99		_295 कि.मी. (2.4%)
रारावि चरण–iv [अभी अनुमोदित होना है]	पेव्ड शोल्डर सहित राष्ट्रीय राजमार्गों को 2 लेन का बनाना	27800.00		0.00	10.00	130.00		____ कि.मी. (ठेका दे दिया गया है)
रारावि चरण–v	डीबीएफओ आधार पर विद्यमान 4 लेन के 6500 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों को 6 लेन का बनाना	41210.00		999.44	2153.22	7010.52		____ कि.मी. (ठेका दे दिया गया है)
रारावि चरण–vi	डीबीएफओ आधार पर 1000 कि. मी. एक्सप्रेसमार्गों का निर्माण	16680.00		0.00	5.00	403.00		
रारावि चरण–vii	रिंग रोड, बाईपास, ग्रेड सेपरेटर आदि	16680.00		0.00	10.00	1199.00		
ब्याज और ऋणों/उधारों को चुकाने तथा वार्षिकी का भुगतान करने संबंधी देयताएं	-	-		11,229.61	13058.21	3859.66		
कुल		**243555.00**		**80,027.38**	**89,576.49**	**33,794.25**		

अनुबंध 4

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

31.3.2009 को स्वर्णिम चतुर्भुज के कार्यान्वयनाधीन ठेकों को दर्शाने वाली स्थिति

क्र.सं.	ठेका	रारा सं.	लम्बाई	प्रारंभ करने की तिथि	ठेका अनुसार पूर्णता	संभावित पूर्णता	पूरी कर ली गई 4 लेन (कि.मी.)	प्रगति का लक्ष्य :	प्राप्त प्रगति :	द्वारा वित्तपोषित	कुल परियोजना लागत	ठेका लागत	3/2008 तक हुआ व्यय	चालू वित्त वर्ष के दौरान	संचयी व्यय	एजेंसी	से तक कि.मी.	एजेंसी की राष्ट्रीयता	पर्यवेक्षण परामर्शदाता	समाप्ति की स्थिति	पर्यवेक्षण परामर्शदाता की राष्ट्रीयता
1	हवेरी–हरिहर	4	56	नव–2008	जुल–2010	जुल–2010	46.85	**10	0.55	एडीबी	196.65	196.65	0.00	21.52	21.52	मैसर्स गैमन इंडिया लि.	340 कि.मी.–284 कि.मी.	भारतीय	मैसर्स आईसीटी		भारतीय
2	हरिहर–चित्रदुर्गा	4	77	अक्तू–2008	जून–2010	जून–2010	62.92	**15	0.6	एडीबी	207.56	207.56	0.00	23.67	23.67	मैसर्स गैमन इंडिया लि.	284 कि.मी.–207 कि.मी.	भारतीय	मैसर्स आईसीटी		भारतीय
3	चित्रदुर्गा बाईपास	4	18	अप्रै–2007	सित–2008	जून–2009	18	100	34	एडीबी	104.00	103.93	90.94	37.91	128.9	सुप्रीम–एमबीएल (स.उ.)	207 कि.मी.–189 कि.मी.	भारतीय	लुइस बर्जर		यूएसए
4	तुमकुर बाईपास	4	13	लागू नहीं		लागू नहीं	9.7	**#	#	भाराराप्रा	83.00	0.00	0.00	0.49	0.49	मैसर्स एनकेसी प्रोजक्ट्स (पी) लि.	75 कि.मी.–62 कि.मी.	भारतीय	स्टूप परामर्शदाता		भारतीय
5	पुल खण्ड (डब्ल्यूबी–।।।)	6	1.732														17.6 कि.मी. –136 कि.मी.			ठेका समाप्त कर दिया गया	
6	बालासोर–भद्रक (ओआर–।।।)	5	62.64	दिस–2008	दिस–2010	दिस–2010	35.56	4.4	0.26	भाराराप्रा	228.70	241.30		27.67		एल्समेक्स–टीडब्ल्यूएस–शंकर नारायण सेट्टी (सं.उ.)	136.5 कि.मी. –199.141 कि.मी.	स्पेन– भारतीय सं.उ.	शेलाडिया एसोशियेटस इंक		यूएसए
7	भुबनेश्वर–खुर्दा (ओआर–।)	5	26.3	जन–2001	जन–2004	जून–2009	26.3	100	98.6	भाराराप्रा	140.85	118.90	139.45	6.86	146.3	गैमन इंडिया लि.–अटलांटा	387.7 कि.मी. –418 कि.मी.	भारतीय	. शैलाडिया–पीबीआई इंक.–एमआरसी		यूएसए
8	सुनाखला–गंजम (ओआर–v।।)	5	55.71														338 कि.मी.–284 कि.मी.			ठेका समाप्त कर दिया गया	
9	गंजम–इच्छापुरम (ओआर–v।।।)	5	50.8	जुल–2006	नव–2008	जून–2009	24.49	**51.69	30.37	भाराराप्रा	263.27	242.76	139.52	32.37	171.9	केएमसी–आरके–एसडी (सं.उ.)	284 कि.मी.–233 कि.मी.	भारतीय	डीएचवी इंटरनेशनल बीवी		नीदरलैंड
9	झवसांजं जव क्मसीप वद छम्र 2																	भारतीय			
10	आगरा–शिकोहाबाद (जीटीआरआईपी / ।–ए)	2	50.83	मार्च–2002	मार्च–2005	जून–2009	50.76	100	98.2	डब्ल्यूबी	367.49	328.49	399.80	12.74	412.5	ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्रा.लि.–गैमन इंडिया लि. (सं.उ.)	199.66 कि.मी. –250.50 कि.मी.	भारतीय	आईसीटी प्रा.लि.		भारतीय
11	फतेहपुर–खागा (टीएनएचपी / ।।– सी)	2	77	मार्च–2001	अक्तू–2004	जून–2009	75.43	100	90	डब्ल्यूबी	372.40	295.53	324.43	52.06	376.5	सेंट्रोडोरस्टोरी रसिया	38 कि.मी.–115 कि.मी.	रसियन	बीईसीओएम स्टूप–आरवी		फ्रेंच–भारतीय
12	इलाहाबाद बाईपास संविदा ।।	2	38.99	जून–2004	दिस–2006	जून–2009	38.99	100	88.38	डब्ल्यूबी	440.93	446.99	457.42	95.61	553	हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लि.	158 कि.मी.–198 कि.मी.	भारतीय	बीसीईओएम–ली एसोसिएट साउथ एशिया प्रा.लि.		फ्रेंच–भारतीय
13	इलाहाबाद बाईपास संविदा ।।।	2	44.71	नव–2004	मई–2007	जून–2009	42.13	100	85.7	डब्ल्यूबी	534.39	505.27	473.01	102.8	575.8	ओरियंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्रा. लि. – केएमसी कंस्ट्रशन लि.	198 कि.मी.– 242.708 कि.मी.	भारतीय	बीसीईओएम–ली एसोसिएट साउथ एशिया प्रा.लि.		फ्रेंच–भारतीय
14	बाराणसी–मोहनिया (जीटीआरआईपी / ।v–ए)	2	76	मार्च–2002	मार्च–2005	जून–2009	74.72	100	94.29	डब्ल्यूबी	467.93	396.47	424.90	9.68	434.6	प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लि. सनवे बेरहाड (सं.उ.)	317 कि.मी. –329(0) कि.मी. 0 कि.मी.–65 कि.मी.	भारतीय– मलेशियन सं.उ.	एन.डी. ली इंट.		कनाडा
15	गोरहर–बरवाअड्डा (टीएनएचपी/v–सी)	2	78.75	सित–2001	मार्च–2005	जून–2009	75.28	100	89.44	डब्ल्यूबी	399.75	299.71	330.32	37.77	368.1	प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लि. सनवे बेरहाड (सं.उ.)	320 कि.मी.– 398.75 कि.मी.	भारतीय– मलेशियन सं.उ.	एसएमईसी इंडिया		भारतीय

अनुबंध 5

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

वर्ष 2007.08 एवं 2008.09 में पूर्णतः पूरी हो चुकी स्वर्णिम चतुर्भुज की परियोजनाओं /4 लेन के खंडो को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	स्थान से तक	से तक कि.मी.	रारा सं.	लम्बाई	द्वारा वित्तपोषित	प्रारंभ करने की तिथि	पूरा होने की तिथि	राज्य का नाम
1	इलाहाबाद बाईपास संविदा–। (पुल)	158 कि.मी.– 159.02 कि.मी.	2	1.02	डब्ल्यूबी	सित–2003	अक्तू–2008	उत्तर प्रदेश
2	शिकोहाबाद–इटावा (जीटीआरआईपी / ।–बी)	250.5 कि.मी.– 307.5 कि.मी.	2	59.02	डब्ल्यूबी	सित–2005	सित–2008	उत्तर प्रदेश
3	सासाराम–डेहरी ओन सोन (जीटीआरआईपी / iv–सी)	110 कि.मी.–140 कि.मी.	2	30.00	डब्ल्यूबी	मार्च–2002	जुला–2008	बिहार
4	इटावा बाईपास (शेष कार्य)	307.5 कि.मी.–321.1 कि.मी.	2	13.60	भाराराप्रा	फर–2006	मई–2008	उत्तर प्रदेश
5	इटावा–राजपुर (जीटीआरआईपी / ।–सी)	321.1 कि.मी.–393 कि.मी.	2	72.83	डब्ल्यूबी	मार्च–2002	मई–2008	उत्तर प्रदेश
6	कानपुर–फतेहपुर (जीटीआरआईपी / ।।–बी)	470.483(0)कि.मी. 0 कि.मी. –38 कि.मी.	2	51.50	डब्ल्यूबी	मार्च–2002	मई–2008	उत्तर प्रदेश
7	चित्रदुर्गा–सिरा	189 कि.मी.– 122.3 कि.मी.	4	66.70	एडीबी	मार्च–2001	मई–2008	कर्नाटक
8	हँडिया–वाराणसी (टीएनएचपी / ।।।–सी)	245 कि.मी.– 317 कि.मी.	2	72.00	डब्ल्यूबी	मार्च–2001	अप्रै–2008	उत्तर प्रदेश
9	पुल खंड (ओआर–v)	199.141 कि.मी.– 61 कि.मी.	5	11.59	भाराराप्रा	अग–2001	अप्रै–2008	उड़िसा
10	हुबली–हवेरी	404 कि.मी.– 340 कि.मी.	4	64.50	भाराराप्रा	जून–2001	मार्च–2008	कर्नाटक
11	औरंगाबाद–बाराचट्टी (टीएनएचपी / v–ए)	180 कि.मी.– 240 कि.मी.	2	60.00	डब्ल्यूबी	सित–2001	जुला–2007	बिहार
12	बाराचट्टी–गोरहर (जीटीआरआईपी / v–बी)	240 कि.मी.– 320 कि.मी.	2	80.00	डब्ल्यूबी	मार्च–2002	जुला–2007	बिहार(10) / झारखंड (70)
13	विवेकानंद पुल और पहुँच मार्ग		2	6.00	बीओटी	सित–2002	जून–2007	पश्चिम बंगाल
14	बेलगाम–धारवाड़	495 कि.मी.– 433 कि.मी.	4	62.00	भाराराप्रा	अप्रै–2002	जून–2007	कर्नाटक
15	सिकंदरा–भौंती (टीएनएचपी / ।।–ए)	393 कि.मी.– 470 कि.मी. एमडीआर मार्ग द्वारा 16 कि.मी.	2	62.00	डब्ल्यूबी	फर–2001	मई–2007	उत्तर प्रदेश
16	लक्ष्मणनाथ–बालेश्वर (ओआर–4)	0 कि.मी.– 53.41 कि.मी.	60	53.41	भाराराप्रा	मार्च–2001	मई–2007	उड़िसा
17	श्रीकाकुलम–चंपावती (एपी–1) (शेष कार्य)	97 कि.मी.– 49 कि.मी.	5	48.00	भाराराप्रा	दिस–2005	मई–2007	आंध्रप्रदेश
18	कांचीपुरम–पूनामल्ली	70.2 कि.मी. 13.8 कि.मी.	4	56.40	भाराराप्रा	जुला–2001	मई–2007	तमिलनाडु
19	धनकुनी–कोलाघाट (डब्ल्यूबी– ।)	17.6 कि.मी.– 72 कि.मी.	6	54.40	भाराराप्रा	मई–2001	मार्च–2007	पश्चिम बंगाल
20	कटराज–सरोले (पीएस–3)	825.5 कि.मी.– 797 कि.मी.	4	28.50	भाराराप्रा	नव–2001	मार्च–2007	महाराष्ट्र

अनुबंध 6

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

अन्य परियोजनाओं की पूर्णतः पूरी हो चुकी परियोजनाओं में पूर्ण/4 लेन के खण्डों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	ठेका	से तक कि.मी.	रारा सं.	लंबाई	द्वारा वित्तपोाित	प्रारंभ करने की तिथि	कब पूरा हुआ	राज्य का नाम
1	दिल्ली-गुडग्गाँव खण्ड (8/6 लेन पहुँच नियंत्रित)	14.3 कि.मी. - 42 कि.मी.	8	27.7	बीओटी	अप्रै-2002	जन-2008	दिल्ली [9.7] /हरियाणा [18]
2	गोरखपुर में राप्ती नदी पर 2-लेन का अतिरिक्त पुल		28	0.40	भाराराप्रा	मार्च-2004	जून-2007	उत्तर प्रदेश
3	गुवाहाटी बाईपास (एएस-14ए) पर 10 कि.मी. सर्विस रोड और 2 लेन वाले एक फ्लाईओवर का निर्माण	146 कि.मी. से 156 कि.मी.	37	10.00	भाराराप्रा	'अग-2005	जन-2009	असम
4	लालापेट आरओबी	183.400 कि.मी.	67	0.00	स.प.रा.म.	मार्च-2006	जन-2009	तमिलनाडु

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

31.3.2009 को कार्यान्वयनाधीन अन्य ठेकों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	स्टेशन से तक	से तक कि.मी.	रारा सं.	लंबाई	प्रारंभ करने की तिथि	पूरा होने की तिथि	पूरा होने की संभावित तिथि	लक्ष्य प्रगति %	प्राप्त प्रगति %	द्वारा वित्तपोति	ठेका लागत	मार्च-2008 तक	चालू वित्त वर्ष के दौरान	संचयी व्यय	एजेंसी	राष्ट्रीयता	पर्यवेक्षण परामर्शदाता	राज्य	पूरी कर ली गई लंबाई
	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग																		
1	4 ग्रेड सेपरेटरों के निर्माण सहित चेन्नई शहर के भीतर स्वर्णिम चतुर्भूज तक पहुँच सुधार		205, 4 और 45	4	अप्रै-2005	अप्रै-2007	जून-2009	100	82.1	स.प.रा.मं.	196.00	425.99	75.90	501.89	सोमदत्त विल्डर्स सिमप्लेक्स (सं.उ.)	भारतीय	स्टूप कंसलटेंट प्रा.लि.	तमिलनाडु	4
2	करुर से कंगायम (केसी-1)	218.200 कि.मी. से 277.400 कि.मी.	67, केसी 1	59.2	अग-2006	अग-2008	जून-2009	100	65.29	स.प.रा.मं.	63.01	32.22	23.84	56.06	एसआरसी प्रोजेक्टस (पी) लि.	भारतीय	फीडबैक टर्नकी इंजी. प्रा. लि.	तमिलनाडु	59.2
3	कंगायम से कोयम्बतूर (केसी-2)	277.400 कि.मी. से 332.600 कि.मी.	67, केसी 2	55.2	अग-2006	अग-2008	जून-2009	100	64.31	स.प.रा.मं.	79.52	33.04	44.59	77.63	एसआरसी प्रोजेक्टस (पी) लि.	भारतीय	फीडबैक टर्नकी इंजी. प्रा. लि.	तमिलनाडु	55.2
	भाराराप्रा																		
4	गढ़मुक्तेश्वर-मुरादाबाद	93 - 149.25 कि.मी.	24	56.25	मार्च-2005	सित-2007	मई-2009	81.06	80.78	भाराराप्रा	221.42	158.98	67.55	226.53	पीएनसी कंस्ट्रक्शन कंपनी - बीईएल (सं.उ.)	भारतीय	मैसर्स स्पॉन कंस्लटेंट प्रा. लि.	उत्तर प्रदेश	56.25
5	हापुड़-गढ़मुक्तेश्वर	58 - 93 कि.मी.	24	35	मार्च-2005	सित-2007	दिस-2009	100	35.07	भाराराप्रा	195.51	62.33	30.81	93.14	उ.प्र. राज्य सेतू निगम लि. (यूपीएसबीसी)	भारतीय	मैसर्स स्पॉन कंस्लटेंट प्रा. लि.	उत्तर प्रदेश	35
6	चेन्नई बाईपास चरण II		45, 4और 5	32	मई-2005	नव-2007	जून-2009	100	81	भाराराप्रा	404.98	519.81	84.83	604.64	हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लि.	भारतीय	मैसर्स स्पॉन कंस्लटेंट प्रा. लि.	तमिलनाडु	32
7	टिंडीवनम-उलुन्दुरपेट (पैकेज - VI-ए)	121 कि.मी. - 192.25 कि.मी.	45	71.25	अक्तू-2006	मार्च-2009	अप्रैल-2009	100	96.25	बीओटी	-152.10	498.71	352.39	851.1	जीएमआर इंफ्रा. लि. जीएमआर एनर्जी लि. - (जीएमआर उलुन्दुरपेट एक्सप प्रा. लि.)	भारतीय	आईसीटी लि.	तमिलनाडु	71.25
8	उलुन्दुरपेट-पडलूर (पैकेज-VI-बी)	192.25 कि.मी. - 285.00 कि.मी.	45	92.75	दिस-2006	जून-2009	मई-2009	95.08	96.5	बीओटी	40.00	392.88	324.81	717.69	आईजेएम-सपून पलौंजी (सं.उ.) (त्रिची टोलवे प्रा. लि.)	मलेशियाई - भारतीय सं.उ.		तमिलनाडु	92.75
9	पडलूर-त्रिची (पैकेज - VI-सी)	285.00 कि.मी. - 325.00 कि.मी.	45	40	नव-2006	मई-2009	मई-2009	96.76	90.75	बीओटी	60.00	227.53	256.32	453.85	नवयुग-इंदू अभिोक (इंदू नवयुग इंफ्रा. प्रा. लि.)	भारतीय		तमिलनाडु	40
10	त्रिची बाईपास की समाप्ति से तोवरमकुर्ची (पैकेज -VIIए)	0 कि.मी. से 60.95 कि.मी.	45बी	60.95	फर-2006	अग-2008	जून-2009	100	70.57	भाराराप्रा	204.98	150.94	55.64	206.58	अग्रवाल - जेएमसी (सं.उ.)	भारतीय	दलाल मट मैकडोनाल्ड	तमिलनाडु	60.95
11	तोवरमकुर्ची से मदुरै (पैकेज - VIIबी)	60.95 कि.मी. से 124.84 कि.मी.	45बी	63.89	फर-2006	अग-2008	जून-2009	100	71.9	भाराराप्रा	214.98	155.67	76.85	232.52	अग्रवाल - जेएमसी (सं.उ.)	भारतीय	दलाल मट मैकडोनाल्ड	तमिलनाडु	63.89
12	चित्तौडगढ़ बाईपास	159 कि.मी. से 213 कि.मी.	79, 76	30	अग-2005	अग-2007	जून-2009	100	80.44	भाराराप्रा	133.03	179.89	32.73	212.62	अशोका वलेचा (सं.उ.)	भारतीय	सीपीसीएस उपहम कॉर्पो.	राजस्थान	30
13	आईसीटीटी वल्लारपडम तक रारा संयोजन		47सी	17.2	अग-2007	फर-2010	फर-2010	61.94	30.28	भाराराप्रा	329.46	153.34	448.79	602.13	सनकोन-सोमा (सं.उ.)	मलेशियाई - भारतीय	ली एसोसियेट एशिया (प्रा) लि.	केरल	17.2

अनुबंध .8

वार्षिक योजना 2008–09 के दौरान तिमाही वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्यों को दर्शाने वाला विवरण

(परिणाम बजट 2008–09 : दिसम्बर, 2008 की स्थिति अनुसार)

क्रम संख्या	योजना / कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य / वास्तविक	वित्तीय लक्ष्य (करोड़ रूपये में)					प्रक्षेपित परिणाम	लक्ष्य / वास्तविक	वास्तविक लक्ष्य (कि.मी. में)				
			तिमाही 1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4	योग			तिमाही 1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4	योग
1	राराविप चरण – I (सुदृढ़ीकरण सहित 4/6 लेन में चौड़ा करना)	लक्ष्य	665.07	479.05	421.72	345.28	1911.12	राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और संबंधित कार्यक्रम	4 लेन और उससे अधिक लेन में चौड़ा करने का लक्ष्य	153.12	20.34	27	37.15	237.61
		वास्तविक	334.3	272.58	204.1	446.74	1257.72		पूर्णता के लिए वास्तविक	64	36.48	2.44	28.73	131.65
2	राराविप चरण – II (सुदृढ़ीकरण सहित 4/6 लेन में चौड़ा करना)	लक्ष्य	3386.48	3329.3	3723.22	3856.65	14295.65	राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और संबंधित कार्यक्रम	4 लेन और उससे अधिक लेन में चौड़ा करने का लक्ष्य	579	336	616	1069	2600
									पूर्णता के लिए वास्तविक	208	150.14	143.1		
									पूर्णता के लिए वास्तविक	547	297.15	176.06	513.79	1534
		वास्तविक	2741.89	2737.97	2612.94	3529.14	11621.94		ठेका देने हेतु लक्ष्य	84	278.3	394.79	43.5	800.59
									ठेका देने हेतु वास्तविक					0
3	राराविप चरण – III (सुदृढ़ीकरण सहित 4/6 लेन में चौड़ा करना)	लक्ष्य	1149.04	1239.45	1635.13	2527.38	6551	बीओटी (पथकर) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करना	4 लेन और उससे अधिक लेन में चौड़ा करने का लक्ष्य	77.275	128.825	243	210	659.1
									पूर्णता के लिए वास्तविक	87	53	32.3	203.82	376.12
		वास्तविक	777.5	780.67	1002.51	1400.91	3961.59		ठेका देने हेतु लक्ष्य	858		749.5	4411.98	6019.48
									ठेका देने हेतु वास्तविक					
4	राराविप चरण – IV (सुदृढ़ीकरण सहित पेव्डशोल्डर के साथ 2 लेन में चौड़ा करना)	लक्ष्य	32.5	32.5	32.5	32.5	130	बीओटी (पथकर) और बीओटी (वार्षिकी) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करना	ठेका देने हेतु लक्ष्य					
		वास्तविक	0	0	0	0	0		ठेका देने हेतु वास्तविक					
5	राराविप चरण – V (स्व.च. पर चुनिन्दा खण्डों को 6 लेन का बनाना और अन्य)	लक्ष्य	460.21	518.32	1871.05	2031.42	4881	बीओटी (पथकर) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करना	4 लेन और उससे अधिक लेन में चौड़ा करने का लक्ष्य	35.5	10.5	37.5	34.5	118
									पूर्णता के लिए वास्तविक	0	25	12.44	68.56	106
		वास्तविक	213.55	68.66	160.08	287.23	729.52		ठेका देने हेतु लक्ष्य	1988	0	435	1232	3655
									ठेका देने हेतु वास्तविक					
6	राराविप चरण – VI (एक्सप्रेस मार्गों का विकास करना)	लक्ष्य	5	5	5	5	20	बीओटी (पथकर) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करना	ठेका देने हेतु लक्ष्य	0				
		वास्तविक	0	0	0	0	0		ठेका देने हेतु वास्तविक					
7	राराविप चरण – VII (रिंग रोडों, बाईपासों, ग्रेडसेपरेटरों, सर्विस रोडों आदि)	लक्ष्य	73.5	73.5	73.5	73.5	294	बीओटी पथकर और बीओटी वार्षिकी/ईपीसी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करना	ठेका देने हेतु लक्ष्य	0	32	82	21	135
		वास्तविक	0	0	0	0	0		ठेका देने हेतु वास्तविक					
8	ऋणों/उधारों की अदायगी और उन पर ब्याज तथा वार्षिकियों का भुगतान करने संबंधी देयताएँ	लक्ष्य	144	144	144	1840	2272		लक्ष्य	लागू नहीं				
		वास्तविक	133.61	41.27	268.52	1574.88	2018.28		वास्तविक					
	जोड़	**लक्ष्य**	**5669.14**	**5371.46**	**6195.15**	**8967.54**	**26203.29**		**लक्ष्य**	**3774.895**	**805.965**	**2584.79**	**7059.1**	**14224.75**
		वास्तविक	3987.3	3832.49	4088.07	6951.67	18859.53		**वास्तविक**	480.09	848.82	1366.27	333.26	3028.44
नोट . परिव्यय (अनुमानित व्यय) के सामने दिखाए गए लक्ष्य और वास्तविक शीर्षो के आंकडों में बीओटी परियोजनाओं के संबंध में निजी क्षेत्र द्वारा किए गए व्यय के आंकडे भी शामिल हैं ।														

अनुबंध .9

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

31.3.2009 को उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर में पूर्णतः पूरे हो चुके पूर्ण/चार लेन के खण्डों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	स्टेशन-से-तक	से तक कि.मी.	रारा सं.	लंबाई	वित्तपोाण	द्वारा	प्रारंभ करने की तिथि	कब पूरा हुआ	राज्य का नाम
	उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर चरण-I पर								
1	नंदी हिल्स क्रास से देवनहल्ली और मीनुकुंटे से हब्बल तक छः लेन का बनाना (एनएस-24/केएन)	539 कि.मी.- 556 कि.मी. और 527कि.मी.- 535 कि.मी.	7	25.00	भारााप्रा	भारााप्रा	सित-2001	अग-2008	कर्नाटक
2	पूर्णिया-गयाकोटा (ईडब्ल्यू/4)	476.15 कि.मी. - 470 कि.मी. और 419 कि.मी.- 410 कि.मी.	31	15.15	भारााप्रा	भारााप्रा	दिस-1999	मई-2008	बिहार
3	मुकरबा चौक से माल रोड तक आठ लेन का बनाना (दिल्ली) (एनएस3/डीएल)	16.2 कि.मी. - 8.2 कि.मी.	1	8.50	भारााप्रा	भारााप्रा	नव-2001	जन-2007	दिल्ली
	उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर चरण - II पर								
4	कडलूर येल्लारेड्डी से गुंडला पोचमपल्ली (एनएस-2/बीओटी/एपी-2)	367 कि.मी. से 447 कि.मी.	7	85.74	वार्किी	भारााप्रा	सित-2006	मार्च-09	आंध्रप्रदेश
5	फारूखनगर से कोटाकट्टा (एनएस-2/एपी-4)	80.050 कि.मी. से 135.469 कि.मी.	7	55.74	बीओटी	भारााप्रा	अग-2006	मार्च-09	आंध्रप्रदेश
6	बकरिया से गोंडा (राज-2)	73 कि.मी. से 29 कि.मी.	76	44.00	भारााप्रा	भारााप्रा	नव-2005	मार्च-09	राजस्थान
7	फारूखनगर से कोटाकट्टा (एनएस-2/एपी-3)	34.140 कि.मी. से 80.050 कि.मी.	7	46.16	बीओटी	भारााप्रा	अग-2006	फर-09	आंध्रप्रदेश
8	जेतपुर से भिलाड़ी (पैकेज-II)	117 कि.मी. से 52.50 कि.मी.	8बी	64.5	एडीबी	भारााप्रा	फर-2005	जन-09	गुजरात
9	कृणागिरि से थोपूरघाट (एनएस-2/टीएन1)	94.000 कि.मी. से 156 कि.मी.	7	62.50	बीओटी	भारााप्रा	जुल-2006	जन-09	तमिलनाडु
10	कोटा से चित्तोड़गढ़ (राज-8)	381 कि.मी. से 316 कि.मी.	76	65.00	एडीबी	भारााप्रा	अक्टू-2005	दिस-08	राजस्थान
11	कोटा से चित्तोड़गढ़ (राज-7)	316 कि.मी. से 253 कि.मी.	76	63.00	एडीबी	भारााप्रा	अक्टू-2005	दिस-08	राजस्थान
12	चित्तौडगढ़ बाईपास (राज-6)	253 कि.मी. से 213 कि.मी.	76	40.00	एडीबी	भारााप्रा	अक्टू-2005	दिस-08	राजस्थान
13	झाँसी-शिवपुरी (ईडब्ल्यू-II-एमपी-2)	50 कि.मी. से 15 कि.मी.	25	35.00	एडीबी	भारााप्रा	अग-2005	नव-08	मध्य प्रदेश
14	सिलिगुड़ी से इस्लामपुर (डब्ल्यूबी-6)	551 कि.मी. से 526 कि.मी.	31	25.00	भारााप्रा	भारााप्रा	अप्रै-2006	अक्तू-08	पश्चिम बंगाल
15	राज./म.प्र. सीमा से कोटा (आरजे-11)	579 कि.मी. से 509 कि.मी.	76	70.00	एडीबी	भारााप्रा	सित-2005	अक्तू-08	राजस्थान
16	शिवपुरी बाईपास और म.प्र./राज. सीमा तक (ईडब्ल्यू-II-एमपी-1)	रारा-25 का 15 कि.मी. से 0 कि.मी. और रारा-6 का 610 कि.मी. से 579 कि.मी.	25,76	53.00	एडीबी	भारााप्रा	अग-2005	अक्तू-08	मध्य प्रदेश
17	दीसा से राधनपुर (पैकेज-VI)	372.60 कि.मी. से 458.00 कि.मी.	14	85.40	एडीबी	भारााप्रा	फर-2005	सित-08	गुजरात
18	पानीपत उथित राजमार्ग	96 कि.मी. से 86 कि.मी.	1	10.00	बीओटी	भारााप्रा	जन-2006	जून-08	हरियाणा
19	राधनपुर से गगोधर (पैकेज-V)	138.80 कि.मी. से 245 कि.मी.	15	106.2	एडीबी	भारााप्रा	फर-2005	मई-08	गुजरात
20	राजकोट बाईपास और गोंडल जैतपुर (पैकेज-VII)	117 कि.मी. से 143 कि.मी. और 175 कि.मी. से 185 कि.मी.	8बी	36	बीओटी	भारााप्रा	सित-2005	मई-08	गुजरात
21	रारा-1 पर फगवाड़ा जंक्शन	(विद्यमान 4-लेन की सड़क पर फ्लाईओवर)	1	1	भारााप्रा	भारााप्रा	दिस-2005	जन-08	पंजाब
22	भिलाड़ी से पोरबंदर (पैकेज-I)	52.50 कि.मी. से 2.00 कि.मी.	8बी	50.50	एडीबी	भारााप्रा	फर-2005	मई-07	गुजरात

अनुबंध .10

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

ठेका देने के लिए 31.12.2008 को शेा लंबाई को दर्शाने वाला विवरण (उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर)

क्रम संख्या	स्टेशन से तक	से तक कि.मी.	रारा सं.	लंबाई (कि.मी.)	परियोजना लागत (करोड़ रुपए)	*द्वारा वित्त पोषित*	राज्य का नाम	श्रेणी
1	जम्मू-उधमपुर खण्ड को चार लेन का बनाना (एनएस-102/ज. एवं क.)	27.5 कि.मी से 53.3 कि.मी.	1ए	15.48	365	भाराराप्रा	जम्मू कश्मीर	एनएस
2	उदरबंद से हरनगाजो (एएस-14)	275.00 कि.मी. से 244.00 कि.मी.	54	31	155	भाराराप्रा	असम	ईडब्ल्यू
3	फूलबाड़ी-मैनागनरी-धुम्पगिरि-फलकटा के मार्ग से घौसुकुर (रारा 31 के 351कि.मी.) से सलसलाबाड़ी (रारा 31सी के 226कि.मी.)तक (3 पैकेज)		31,31सी	201	1200	बीओटी	पश्चिम बंगाल	ईडब्ल्यू
4	जम्मू-उधमपुर खण्ड को चार लेन का बनाना (एनएस-103/ज. एवं क.)	53 कि.मी. से 67 कि.मी.	1ए	33.86	341	भाराराप्रा	जम्मू कश्मीर	एनएस
5	श्रीनगर-खनबाल-बनिहाल (केवल सुरंग)-एनएस-93ए/ज. एवं क.	220 कि.मी. से 188 कि.मी.	1ए	7	0	भाराराप्रा	जम्मू कश्मीर	एनएस
6	उधमपुर - बनिहाल (केवल सुरंग)-एनएस-99ए/ ज. एवं क.	90 कि.मी. से 130.00 कि.मी.	1ए	9	0	भाराराप्रा	जम्मू कश्मीर	एनएस
7	उधमपुर - बनिहाल- एनएस-96/ज. एवं क.	130 कि.मी. से 151 कि.मी.	1ए	21	326	भाराराप्रा	जम्मू कश्मीर	एनएस
8	उदरबंद से हरनगाजो (एएस-14)	275.00 कि.मी. से 244.00 कि.मी.	54	31	155	भाराराप्रा	असम	ईडब्ल्यू
9	घौसुकुर (रारा 31 के 351कि.मी.) से सलसलाबाड़ी (रारा 31सी के 226कि.मी.) तक वाया		31, 31सी	201	1200	बीओटी	पश्चिम बंगाल	ईडब्ल्यू
10	उधमपुर - बनिहाल- एनएस-95/ज. एवं क.	151 कि.मी. से 171.00 कि.मी.	1ए	20	0	भाराराप्रा	जम्मू कश्मीर	एनएस
11	तवी पुल सहित जम्मू बाईपास के 15 कि.मी. से 19 कि.मी. तक जम्मू-उधमपुर खण्ड और नगरोता बाईपास को चार लेन का बनाना (एनएस-101/ज. एवं क.)	15 कि.मी. से 20.4/9.2 कि.मी. से 9.9/0 से 24.4/18.8 से 20 कि.मी.	1ए	20.1	285	भाराराप्रा	जम्मू कश्मीर	एनएस

12	अरमुर से कडलूर येल्लारेडी तक (एनएस-2/एपी-1)	308 कि.मी. से 367 कि.मी.	7	60.25	390.56	बीओटी	आंध्र प्रदेश	एनएस
13	उधमपुर - बनिहाल- एनएस-97/ज. एवं क.	67 कि.मी. से 89 कि.मी.	1ए	21	287	भाराराप्रा	जम्मू कश्मीर	एनएस
14	श्रीनगर-खनबाल-बनिहाल(मैदान) - एनएस-88/ज. एवं क.	286 कि.मी. से 256 कि.मी.	1ए	30	383	भाराराप्रा	जम्मू कश्मीर	एनएस
15	श्रीनगर-खनबाल-बनिहाल- एनएस-92/ज. एवं क.	256 कि.मी. से 220 कि.मी.	1ए	30		भाराराप्रा	जम्मू कश्मीर	एनएस
16	श्रीनगर-खनबाल-बनिहाल(सुरंगों को छोड़ कर) - एनएस-93/ज. एवं क.	220 कि.मी. से 188 कि.मी.	1ए	32	287	भाराराप्रा	जम्मू कश्मीर	एनएस
17	वलयार - वडक्कनचेरी खण्ड को चार लेन का बनाना	182.000 कि.मी. से 240.000 कि.मी.	47	58	606	बीओटी	केरल	एनएस
18	म.प्र./महाराट्र सीमा से नागपुर 1/सी कंपटी को चार लेन का बनाना	689 कि.मी. से 723 कि.मी.	7	95	0	बीओटी	महाराट्र	एनएस
19	उधमपुर - बनिहाल- एनएस-94/ज. एवं क.	171 कि.मी. से 188 कि.मी.	1ए	17	0	भाराराप्रा	जम्मू कश्मीर	एनएस
20	सेलम से 100 कि.मी. और सेलम-कोयम्बतूर-केरल सीमा खण्ड	100 कि.मी. से 182 कि.मी.	47	82	500	बीओटी	तमिलनाडु	एनएस
21	जम्मू - उधमपुर खण्ड (तीन सुरंगों सहित) को चार लेन का बनाना (एनएस-102ए/ज. एवं क.)	20 कि.मी. से 27.50 कि.मी.	1ए	8.5	365	भाराराप्रा	जम्मू कश्मीर	एनएस
22	वडक्कनचेरी - थ्रिसूर खण्ड को छः लेन का बनाना	240 कि.मी. से 270 कि.मी.	47	30	522	बीओटी	केरल	एनएस

अनुबंध .11

31.3.2009 को पत्तन संयोजन की कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	स्टेशन से तक	से तक कि.मी.	रारा सं.	लंबाई	प्रारंभ करने की तिथि	पूरा होने की तिथि	पूरा होने की संभावित तिथि	लक्ष्य प्रगति %	प्राप्त प्रगति %	द्वारा वित्तपोति	कुल परियोजना लागत	ठेका लागत	3/2008 तक हुआ व्यय	चालू वित्त र्वा के दौरान	संचयी व्यय	एजेंसी	पूरी कर ली गई लंबाई	राट्रीयता	पर्यवेक्षण परामर्शदाता	पर्यवेक्षण परामर्शदाता की राट्रीयता	राज्य
1	हल्दिया पत्तन	रारा-41 (रारा-6 पर कोलाघाट से हल्दिया)	41	53	सित-2008	सित-10	सित-10	11.24	0.93	एसपीवी	522.00	295.80	139.73	20.22	160	मैसर्स दिनेश चन्द्र आर. अग्रवाल इन्फ्राकॉन प्रा.ल.	0	भारतीय	मैसर्स सीईएस (आई) लि.	भारतीय	पश्चिम बंगाल
2	जवाहर लाल नेहरू पत्तन चरण-II	एसएच-54 + अमर मार्ग + पनवेल क्रिक पुल	एसएच 54	14.4	नव-04	मई-07	अक्तू-09	100	97.1	एसपीवी	143.00	127.21	120.27	0	120.3	जोग शिरके(सं.उ.)	12	भारतीय	मैसर्स स्टूप कंस्लटेंटस लि.	भारतीय	महाराट्र
3	न्यू मंगलौर पत्तन	रारा-17 (सूरतकल-नन्तूर खण्ड), रारा-48 (पडिल बंटवाल खण्ड)	13, 17 और 48	37	जून-05	दिस.-07	दिस.-09	100	48.6	एसपीवी	196.50	168.22	44.62	87.82	132.4	इरकॉन इंटरनेशनल लि.	12	भारतीय	मैसर्स एसएनसी लवलीन इंटरनेशनल इंक-साई कंस्ट. लि. (सं.उ.)	कनाडीयन - भारतीय	कर्नाटक
4	तूतीकोरिन पत्तन	रारा-7ए (तूतीकोरिन-तिरुनेलवेली खण्ड)	7ए	47.2	फर-04	अग-06	दिस.-09	100	22.4	एसपीवी	231.20	138.00	71.02	0	71.02	मैकन-जीईए एनर्जी सिस्टम(ई) लि. (सं.उ.)	0	भारतीय	मैसर्स बीसीईओएम फ्रेंच इंजी. कंसलटेंट एण्ड नाग इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	फ्रेंच - भारतीय	तमिलनाडु
5	पाराद्वीप पत्तन	रारा-5ए (0 कि.मी. से 77 कि.मी.)	7ए	77	फर-04	फर-07	जून-09	100	97.9	एसपीवी	428.00	328.00	358.12	99.18	457.3	हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लि.	71.28	भारतीय	ली एसोसिएटस साउथ एशिया प्रा. लि.	भारतीय	उड़ीसा
6	चेन्नई-इन्नोर एक्सप्रेस मार्ग	अंदरुनी रिंग रोड़ और मनाली तेल शोधक आरडी	एसआर	15	अग-07	अग-08	अग-08	#	#	एसपीवी	76.76	76.76	0	0	0		0				तमिलनाडु
7	चेन्नई-इन्नोर एक्सप्रेस मार्ग	टीपीपी सड़क	एसआर	9	मई-06	दिस.-07	जुलाई-08	78	11	एसपीवी	45.29	39.21	59.09	1.52	60.61		0				तमिलनाडु
8	कोचीन पत्तन	5 बड़े पुलों सहित 348/382 कि.मी - 358 750 कि.मी.	47	10	नव-08	अप्रै-10	अप्रै-10	18	6.74	एसपीवी	193.00	114.00	44.59	13.27	57.86	आरडीएस-सीवीसीसी (सं.उ.)	0	भारतीय	दलाल-मोट्ट मैक डोनाल्ड इन एसोसिएशन विद आर्च कंसल्टेंसी	भारतीय	केरल